खण्ड-280, अंक-10
गुरूवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(12 मार्च, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---४१४

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्युप्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम,
(बेगम एजाज रसूल) श्रीमती
कृपादयाल, श्री
कृष्ण कान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेंद्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिबेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री

नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री (जिला जालौन)
बसंतलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसंतलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवतदयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौतीप्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेंद्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेंद्र दत्त दुबे, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन, जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री

राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
राम जियाधन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति "अंचल", श्री
राम रतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बासुदेव, श्री
बासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेंद्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती

शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांतिप्र पन्न शर्मा, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांतीचरन पिड़ारा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेंद्र सिंह, कुंवर (उर्फ शैरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्यामसूरत उपाध्याद, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीशचन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
संतराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीब उल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह वि ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, परिहार, श्री (जिला आगरा-फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १२ मार्च, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद नगर महापालिका के चुनाव की मांग

****१—श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—**

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सरकार के पूर्व निर्णय के अनुसार इलाहाबाद नगर महापालिका का चुनाव कराने की तिथि कब निश्चित किया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

अभी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है।

श्री रामगोपाल सड—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि गत २९ जनवरी को भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री विशेष वायुयान द्वारा इलाहाबाद गये थे और वहां जिलाधीश के कमरे में जनप्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने लिखकर यह आश्वासन दिया था कि एक महीने के अन्दर ही इलाहाबाद नगर महापालिका के चुनाव कराये जायेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है कि लिखकर दिया था तो इस विषय में पूरी जानकारी तो नहीं है और न यही विदित है कि क्या-क्या बातचीत हुई थी ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, इलाहाबाद में तत्काल चुनाव करवाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अनवार अहमद—

कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयां हैं इसलिये तत्काल कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है ।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) —

परन्तु इस विषय में जो कुछ भी जानकारी माननीय मंत्री महोदय को है वह बताने की कृपा करें ।

श्री अनवार अहमद—

उसके लिये सूचना प्राप्त करना होगा ।

श्री रामगोपाल सन्ड—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बार-बार सदन के अन्दर पिछली सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि चुनाव की लिस्ट तैयार नहीं है ? वहां से चुनकर १४ सदस्य आ चुके हैं ? और गत मार्च माह में चुनाव अधिकारी ने नई लिस्ट फिर से बना ली है । फिर क्या दिक्कत है कि इलाहाबाद नगर महापालिका के चुनाव होंने में ?

श्री अनवार अहमद—

मैं माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूं और उनके दिल की भावनाओं को मैं समझता हूं और सरकार का भी यह निश्चित मत रहा है और रहेगा कि जन प्रतिनिधियों को जल्द ही चुनकर आना चाहिये लेकिन जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयां हैं उनको जल्दी ही दूर किया जायगा और चुनाव करवाये जायेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

ऐडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयों में वोटर्स लिस्ट बनाने की कठिनाई है अथवा ला ऐंड आर्डर की कठिनाई है ?

श्री अनवार अहमद—

वोटर्स लिस्ट की भी कुछ बात है और कुछ ऐसी भी कठिनाइयां हैं जो जनहित में बताना जरूरी नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कारणों से चुनाव स्थगित किया गया था वह कारण खत्म हो गया है ? क्या यह सही है ?

श्री अनवार अहमद—

चुनाव कराना जिन कारणों से रोका गया था उसमें एक कारण नहीं हैं । कुछ कारण ऐसे हैं जो जनहित में रखे नहीं जाते और जो सामने हैं उनमें से कुछ अवश्य ही दूर हो गये हैं परन्तु कुछ ऐसे कारण हैं जिनको जन हित में बताया नहीं जा सकता है । इसलिये चुनाव की कोई निश्चित तिथि दी नहीं जा सकती है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

कितना अर्सा और कितने साल हो गये जब वहां चुनाव करवाये गये थे ?

श्री अनवार अहमद—

जहां तक कि हमारी जानकारी है करीब ७ वर्ष हो गये हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अगले २–३ महीनों में नगर महापालिका, इलाहाबाद में चुनाव कराने का सरकार का इरादा है ?

श्री अनवार अहमद—

मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमारा पूरा इरादा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराये जायें । यह कहना मुश्किल है कि अगले १ महीने या २ महीने में चुनाव हो जायेंगे । चुनाव की निश्चित तिथि देना सरकार के लिए संभव नहीं है ।

फैजाबाद जिले के बढ़ईपुर निवासी, पुनई के घर पर हमला

**२—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २७ फरवरी, १९७० की रात्रि में ग्राम बढ़ईपुर, थाना सम्मनपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद की हरिजन आबादी पर कुछ हथियारबन्द बड़े किसानों ने बन्दूक के साथ हमला किया और दो घर जला दिये ? उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सम्मनपुर में दफा १४३/१४४, ३०७/४३६ के अन्तर्गत दर्ज की गई ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर कोई जांच या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

दिनांक २६-२-७० को श्री पुनई, निवासी ग्राम बढ़ईपुर, थाना समनपुर, जिला फैजाबाद ने थाना समनपुर पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि ग्राम बरियावन, थाना समनपुर के १४ व्यक्ति २५-२-७० की रात्रि में लाठी, भाला, बल्लम और बन्दूकों से लैस होकर आये और वादी का मकान फूंक दिया और उसे लाठी से मारने लगे । वादी की चिल्लाहट सुनकर गांव के लोग आ गये और आग बुझाने लगे जिस पर अभियुक्तों ने गोली चलाई किन्तु गांव के लोगों द्वारा ईंट-ढेले फेंके जाने पर भाग गये । इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा १४३/१४४/३०७/४३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी जांच हो रही है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री राम प्रसाद देशमुख—

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

राज्य विद्युत् परिषद् कर्मचारियों के वेतन से फण्ड के लिये कटौती

*२—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत् परिषद् ने इम्पलाईज़ प्रावीडेंट फंड स्कीम तथा गवर्नमेंट प्राविडेन्ट फंड स्कीम के मातहत कर्मचारियों की कटौती का कितना पैसा जमा नहीं किया और यह पैसा कब से जमा नहीं किया गया है ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री रामप्रसाद देशमुख)—

गवर्नमेंट प्रावीडेन्ट फण्ड के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कटौती की धनराशि परिषद् ने सरकारी खजाने में जमा कर दिया है और बराबर कर रहे हैं । इसमें कोई बकाया नहीं है ।

परिषद् के दोनों अनुभागों, जल विद्युत् तथा केसा द्वारा जनवरी, १९७० तक कर्मचारी निर्वाह निधि योजना के अन्तर्गत की गई कटौती भी जमा कर दी गई है ।

श्री सजीवन लाल—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कटौती का रुपया अन्तिम बार कब जमा किया गया और वह किस अवधि का था ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, जो सूचना मुझे प्राप्त हुयी है उसके अनुसार जनवरी, १९७० तक का सब रुपया जमा कर दिया गया है । मैं तो यही कह सकता हूं कि दिसम्बर, १९६९ व जनवरी, १९७० तक का सब पैसा जमा कर दिया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस-जिस महीने में सरकारी कर्मचारियों का फण्ड काटा जाता है क्या उन्हीं महीनों में वह रुपया जमा हो जाता है और विद्युत् परिषद् उसे अपने पास नहीं रखती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कुछ जिलों से ऐसी शिकायतें आयी थीं जहां पर ३–३, ४–४ और २–२ महीनों के बाद कर्मचारियों का कटौती का पैसा जमा हुआ था।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्कीम के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि कर्मचारियों से कटौती की गयी और जमा की गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मेरे पास जुलाई, १९६९ तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। १,५६,८५,००० रु० जमा हुये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

धन जमा करने में जो अनियमिततायें होती हैं, या देरी होती है, क्या मन्त्री जी उसके विषय में भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, कुछ देरी तो फार्म्स वगैरह के देर से पहुंचने के कारण हुयी। इस कारण कुछ ढिले हो गयी। फिर भी, नियमानुसार कार्य चलता रहे, इसके लिये हम प्रयत्नशील रहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जबकि यह रुपया सरकार द्वारा काटा जाता है, मगर फिर भी कर्मचारियों को ई० एस० आई० की सुविधा नहीं मिलती है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या उस रुपये की रसीद नहीं दी जाती है जो काटा जाता है ?

श्री गोविन्द सिंह—

एम्प्लाइज इंशोरेन्स स्कीम के अन्तर्गत पैसा मजदूरों का काटा जाता है, मगर उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैं समझ नहीं पाया क्या सुविधा नहीं दी जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह—

जो रुपया मजदूरों के वेतन से काटा जाता है उसका लाभ उनको नहीं मिलता है। क्या मन्त्री जी को इसकी सूचना है ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी पूछ रहे हैं वह कौन सा लाभ है जो कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है।

(श्री गोविन्दसिंह फिर खड़े नहीं हुये।)

*३—श्री रामप्रसाद देशमुख—

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

जल विद्युत् उपकेन्द्र, रुधौली से ठेकेदार को भुगतान

*४—श्री सुखपाल पांडेय (जिल बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुधौली, जिला बस्ती जल विद्युत् उपकेन्द्र के ठेकेदार ने कब-कब कितने-कितने रुपये का चेक गत वित्तीय वर्ष में विभाग से लिया ? क्या उपरोक्त पेशगी था ? यदि पेशगी था, तो कार्य पूरा हो गया कि नहीं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

रुधौली जल विद्युत उपकेन्द्र में केवल पुताई और रंगाई का कार्य अक्तूबर, १९६७ में हुआ था जिसका भुगतान ३४९ रु० ४८ पैसे चेक द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कार्य पूरा होने के बाद कर दिया गया था ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कोई काम नहीं किया गया और ठेकेदार को एडवांस चेक दे दिया गया और जिस ठेकेदार को दिया गया उसका नाम क्या है ?

श्री विरेन्द्र वर्मा—

मैंने तो स्पष्ट उत्तर दे दिया कि कोई पेशगी नहीं दिया गया । जो काम रंगाई और पुताई का हुआ था उसके लिये ३४९ रु० दिये गये । अगर कोई और चीज लिख कर देंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री शंभूनाथ चौधरी—

इसके पढ़ने से ऐसा ज्ञात हो रहा है कि यह स्थायी ठेकेदार है, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह परमानेंट ठेकेदार है ?

श्री वीरन्द्र वर्मा—

परमानेन्ट है या नहीं इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पुताई का काम हुआ ही नहीं और पेमेंट कर दिया गया ? और यदि ऐसा है तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह शिकायत मेरे पास नहीं आई और यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जरूर जांच करायेंगे ।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैंने अपने प्रश्न में ठेकेदार का नाम पूंछा था । क्या मंत्री जी उस ठेकेदार का नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह बाद में आपको दे देंगे ।

[१२ मार्च, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[५ वें सोमवार के प्रश्न संख्या २-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३-४--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[३रे मंगलवार के प्रश्न संख्या ३७-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

खटीमा तहसील में जमीन के झगड़े में मृत व्यक्ति

*५—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या पुलिस मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील किच्छा के ग्राम सिसइया में मई माह के प्रथम सप्ताह में जमीन के झगड़े को लेकर जो गोलियां चलीं उसमें कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुये ?

गृह उप-मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

जिला नैनीताल की तहसील खटीमा न कि किच्छा के ग्राम सिसइया में मई, १९६९ में जमीन के झगड़े को लेकर गोली चलने की जो घटना हुई उसमें दो व्यक्ति घटनास्थल पर मार गये तथा १७ व्यक्ति घायल हुये ।

श्री इन्द्रलाल--

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति घटना स्थल पर मारे गये वे कौन व्यक्ति थे और किन व्यक्तियों द्वारा गोली चलाई गयी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

यह जमीन कैनाल डिपार्टमेन्ट शारदा सागर की थी जिसमें अवैधानिक रूप से खेती कर रहे थे और जिनसे झगड़ा हुआ वह भी अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते थे । यह व्यक्ति सम्भवतः हरिजन थे ।

श्री इन्द्र लाल--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोली किनके द्वारा चलाई गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दूसरी पार्टी जिसमें राय सिक्ख थे उन्होंने गोलियां चलाईं ।

श्री गोविन्दसिंह--

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा दायर कर दिया गया या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मुकदमा दायर हो चुका है और सेशन कोर्ट से नौ अभियुक्त बरी हो चुके हैं । चार अभियुक्त अभी पेश नहीं हुए हैं । उनके खिलाफ जांच जारी है और ८७/८८ की कार्यवाही हो रही है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

उनका निश्चित सवाल यह है कि क्या जो यह झगड़े होते हैं इनके पीछे गलत इन्दराज लेखपाल के द्वारा और पुलिस की अकर्मण्यता है?

श्री चरण सिंह--

यह भी कारण हो सकता है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिस दल ने गोली चलायी है वे किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसे सूचना मान कर इस बात की तसल्ली करेंगे कि वहां पर कुछ नक्सलाइट्स का भी हाथ हो सकता है ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह तो एक मामला है । इससे यह नतीजा निकालना कि नक्साइट्स का हाथ हो सकता है यह नहीं कहा जा सकता । लेकिन अगर उनका यह खयाल है कि नक्सा-लाइटस का हाथ है तो मालूम कराया जायगा ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जो चार आदमी ऐक्सकांड कर रहें हैं वे कौन-कौन हैं और वे कहां के रहने वाले हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उनमें एक हैं सरदार बलवीर सिंह, दूसरे हैं सरदार निरंजन सिंह, तीसरे हैं ज्ञानी खुशाल सिंह और चौथे हैं करम सिंह ।

श्री रामधारी शास्त्री—

ये कहां के रहने वाले हैं यह भी मैंने पूछा है ।

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामधारी शास्त्री—

श्रीमन, यह प्रश्न तो स्पष्ट था । उस सम्बन्ध में यही नहीं सूचना है, तो क्या मंत्री जी के पास एफ० आई० आर० नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

उनके पास सूचना यह नहीं होगी कि कहां के रहने वाले हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन, ८७–८८ की कार्यवाही पिछले कई महीनों से चल रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि ८७–८८ की कार्यवाही की जा चुकी है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

८७–८८ तो एक बड़ी वेग बात है । निश्चित बतायें कि अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चरण सिंह—

८७–८८, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिस कार्यवाही की इजाजत पुलिस को है हर तरह की, अर्थात प्रोक्लेमेशन वगरह की और अटैचमेंट प्रापर्टी का होता है, वह भी हो गया होगा ।

अनुसूचित जातीय आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा पी० सी० एस०

*६—श्री इन्द्रलाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त प्रदेश में अनुसूचित जाति के कितने आफिसर्स आई० ए० एस०, आई० पी० एस० तथा पी० सी० एस० के सर्विस में तैनात हैं और उनका प्रदेश से अन्य गजटेड आफिसर्स में क्या प्रतिशत है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

आई० ए० एस०	..	२९१ में २१
आई० पी० एस०	..	२३३ में १२
पी० सी० एस०	..	५२९ में ५७

अन्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में जो सूचना अभी तक उपलब्ध हो चुकी है उसकी सूची संलग्न है । ज्यों ही और विभागों से सूचना प्राप्त होगी वह माननीय सदस्य को बता दी जायगी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२६०–१२६२ पर)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इस तालिका से स्पष्ट है कि हरिजन अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व उचित मात्रा में नहीं रह रहा है । तो क्या सरकार उनका उचित प्रतिनिधित्व लाने के लिये उन्हें नौकरियों में और सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह समस्या बहुत पुरानी है, नयी नहीं है और इसका हल निकालना आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें कठिनाई यह है कि जो मिनिमम एफिशेन्सी या क्वालिफिकेशन की जरुरत है आया इसमें कोई ढिलाई की जाय ? इसमें २ राय हो सकती हैं । एक तो यह कि उनके लिये जरा ढिलाई की जाय और उनका प्रतिशत पूरा कर दिया जाय चाहे उनके मार्क्स केवल २० प्रतिशत ही क्यों न हों लेकिन दूसरी तरफ यह राय है कि रिजर्वेशन के माने यह नहीं हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन हो और उसमें जितने आयें वे लिये जायं और दूसरे लोग जितने कि कम्पीटीशन से आयें . . . .आप इजाजत दें, जरा ब्योरे से मैं समझा दूं थोड़ा समय लग जायगा । मान लीजिये कि पी० सी० एस० में ५० प्रतिशत मिनिमम नम्बर आना चाहिये और लड़कों के नम्बर आते हैं ८५,७०,६५ और ५५ और अनुसूचित के अलावा दूसरे जितने और १० लड़के लेने हैं, तो १० जो यह लिये जांय, हो सकता है कि आखिरी लड़के के मार्क्स ६० हों, उनका कम्पीटीशन तो सबके बीच में होगा । तो परीक्षा में अनुसूचित जातियों के कम से कम ५० नम्बर तो आने चाहिये, चाहे १०–१५ प्रतिशत का फर्क रह जाय लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन तो पूरी हो । तो इस तरह से अगर कम्पीटीशन की बात होती है तो उसमें एक भी नहीं आता, क्योंकि मान लें कि उनके ५०–५२ या ५५ आते हैं और ६० किसी के नहीं आये और मिनिमम ६० तक के लिये गये । तो इस नीति पर कमीशन चल रहा है, उनका कहना है कि बिना लिहाज योग्यता के किसी मिनिमम क्वालिफिकेशन के अगर १८ प्रतिशत पूरा करेंगे तो वह संविधान के कानूनन खिलाफ होगा और उससे एफीशियेंसी भी गिरेगी, यह इसका दूसरा पहलू है लेकिन मेम्बरान की जो भावनायें हैं उनकी मैं कद्र करता हूं और कोई बात मुझे बताई जायगी तो हम उस पर विचार करेंगे । मैं खुद चाहता हूं और यह सरकार चाहती है कि उनका प्रतिशत पूरा हो लेकिन यह कोई आसान बात नहीं है, साथ ही सवाल इसमें एफीशियेंसी का भी है ।

श्री गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)—

मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अभी तक जो इन जातियों के लड़कों में इफीशियेंसी है और उनमें एफीशियेंसी नहीं आई है तो क्या उनको आगे एफीशियेंट बनाना संविधान के अनुसार सरकार का फर्ज नहीं है ?

श्री चरण सिंह—

वह है, लेकिन धीरे-धीरे एजूकेशन होगी तब वह आयेगी, एक दिन में नहीं आती।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गजटेड आफिसर्स के लिये योग्यता की कमी इनमें हो सकती है लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो चौथी क्लास के एम्प्लाइज है या निम्न श्रेणी के क्लर्क आदि हैं या जो अनस्किल्ड लेबर वगैरह में लोग लिये जाते हैं उन वर्गों में जो प्रतिशत की कमी है उसको पूरा करने के लिये क्या वह शीघ्र कोई कदम उठायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह प्रश्न तो केवल आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और पी० सी० एस० सर्विसेज का ही था। मुख्य मंत्री जी चाहें तो उत्तर दे दें।

श्री चरणसिंह—

सदन की जानकारी के लिये माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया वह बिलकुल ठीक है। यह जो नीचे के वर्ग हैं सर्विसेज के इनमें फिजिकल एफीशियेंसी और शैक्षिक योग्यता की जरूरत होती है। आज इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूं कि जब मेरे पास ३ विभाग थे तो मैंने आदेश दिये थे कि यह लोअर ग्रेड के कर्मचारी शतप्रतिशत अनुसूचित जातियों के ही लिये जायं जब तक कि उनका प्रतिशत पूरा न कर दिया जाय। लेकिन जब गवर्नमेंट आफ इंडिया में यह रिपोर्ट पढ़ी गई तो उन्होंने अप्वाइंटमेंट डिपार्टमेंट को लिखा कि मिनिस्ट्री आफ फारेस्ट और एनीमल हस्बेंडरी ने जो बयान अखबारों में दिया है, वह संविधान के खिलाफ है, शत प्रतिशत वह नहीं लिये जा सकते, उन्होंने कहा कि हम ४५ प्रतिशत करने की बात सोच रहे हैं। इस तरह से वह आदेश रद्द हो गये और ४५ प्रतिशत किया गया। इस तरह से यह जो चौथी श्रेणी के लोग है या पीउन्स वगैरा है उनके लिये अब ४५ प्रतिशत का रिजर्वेशन है और उसमें सवाल नहीं उठता मार्क्स वगैरह का। तो यह हुआ कि २५ परसेंट लिये जायंगे जब तक कि वे १८ परसेन्ट नहीं होंगे लेकिन ऊपर की श्रेणियों के लिये ऐसा नहीं है।

*७–८—श्री रियासत हुसन—

[३रे सोमवार के प्र० सं० २८–२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९–१०—श्री जयराम यादव—

[४थे सोमवार के प्र० सं० ७–८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११–१२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[४थे सोमवार के प्र० सं० ९–१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१३–१४—श्री मंजूर अहमद—

[छठें मंगलवार के प्र० सं० ९–१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय में विशेष अर्हकारी परीक्षा

*१५—श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि सचिवालय में अस्थाई (एडहाक) अवर वर्ग सहायकों की संख्या जिनकी सेवायें इस समय १० वर्ष से अधिक हो चुकी हैं कुल कितनी हैं और इनमें स्नातकों की संख्या क्या है ? सरकार उनके स्थायी करने हेतु क्या कदम उठा रही है ? क्या सन् १९६३ से कोई विशेष अर्हकारी परीक्षा (Special qualifying Examination) सचिवालय में नहीं हुआ और उक्त सन् में जो परीक्षा हुई भी थी उसे भी अन्त में शासन ने रद्द कर दिया ? यह परीक्षा पुनः क्यों नहीं कराई गई और अब यह परीक्षा कब होगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सचिवालय में इस समय अस्थायी (एडहाक) अवर वर्ग सहायकों की संख्या, जिनकी सेवायें इस समय १० वर्ष से अधिक हो चुकी हैं, कुल १२१ है जिनमें से ४६ स्नातक हैं। शासन ने सन् १९६४ में उनके स्थायी करने हेतु एक विशेष अर्हकारी परीक्षा करायी थी जिसमें लोक सेवा आयोग ने पाया कि परीक्षार्थियों ने बड़ी संख्या में नकल की जिसके कारण आयोग ने उक्त परीक्षा को रद्द घोषित कर दिया। लोक सेवा आयोग द्वारा अगली अर्हकारी परीक्षा कराने के प्रश्न पर सरकार आयोग से परामर्श कर रही है और इस परीक्षा के शीघ्र ही होने की सम्भावना है।

श्री जगवीर सिंह—

क्या सरकार १० वर्ष की अवधि से अधिक समय वाले सभी ऐसे व्यक्तियों को स्थायी करने पर विचार करेगी और यदि नहीं, तो उनमें से जो स्नातक हैं, उनको स्थायी करने पर ही सरकार विचार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हमने लोक सेवा आयोग को लिखा है कि दुबारा परीक्षा हो। यह परीक्षा के द्वारा ही संभव हो सकेगा।

श्री जगबीर सिंह—

१९६४ से आज तक परीक्षा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जैसा मैंने अभी निवेदन किया हमने लोक सेवा आयोग को लिखा हुआ है और जैसे ही उनकी स्वीकृति आ जायगी, हम परीक्षा लिवा सकेंगे।

श्री जगवीर सिंह—

श्रीमन्, मैंने तो मंत्री जी से केवल कारण जानना चाहा था कि परीक्षा न होने के क्या कारण हैं और दूसरे क्या सरकार आज भी यह घोषणा करने को तैयार है कि इस वर्ष के अन्दर ही परीक्षा हो सकेगी ?

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, इसमें देरी का कारण यह हो जाता है कि जो सब्स्टेन्टिव पोस्ट्स सरकार की तरफ से मंजूर होती हैं उनसे अधिक अगर आदमियों की मांग बढ़ती है तो कुछ दिनों तक यह देखा जाता है कि उनकी जरूरत है या नहीं। अगर कुछ लोग टेम्पोरेरी रह गये तो यह सम्भव नहीं है कि एक साल में या २ साल में उन्हें स्थायी कर दिया जाय। सरकार जब इस नतीजे पर पहुंचती है कि जितनी सब्स्टेन्टिव पोस्ट्स हैं, उनसे ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है तब स्थायी करने का निर्णय लिया जाता है। तब ही पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा जाता है। एक साल की जो कैद है उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा है। मुमकिन है कि वह हमसे कोई सवाल या क्वैरी कर ले। लकिन कोशिश की जा रही है कि जल्दी से परीक्षा हो सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि एक साल तो नहीं ३ साल तक की अवधि के जो कर्मचारी हैं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार में क्वासी परमामेन्ट हो जाते है, उनकी छंटनी नहीं की जायगी और उनको स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री चरणसिंह—

मैं कोई ऐसा आश्वासन देने को तैयार नहीं हूं बिना सोचे समझे आप अपने सवाल से मुझे पालिसी पर बाइंड करना चाहते हैं। मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बताया कि १९६४ का जो क्वालिफाइंग टैस्ट हुआ था वह इसलिये रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें लोगों ने ज्यादातर नकल की थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इमानदारी से परीक्षा दी और नकल नहीं की उनकी उन्नति का अवसर क्यों काटा गया ?

श्री चरणसिंह—

जब बड़ी संख्या ने नकल की तो यह कहना मुश्किल हो जाता है किसने नहीं की।

श्री हिम्मतसिंह—

लोक सेवा आयोग को इसके लिये पत्र कब लिखा गया है ?

श्री चरणसिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्णानन्द राय—

सचिवालय के कर्मचारियों में असंतोष का एक कारण यह है कि वे १० वर्षों से टेम्पोरेरी चले आ रहे है, तो क्या सरकार उन्हें परमानेंट करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री चरण सिंह—

लोक सेवा आयोग से बातें हो रही हैं, उनकी परीक्षा के लिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, १०–१० वर्ष काम करने के बाद अब उन्हें परीक्षा में बैठना पड़ेगा, मुझ एक प्रश्न पूछने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जबाब दे दिया है।

एक्साइज मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी के विचाराधीन मुकदमें

*१६—श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के शिकोहाबाद नगर में देशी शराब की कितनी दूकानें किन-किन व्यक्तियों के नाम से कितने समय से हैं और उन पर पृथक-पृथक शराब में गड़बड़ी करने के कारण कितने मकदमे एक्साइज मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी के न्यायालय में चल रहे है ?

*१७—उपरोक्त ठेकेदारों को १ जनवरी, १९६८ से ३० जुलाई, १९६९ तक उपरोक्त न्यायाधीश ने कितनी बार किन-किन केसों में दन्डित किया तथा जो बुकानवार दन्डित हुये हैं उनके शराब बेचने के लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

१६—सचना एकत्रित की जा रही है ।

१७—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१८—श्री रामदेव—

[३रे सोमवार के प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना कोतवाली प्रतापगढ़ में श्री रमाशंकर पाठक पर आक्रमण

*१९—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जिलान्तर्गत कंधई मधुपुर थाने में अभी हाल ही में ५ या ६ अगस्त के सांयकाल में श्री रमाशंकर पाठक, निवासी बिबियाकरनपुर के ऊपर कतिपय हत्यारों ने जान से मार डालने की नियत से आक्रमण किया और बेतहाशा मार कर उन्हें मरणासन्न कर दिया ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति नामजद हैं और पुलिस ने अभी तक क्या कार्य-वाही की ? नामजद अभियुक्तों में से कितने विभिन्न डकैतियों एवं हत्याओं के अभियुक्त हैं और वे क्यों और कैसे जेल से बाहर हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

दिनांक ५ या ६ अगस्त को तो नहीं वरन् ७ अगस्त, १९६९, की शाम को थाना कोतवाली प्रतापगढ़ में अमुक व्यक्तियों के विरुद्ध श्री रमाशंकर पाठक को जान से मारने की नीयत से हमला करने की रिपोर्ट धारा १४७/१४८/३२३/३२४/३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गयी । इसमें ६ व्यक्ति नामजद है । इस सूचना पर बाद में थाना कन्धई में मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना पूरी नहीं हुई है । नामजद व्यक्तियों में से एक डकैती तथा दो हत्या के अन्य मुकदमों के अभियुक्त है जो न्यायालयों द्वारा जमानत पर छूटे हुये हैं ।

श्री रामदेव—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन व्यक्तियों ने श्री रमाशंकर पाठक को जान से मार डालने की नियत से आक्रमण किया उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

एफ० आई० आर० में जो नाम दर्ज हैं वे यह हैं—राम सनेही, पुत्र राम प्रसाद, छोटेलाल, पुत्र प्रेमनारायण, पुत्र राम प्रसाद, अजब नारायण, पुत्र राम सनेही राजपत, पुत्र माता सरन, तथा तीरथराज, पुत्र ओंकार नाथ ।

श्री रामदेव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें कौन-कौन व्यक्ति पहले से ही डकैती और हत्या के जुर्म में अभियुक्त थे?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इनमें एक अभियुक्त पहले डकैती में सजा पा चुका है । एक पर डकैती का मुकदमा चल रहा है । दो पर कत्ल का मुकदमा चल रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या इन नामजद अभियुक्तों के अलावा भी कुछ लोग और हैं जिनकी अभी शिनाख्त होना है?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

उसकी सूचना नहीं है ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

क्या इन्वेस्टीगेशन अभी चल रहा है या समाप्त हो गया है ?

श्री चरण सिंह---

वह तो जवाब में बताया है कि अभी चल रहा है ।

श्री गोविन्द सिंह---

इस हमले के पीछे मोटिव क्या था?

श्री चरण सिंह---

यह नहीं बताया जा सकता, यह अदालत तय करेगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गयी है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

अभी जांच जारी है, यह तो अभी निवेदन किया है ।

श्री रामदेव---

जो व्यक्ति पहले से ही हत्या और डकैती में अभियुक्त थे, क्या उनकी जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस ने कोई कार्यवाही की या करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

उनकी जमानत जब्त कराने के लिए, कोई भी सूचना जो वादी हैं, उन्होंने नहीं दी । यदि लिखा-पढ़ी करते तो उस पर विचार होता ।

*२०---श्री हिम्मत सिंह---

[३रे सोमवार के प्र० सं० ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*२१---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

[३रे सोमवार के प्र० सं० ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२२-२३---श्री शिवानन्द नौटियाल---

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ३९-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२४-२५---श्री मरहम सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम---

[३रे मंगलवार के प्र० सं ४१-४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जगनेर थाना में श्री दुलीचन्द के घर डकैती

*२६---श्री अनन्तराम जायसवाल (अनुपस्थित)---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक १७ सितम्बर, १९६९ को बाराबंकी के एक विधायक की चिट्ठी के साथ उन्हें श्री दुलीचन्द पुत्र श्री बीघाराम, निवासी ग्राम झीठपुरा, मजरा गुगामद, थाना जगनेर, जिला आगरा का प्रार्थना पत्र दिनांक ६ सितम्बर, १९६९प्राप्त हुआ, जिसमें यह शिकायत की गई है कि प्रार्थी दुलीचन्द के घर पर दिनांक १६ अगस्त, १९६९ की रात लगभग १२ बजे मुसल्लह डाका पड़ा, जिसमें बन्दूक, पत्थर व लाठी का इस्तेमाल किया गया और जिसके दौरान श्री चन्दनसिंह पुत्र दुलीचन्द मलखे पुत्र सलका व सलका पुत्र लालहंस जान से मारे गये तथा मनीराम पुत्र सलका, कलावती पत्नी सलका, दुलीचन्द पुत्र बीघाराम सुन्दरलाल पुत्र पोखन व बच्चू पुत्र दुलीचन्द घायल हुये ?

श्री चरण सिंह---

जी हां, प्रश्न कर्त्ता की चिट्ठी के साथ श्री दुलीचन्द का प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसमें इस प्रकार की शिकायत थी ।

*२७---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या गृह मन्त्री यह भी बतायेंगे कि क्या दुलीचन्द ने अपने उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र में यह भी शिकायत की है कि पुलिस थाना, जगनेर नामजद मुलजिमान शिवचरन पुत्र नट कुमार, बीरबल पुत्र नन्दकुमार, डालू पुत्र शिवचरन, लाखन थाना सिंह और श्री चन्द के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर रही है? यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---

जी हां ।

जांच से यह पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल तीन अभियुक्त लाखन सिंह, थान सिंह और श्री चन्द ही नामांकित थे । इन तीनों अभियुक्तों ने अदालत में आत्मसमर्पण किया तथा इनके विरुद्ध चार्जशीट अदालत भेजी गयी । उच्च पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर गये व पूछताछ की परन्तु किसी अन्य अभियुक्त का नाम पता न चल सका । दिनांक ४-१०-६७ को वादी ने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें शिवचरन, डालू व बीरबल का भी अपराध में सम्मिलित होना बताया । शिवचरन को गिरफ्तार किया गया तथा डालू और बीरबल ने अदालत में आत्म समर्पण किया । इस अपराध से सम्बन्धित दो अभियुक्त शिव दयाल व सिरमौर भी गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध भी चार्जशीटें अदालत भेजी जा चुकी है ।

पुलिस की विवेचना समाप्त होने के पूर्व ही दिनांक १-१२-६९ को श्री दुलीचन्द वादी ने लाखन सिंह, थान सिंह, श्री चन्द, बीरबल, शिवचरन, डालू और सिरमौर के विरुद्ध धारा १४७/१४८/१४९/३०२/४०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत इस्तगासा कर दिया जो न्यायालय में विचाराधीन है अतएव शिवचरन, डालू तथा बीरबल के विरुद्ध आगे की पुलिस की कार्यवाही रोक दी गई है । कुछ अन्य अभियुक्त भी जांच से प्रकाश में आये है जिनके विरुद्ध कार्यवाही जारी है ।

थानाध्यक्ष, राजेपुर के विरुद्ध श्री लल्लू का शिकायती पत्र

*२८---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अमरपुर, मड़इया,थाना राजेपुर, फर्रुखाबाद के श्री लल्लू जाटव, गृह सचिव तथा आई० जी० पुलिस को अगस्त, १९६८ में राजेपुर पुलिस द्वारा डकैती की रिपोर्ट न लिखने के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र में क्या शिकायत की गई थी और किस अधिकारी से जांच कराई गई थी तथा उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

जी हां, श्री लल्लू पुत्र गोविन्द साकिन अम्मर पुर को मड़इया थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद का एक शिकायती पत्र दिनांक २०-८-६८ प्राप्त हुआ था । इस पत्र में थानाध्यक्ष राजेपुर के विरुद्ध प्रार्थी के घर में पड़ी डकैती की रिपोर्ट दर्ज न करने और डकैती के मामले में जांच न किये जाने आदि की शिकायतें थी । उक्त शिकायती-पत्र की जांच अतिरिक्त एस० डी० एम० सदर द्वारा की गई । डकैती की रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने यह विचार व्यक्त किया कि शिकायत कर्त्ता के घर पर संभवत: कोई घटना हुई थी किन्तु उन्होंने इस विषय में कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं की क्योंकि इसी मामले से सम्बन्धित एक अन्य डकैती का का मामला न्यायालय में विचाराधीन था । पुलिस महानिरीक्षक को आदेश भेज दिये गये हैं कि यदि उक्त डकैती के मामले में निर्णय हो गया हो तो वे प्रार्थी की शिकायत की गहरी जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री महरम सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा गम्भीर विषय है डकैती की रिपोर्ट न लिखने के बारे में है, क्या मंत्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र दिया गया था, पुलिस अधिकारियों या जिलाधीश को, उसकी जांच केवल एस० डी० एम से ही करायी गयी थी या अन्य अधिकारियों से भी करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट और एस० डी० एम० की रिपोर्ट में कोई अन्तर है, या एक हैं ।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इसकी जांच एस० डी० एम० से कराई थी और एस० ओ० से भी कराई गई थी ।

श्री महरम सिंह--

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला । यदि एस० डी० एम० के अलावा एस० ओ० ने भी जांच की तो दोनों अधिकारियों की रिपोर्ट में फर्क है या नहीं ? यदि है, तो क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

उसमें कोई ऐसा अन्तर नहीं है । चूंकि एक दूसरा मामला डकैती के सम्बन्ध में न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये उस पर ज्यादा प्रकाश डालना सम्भव नहीं है ।

श्री महरम सिंह--

दूसरा मामला जिसका मुकदमा न्यायालय में है, उसका इससे, जिसमें रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, क्या सम्बन्ध है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

उस दिन उसी गांव के निकट दूसरी डकैती पड़ी है, जिसमें हमारे अभियुक्त नामजद हैं और उनका मुकदमा चल रहा है ।

हड़ताल से संबंधित दण्डित राज्य कर्मचारी

*२६--श्री रामगोपाल संड--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६६-६७ की राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित कितने कर्मचारी अब तक निलम्बित है तथा कितने कर्मचारी सेवा मुक्त कर दिये गये हैं ? क्या सरकार उन्हें गांधी शताब्दी के अवसर पर क्षमा कर पुनः उनको काम पर ले लेगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, कुल १६ कर्मचारी निलम्बित हैं, तथा १२ कर्मचारियों को सेवा से डिसमिस अथवा रिमूव कर दिया गया है ।

किन्तु जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, अपने दण्डित कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने की इस सरकार की नीति नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १६ कर्मचारियों को, जिनकी सूचना दी गई है, निलम्बित किए हुए ५ वर्ष हो गये हैं, तो इनको कब तक न्याय मिलेगा ? और कब तक सेवा में ले लिये जायंगे । क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो यह कब तक तय हो जायगा ?

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इसका अरसा काफी हुआ है । किन्तु मुझे मुश्किल से २० दिन का समय मिला है, कोशिश करूंगा कि जल्दी तय हो जाये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह देखते हुये कि यह सरकारी कर्मचारियों के साथ जो कुछ हुआ उस समय हुआ था जबकि माननीय मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री थे, और फिर शासन उन्हीं के हाथ में आ गया है, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति के हाथ में सरकार हो, चाहे ऐक्शन लेने में हाथ न हो, कोई ऐसी कमेटी गठित करेंगे जिसमें कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि हो और अधिकारी भी हों, वह निर्णय करे केन्द्रीय सरकार की बात को ध्यान में रखते हुए ?

श्री चरणसिंह—

मैं माननीय त्रिपाठी जी से इस सवाल की उम्मीद नहीं करता था। मेरा पर्सनल मामला था क्या ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

पर्सनल समझते हैं तो मैं वापस लेता हूं। जिस सरकार के अध्यक्ष हों, उसी सरकार ने किया था। कोई ऐसी कमेटी गठित करेंगे जिसमें कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि हो और अधिकारी हो, जो उसको देखे ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, राज कर्मचारियों में इनडिसिप्लिन या और किसी किस्म की शिकायत होती है तो कानून के मुताबिक दूसरे अधिकारी उसको देखते हैं। गवर्नमेंट का कोई मेम्बर स्वयं तहकीकात नहीं करता है। फिर अपील वगैरह करने का हक होता है वह गवर्नमेंट तक आती है। अगर माननीय मित्र की बात मान ली जाय तो चाहे कहीं से सरकारी कर्मचारियों के सिलसिले में शिकायत आये, तो बिहार गवर्नमेंट या हाई कोर्ट तय करे, यह नामुमकिन है, मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक नार्मल स्थिति लानी चाहिये प्रदेश के अन्दर। जो बात हो गयी हो गयी। केन्द्रीय सरकार ने भी ऐसा किया है। तो क्या आप भी उसी दिशा में कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, उदारता और अनुदारता का प्रश्न नहीं उठता है। मेरा कोई निजी मामला होता तो जितनी उदारता वह चाहें मैं करने के लिये तैयार हूं। प्रश्न निजी नहीं है, उसूल का है, डिसिप्लिन का है, दुनिया में जिस प्रकार गवर्नमेंट चलती है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि १० तारीख को कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला था, दंडित कर्मचारियों को क्षमा कर दिया जाय उस विषय में माननीय मुख्य मंत्री ने क्या निर्णय लिया ?

श्री चरणसिंह—

एक राज्य कर्मचारी ने मुझे यह लिखा कि कोई आल इंडिया आर्गेनाइजेशन बना है उसके कोई अंग है, उन्होंने लिखा कि हम मेमोरैण्डम देना चाहते हैं, हमारी मीटिंग में आ जाइये। चूंकि गवर्नमेंट से वह अनरेकगनाइज्ड था इसलिये हमने जबाव नहीं दिया। परसों की बात है हमारे एक विधायक साहब ने बड़ी सिफारिश की कि मेमोरण्डम तो ले ही लीजिये। मैं बैठा हुआ था आपके यहां मीटिंग में। मैंने जबाव भेज दिया कि मेमोरैण्डम मैं लेने को तैयार हूं लेकिन किसी वादविवाद में नहीं पड़ूंगा। तो आये मेमोरैण्डम देने के लिये, जैसा होता है, कभी कोई बात मानता नहीं, उन्होंने अपनी बात कहना शुरू कर दिया। हमने जो जवाब दिया यही जबाव उनको दे दिया।

*३०—श्री उपेन्द्रनाथ—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*३१—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[प्रश्नकर्त्ता के मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*३२—श्री हरिवंश सहाय—

[४थे सोमवार के प्र० सं० ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३३—श्री रामपूजन पटेल तथा श्री राजित राम पाण्डेय—

[३रें मंगलवार क प्र० सं० ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३४—श्री रामपूजन पटेल—

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

त्रिलोकपुर थाने के घूसखोर पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*३५—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जुलाई, १९६९ में बस्ती जिला के त्रिलोकपुर थाने का निरीक्षण डी० वाई० एस० पी० श्री दीक्षित द्वारा करने पर वहां एक ऐसा रोजनामचा जिसमें ५० हजार रुपये का घूस का विवरण है और ऐसे ही एक अन्य बही १८ हजार रुपये की प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण तथ्य सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जुलाई ६९ में नहीं बल्कि १३-५-६९ को श्री महेन्द्र पाल दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, बस्ती को थाना त्रिलोकपुर, जिला बस्ती के निरीक्षण के दौरान केवल एक ऐसा रजिस्टर मिला जिसमें थाने के पुलिस कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट उपायों से अर्जित धन के ब्योरे का अंकित होना प्रतीत हुआ । मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गई है । जांच जारी है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि पुलिस कर्मचारियों के द्वारा धनराशि अंकित का जो रजिस्टर मिला है उसमें कितनी धनराशि अंकित है और उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

रजिस्टर में जो धनराशि अंकित है उसको मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं कि:—

		रुपया
पृष्ठ १८, २८ पर	तारीख २७-१-६८	जमानत २०
	,, ३०-१-६९	पिडरिया २०
	,, ३-१-६९	पी० आर० ४
	,, ३-१-६९	बढहरता ३०
	,, ३-२-६९	सिकटा ३०
	,, ६-२-६९	२
	,, ८-२-६९	१०
	,, ९-२-६९	५
	,, अपठित	२५

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या यह धनराशि कुल ५० हजार रुपये के करीब थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

ऐसी कोई सूचना नहीं है परन्तु जैसा मैंने निवेदन किया इसकी जांच सी० आई० डी० कर रही है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

वहां के एस० ओ० और हेड कांस्टेबिल को निलम्बित किया गया है और जो दूसरे कर्मचारी थे उनका भी ट्रांसफर करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

*३६-३७--श्री रामलाल राही--

[३रे सोमवार के प्र० सं० ३३-३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३८--श्री ओम प्रकाश सिंह--

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*३९--श्री नगीना सिंह--

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम रखने के लिये समितियां

*४०--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को इस प्रकार का कोई निदेश दिया है कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र कायम रखने के लिये जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाय ? यदि हां, तो यह आदेश कब दिया गया ? कमेटियों के गठन का आधार क्या है तथा अब तक जिन जिलों में उक्त समितियां गठित कर दी गई हैं जिलावार उनके सदस्यों की सूची क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

१९६८ तथा १९६९ में शासन ने यह आदेश दिये थे कि जहां साम्प्रदायिक तनाव है या होने की आशंका है वहां जिलाधिकारी नागरिकों की समितियां सौहार्द्रपूर्ण वातावरण कायम करने के लिये बनायें । इन समितियों का कोई गठन नहीं किया गया था । केवल कहा गया था कि असामाजिक तत्वों को इनमें न रखा जाय ।

यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि कहां-कहां ऐसी समितियां बनीं । इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामधारी शास्त्री--

अब तक किन-किन जिलों में इस तरह की कमेटियां गठित हुई हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मैंने निवेदन किया कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ऐसी समितियां हर जिले में गठित हो जायं ताकि साम्प्रदायिकता का कोई तनाव न रहे ?

श्री चरणसिंह---

आदेश जा चुके हैं। हम मालूम कर रहे हैं कि कहां-कहां समिति बनी हैं। जब सही स्थिति होती है तब तो यह कमेटी महत्व नहीं रखती है। जब तनाव होता है तब बनाई जाती हैं और तब ही ये काम करती हैं। वैसे तो काम चलता ही रहता है।

पुलिस थानों में जीपें

*४१---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६९ तक प्रदेश के कुल कितने थानों में जीप गाड़ियां दी जा चुकी ह तथा कितने थाने ऐसे हैं जिनमें जीप गाड़ियां उपलब्ध नहीं ह ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितने थानों को जीप गाड़ियां देने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

३१ जुलाई, १९६९ तक प्रदेश में कुल १३२ थानों में जीप गाड़ियां दी गईं तथा ७८० थानों में जीप गाड़ियां उपलब्ध नहीं थीं। ५० और थानों पर गाड़ियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किन-किन स्थानों पर जीप गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

देवरिया जिले में दो थानों में खुखुन्दु और पडरौना में जीप गाड़ी दी गई है।

श्री नौनिहाल सिंह---

सरकार द्वारा जो नई गाड़ियां दी जाती हैं उन्हें तो जिले के आफिसर्स रख लेते हैं और छकड़ा गाड़ियां जिले के थानों को दे दी जाती हैं जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य अगर सूचना देंगे तो हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री हिम्मतसिंह---

जिन-जिन थानों को जीप गाड़ियां दी गई है उनकी क्राइम्स की तफतीश करने में एफिशियेंसी बढ़ी है तो क्या सरकार व्यवस्था करेगी कि अन्य थानों को भी जीपें मिल जायं ?

श्री चरणसिंह---

अभी ये गाड़ियां दिये हुये बहुत थोड़ा समय हुआ है और इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा जा सकता कि गाड़ियां देने से क्राइम्स में फर्क पड़ा है। जुर्मों के बढ़ने के बहुत से कारण हुआ करते हैं। यह जरूर है कि डाका पड़ा और ६ घंटे के बाद सब इन्सपेक्टर पहुंचा क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। इसलिये ट्रांसपोर्ट की फसिलिटी हम थानों को देना चाहते हैं।

श्री कल्यानसिंह—

इस बात को देखते हुये कि थानों को जीप गाड़ियां इसलिये दी गयी हैं कि उनकी कार्य-कुशलता और दक्षता बढ़े तो क्या प्रत्येक थाने में टेलीफोन लगाने की भी सरकार व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—

यह आदेश सन् ६७ के किये हुये थे और अब उन पर अमल हो रहा है। हर थाने में मुमकिन है टेलीफोन भी लग जायं। बहुत से थानों में टेलीफोन लगा भी दिये गये हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

जिन थानों में जीपें दी गयी हैं क्या उनमें तैनात सब-इन्सपेक्टरों को घोड़ा एलाउन्स और मोटर साइकिल एलाउन्स भी दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—

घोड़े का एलाउन्स पहले मिलता था। बीच में बन्द हो गया था क्योंकि आमतौर पर थानेदार घोड़ा रखते नहीं हैं। लेकिन इसके बारे में मालूमात करा लूंगा हालांकि जीप दी जाती है तो फिर घोड़ा एलाउन्स दिये जाने की जरूरत नहीं है।

मोटर साइकिल एलाउन्स का जहां तक सम्बन्ध है मोटर साइकिल प्राइवेट होती है उसकी फेसिलिटी सब को दी गयी है। सरकार उसमें सब्सिडी देती है ताकि थानेदार तेजी से कार्य कर सकें।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

यह जो प्रायरिटी दी जा रही है थानों को जीप के सम्बन्ध में यह किस आधार पर दी गयी है? रामपुर में कोई जीप अभी तक नहीं दी गयी ?

श्री चरणसिंह—

यह तो आई० जी० तय करते हैं। जहां जरूरी समझते हैं वहां देते हैं। रामपुर छोटा-सा जिला है। ६ तहसीलें हैं। वहां थाने बहुत हों लेकिन एरिया छोटा हुआ तो जीप नहीं दी गयी होगी।

श्री राम प्यारे—

भौगोलिक दृष्टि से जैसे मिर्जापुर और दुद्धी जसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां अगर मर्डर हो जाता है तो दरोगा ३, ४ रोज तक नहीं पहुंच पाता है तो क्या सरकार इस बात को दृष्टि में रखते हुए वहां जीप देने में प्रायरिटी की व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, कितना फिजीकल जुरिसडिक्शन है। केवल यही नहीं देखना है। लेकिन कहां ज्यादा जुर्म होते हैं यह भी देखा जाता है। यदि माननीय सदस्य अपने यहां ज्यादा जुर्म करा लेंगे तो वहां जरूर देंगे।

*४२—श्री ओम प्रकाश सिंह—

[प्रश्नकर्त्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*४३-४४—श्री महीलाल—

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ४७-४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[प्रश्न कर्त्ता के मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*४६--श्री रामगोपाल संड--

[३२ मंगलवार के प्र० सं० ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सतर्कता अधिष्टान तथा प्रशासनाधिकरण के विचाराधीन राजपत्रित अधिकारियों के मामले

*४७--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष राजपत्रित अधिकारियों के ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं जिन पर २ वर्ष से अधिक समय से विचार किया जा जा रहा है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह--

सतर्कता आयोग अधिकारियों के मामले में जांच नहीं करता है। सतर्कता अधिष्ठान तथा प्रशासनाधिकरण में यह काम होता है। १ जनवरी, १९७० को राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनाधिकरण में १३ मामले तथा सतर्कता अधिष्ठान में ५५ मामले २ वर्ष से अधिक के विचाराधीन थे।

*४८--श्री कृष्णस्वरूप--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सतर्कता आयोग के समक्ष कुल कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उपरोक्त दिनांक को प्रशासनाधिकरण में कुल ५७ मामले और सतर्कता अधिष्ठान में १२१ मामले विचाराधीन थे।

श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सतर्कता में जो मामले विचाराधीन हैं उनका निर्णय कब तक हो जायगा और कब से विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह--

जल्दी से जल्दी हो जायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसे भी मामले हैं जिनमें उन्होंने कुछ अधिकारियों को ससपेंड करने की सलाह दी है लेकिन वह सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं हुई ?

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, हो सकता है ऐसे हों। लेकिन मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। यदि माननीय मित्र बतायेंगे तो मैं तहकीकात करा लूंगा।

श्री कल्यानसिंह--

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिन राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मामले थे उनमें से कितने निलम्बित हैं ?

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*४९–५० श्री जगदीश गांधी तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ३६–३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५१—श्री बांकेलाल, श्री हरिबंश सहाय तथा श्री रामधारी शास्त्री—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*५२–श्री त्रिवेणी सहाय—

[३ रे सोमवार के प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५३–५४—श्री रामचन्द्र आजाद—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ३९–४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बबेरू थाने में लोनियापुरवा निवासी हरनरायन के पीटे जाने की रिपोर्ट

*५५—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के बबेरू थाने के अन्तर्गत गांव लोनियापुरवा (पतवन) के निवासी श्री हरनारायण ने दिनांक १५ नवम्बर, १९६८ को थाने में एक रिपोर्ट लिखा कर अपने पीटे जाने की सूचना दी थी ? यदि हां, तो उसमें क्या पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्या पुलिस को एक्सरे की रिपोर्ट मिली है ? जिसमें दो हड्डियों का टूटना स्पष्ट है तथा अन्य गम्भीर चोटें दिखाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या इस गम्भीर मामले में पुलिस से कार्यवाही चालू करने के लिए कहा जायगा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

श्री हरनरायन निवासी लोनियापुरवा मजरा पतवन, थाना बबेरू ने १५–११–६८ को थाना बबेरू में अपने पीटे जाने के बारे में सूचना दी जिसके आधार पर धारा ३२४ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा अदम तफसीश अंकित किया गया। पुलिस को एक्सरे की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई किन्तु डाक्टरी जांच की रिपोर्ट अवश्य प्राप्त हुई थी जिसमें बादी के तीन गम्भीर तथा छै साधारण चोटें होने का उल्लेख था।

अब पुलिस ने इस घटना की जांच कर ली है और अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट लगा दी है।

श्री दुर्जन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगर यह बात सत्य है तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

इसमें लिखा है कि चार्जशीट लगा दी गई।

हरगांव थाना के सब-इन्सपेक्टर श्री आर० के० टण्डन के विरुद्ध शिकायत

*५६—श्री रामलाल राही—(जिला सीतापुर)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६९ के ६ठें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या थाना हरगांव के सब-इन्सपेक्टर श्री टन्डन के विरुद्ध भी दिनांक ६ मई, सन् १९६९ को घूस लेने की शिकायत की गई और उसी दिन डी० एस० पी० श्री त्रिवेदी ने मौके पर जा कर जांच की, गवाहान के बयान लिये तथा घटना को सही पाया गया ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोटः—तारांकित प्रश्न ५५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह—

थाना हरगांव, जिला सीतापुर के एक सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध दिनांक ६-५-६९ को घूस लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें सब-इन्सपेक्टर का नाम नहीं दिया हुआ था। सूचना मिलने पर तुरन्त उ: पुलिस अधीक्षक श्री राम कुमार त्रिवेदी ने मौके पर जांच की और बयान भी लिये। यह शिकायत सब-इन्सपेक्टर श्री आर० के० टन्डन के विरुद्ध पाई गई। जांच से जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध अदालती या विभागीय कार्यवाही संभव नहीं है। अतः उन्हें चेतावनी दी गई।

नचलौल थाने का कुछ भाग खड्डा थाने में मिलाने का सुझाव

*५७—श्री दीपनारायणमणि—

क्या गृह मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ४३ (३१ जुलाई १९६९, के उत्तर के संबंध में उन्होंने सम्बन्धित गांवों को देवरिया जिले के खड्डा थाना में परिवर्तित करने के संबंध में कार्यवाही पूरी कर ली है, या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं—

इस मामले में स्थानीय अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हो रहा है।

*५८—श्री त्रिवेणी सहाय—

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५९—श्री त्रिवेणी सहाय—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया जिले के सरहदी गांवों में बलवा व कत्ल

*६०—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि जिला बलिया के नरही व अन्य सरहदी गांव (यू० पी०-बिहार सीमा विवाद) में २० अक्तूबर से २५ अक्तूबर, १९६९ तक बलवा व कत्ल की कई घटनायें हुई हैं? यदि हां, तो कुल कितनी मृत्यु हुई हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिये की है?

श्री चरणसिंह—

जिला बलिया के अन्तर्गत नरही या अन्य किसी सरहदी गांव में यू० पी० बिहार सीमा विवाद के सिलसिले में २० अक्तूबर से २५ अक्तूबर, ६९ तक बलवा व कत्ल की कोई घटना नहींहुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

*६१-६२—श्री गेंदासिंह तथा श्री गोपी नाथ दीक्षित—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६३-६४—श्रीमती मसाली देवी—

[४थे सोमवार के प्र० सं० १२-१३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६५-६६—श्री दल सिंगार—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बलिया में महावीरी झंडे के जलूस पर गोली चलाने के संबंध में जांच रिपोर्ट

*६७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ८ अगस्त, १९६८ को बलिया में महाबीरी जुलूस के ऊपर पुलिस द्वारा किये गये गोली-काण्ड की जांच के लिये सरकार ने एक आयोग के रूप में श्री मुसद्दी लाल को नियुक्त किया था ? यदि हां, तो उनकी जांच रपट क्या है ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक ८ अगस्त, ६८ को बलिया में महाबीरी झंडे के जुलूस के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना के सम्बन्ध में सरकार ने श्री मुसद्दी लाल, तत्कालीन सदस्य, राजस्व परिषद् को प्रशासनिक जांच किये जाने के लिये नियुक्त किया था ।

जांच अधिकारी की निष्कर्ष निम्नवत थे:—

(१) स्थानीय प्रशासन द्वारा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये समुचित आवश्यक व्यवस्था की गई थी, तथा

(२) स्थिति पर काबू पाने के लिये न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया और लाठी चार्ज व गोली चलाने की कार्यवाही तत्कालीन परिस्थितियों में न्यायोचित थी ।

*६८-६९—श्री राम सागर—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ४४-४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७०-७१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ४६-४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी में गोली-काण्ड की जांच

*७२—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ दिसम्बर, १९६९ को वाराणसी में एक भीड़ को हटाने के लिये पुलिस द्वारा गोली चलाई गई ? यदि हां, तो गोली चलाने का पूरा कारण क्या था तथा कितने आदमी मरे एवं कितने घायल हुये ?

श्री चरण सिंह—

जी हां दिनांक २ दिसम्बर, १९६९, को वाराणसी में पी० ए० सी० की एक टुकड़ी द्वारा एक हिंसात्मक भीड़ पर गोली चलाई गई । गोली चलाये जाने के कारणों एवं परिस्थितियों के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है । पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप ३ व्यक्ति घायल हुये थे, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई ।

आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० व्यक्तियों की स्पेशल पे

*७३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय प्रदेश में आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० कैडर में कितनी पोस्टें हैं और उन पर कितने-कितने व्यक्ति किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं तथा किन-किन पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को कितनी-कितनी स्पेशल पे मिलती है ?

श्री चरणसिंह—

आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० अधिकारियों का कैडर एक ही है और इससे सम्बन्धित वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२६३-१२६७ पर ।)

*७४—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि १९५२ में इस कैडर की विभिन्न पोस्टों की संख्या क्या थी और ३० नवम्बर, १९६९ तक इसकी संख्या कितनी थी ?

श्री चरण सिंह—

सन् १९५२ में तथा ३० नवम्बर, १९६९ को आई० ए० एस० कैडर में शामिल विभिन्न पदों की कुल संख्या क्रमशः १९० तथा ३४० थी ।

*७५-७६—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ४८-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७७—श्री सुखपाल पांण्डेय तथा श्री रामकरन—

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री निसार अहमद खां तथा एफ० एस० ओ०, गोंडा का मामला

*७८—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री निसार अहमद वकील, जिला गोंडा के साथ एफ० एस० ओ०, गोंडा ने अभद्र व्यवहार दिनांक २४ मई, १९६९ को किया है जिससे बार एसोसियेशन, गोंडा ने सर्वसम्मति से दिनांक २६ मई, १९६९ को एफ० एस० ओ० के दुर्व्यव्वहार के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करके दिनांक २९ मई, १९६९ को डिप्टी कमिश्नर, गोंडा, कमिश्नर फैजाबाद तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी है ? यदि हां, तो अब तक एफ० एस० ओ०, गोंडा के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने के लिये सोच रही है ?

श्री चरणसिंह—

बार एसोसियेशन गोंडा द्वारा प्रस्ताव पास किये जाने की सूचना शासन को अखबार की कटिंग से प्राप्त हुई थी । इस बारे में जिलाधीश, गोंडा से जांच करके रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया । जांच के दौरान ही दिनांक २५-६-६९ को श्री निसार अहमद खां तथा एफ० एस० ओ० में समझौता हो गया और दोनों ने यह इच्छा व्यक्त की कि इस मामले को समाप्त कर दिया जाय । जांच में सम्बन्धित अधिकारी की कोई गल्ती भी नहीं पाई गई । अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

उन्नाल जिले में अपराधों में बढ़ती

*७९—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या शासन का ध्यान हाल में उन्नाव जिले के थाना अचलगंज बारा गंगाघाट और कोतवाली के अधिकार क्षेत्रों में हत्या, डकैती तथा बलवे के अपराध के बढ़ने की सूचना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

प्रश्न में उल्लिखित थानों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में हुये हत्याओं, डकैतियों तथा बलवों के अपराधों के आंकड़े संलग्न हैं जिनसे अपराधों की तुलनात्मक स्थिति प्रकट होती है । स्थानीय पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिये भरसक प्रयत्नशील है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२६८ पर)

*८०—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८१—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डेरापुर थाने में विभिन्न अपराध

*८२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि कानपुर जिले के थाना डेरापुर में गत १५ दिसम्बर, १९६८ से १५ दिसम्बर, १९६९ के दौरान कि-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों के कत्ल हुये अथवा किन-किन व्यक्तियों ने आत्म-हत्या की और कितनी डकैतियां पड़ीं ?

श्री चरणसिंह—

बांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२६९ पर)

बाराबंकी जिले में पुराने कान्सटेबिल

*८३—श्री शिव कैलाश—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतयेंगे कि जिला बाराबंकी में कितने ऐसे आर्म पुलिस व सिविल पुलिस के कर्मचारी हैं जो लगातार १० वर्षों से जिले से बाहर नहीं भेजे गये और क्यों ?

श्री चरण सिंह—

सशस्त्र पुलिस के ३ हेड कान्सटेबुल तथा ३७ कान्सटेबुल तथा नागरिक पुलिस के ९४ कांस्टेबिल लगातार १० वर्षों से बाराबंकी जिले में हैं। कान्सटेबुलों के लिए एक जिले में रहने की अवधि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सशस्त्र पुलिस के तीन हड कान्सटेबुल का दस वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद स्थानान्तरण भ्रमवश नहीं हुआ ।

गोंडा जिले में स्प्रिट लाइसेंसदार

*८४—श्री गंगाप्रसाद (गोंडा)—

क्या आबकारी मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद, गोंडा में स्प्रिट बेचने वाले लाइसेन्सदारों को सन् १९६४ ई० में प्रत्येक दुकान कितनी स्प्रिट विक्रय हेतु दी जाती थी, अब उससे कम कर दी गयी है किन्तु लाइसेन्स फीस अब १९६४ की बढ़ा दी गई है ?

श्री बलवीर सिंह—

१ अप्रैल, १९६९ से प्रदेश के बिकृत स्प्रिट के समस्त लाइसेन्सधारी फुटकर बिक्रेताओं के मासिक कोटे में २५ प्रतिशत की कटौती की गई है । विकृत स्प्रिट की बिक्री पर लाइसेन्स फीस १ अप्रैल, १९६५ से बढ़ाई गई है और बढ़ी हुई फीस की दर बिक्री की मात्रा पर आधारित है ।

*८५—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार इन लाइसेन्सदारों का स्प्रिट का कोटा उतना ही निश्चित करने की कृपा करेगी जितना कि १९६४ में था ?

श्री बलवीर सिंह—

बिकृत स्प्रिट के मासिक कोटे में की गई कटौती प्रदेश के समस्त फुटकर अनुज्ञापियों पर सामान्यतया लागू की गई । अतः गोंडा जनपद के अनुज्ञापियों का कोटा अलग से बढ़ा कर १९६४ के स्तर पर लाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*८६-८७—श्री रामअवध—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय में अस्थाई टंकक

*८८—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में अस्थायी टंककों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तथा क्या ये टंकक ५ से लेकर ८ साल से कार्य कर रहे हैं पर उन्हें स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो इनको स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चरणसिंह—

सचिवालय में अस्थायी टंककों की संख्या कुल १८१ है । इनमें से ४१ टंकक ८ साल से अधिक सेवा कर चुके हैं एवं शेष १४० टंककों की सेवा अवधि ५ वर्ष से कम की है । इनमें स २ ज्येष्ठ टंककों के स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है । शेष टंककों को स्थायी रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण स्थायी करना अभी सम्भव नहीं है ।

*८ —श्री—मलिखान सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन अस्थायी टंककों में से कितने अपने कैडर में द्वितीय दक्षता रोक पार कर चुक हैं ?

श्री चरणसिंह—

२४ टंकक अपने कैडर में द्वितीय दक्षता-रोक पार कर चुके हैं ।

*९०—श्री शौनाथ सिंह—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९१—श्री गोविन्द सिंह—

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९२-९३—श्री जगदीश गांधी तथा श्री नेपाल—

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ५३-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९४—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९६—श्री सूबेदार सिंह—

[३रे गुरूवार के लिये स्थगित]

*९७—श्री सूबेदार सिंह—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

*९८-९९—श्री रामधारी शास्त्री—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१००-१०१—श्री सियाराम—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ५८-५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०२—श्री चेतराम गंगवार—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०३—श्री मोहनलाल कपूर—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०४–१०५—श्री सूरजलाल गुप्त—

[३रे सोमवार के प्र० सं० ६२–६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों को लोक सेवा आयोग की परीक्षा से मुक्त करने का सुझाव

*१०६—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश के विभागाध्याक्षों के कार्यालयों में १२०–२५० रु० के वेतन-क्रम में कार्य करने वाले सहायकों को स्थायीकरण हेतु लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होती ? और इन कर्मचारियों को बिना परीक्षा पास किये ही स्थायी कर दिया जाता है ? यदि हां, तो यही सुविधा सरकारी सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों को जो इसी वेतन-क्रम के भोगी हैं, को न दिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

प्रदेश के विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में १२०–२५० रु० के वेतन-क्रम में कार्य करने वाले सहायकों को स्थाईकरण हेतु लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनकी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती । यह प्रश्न सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों के सम्बन्ध में इसलिये नहीं उठता क्योंकि इनकी भर्ती आयोग के माध्यम से होती है ।

सचिवालय कर्मचारियों की कथित पुर्नियुक्ति

*१०७—श्री अशफाक अहमद (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के कितने कर्मचारी एवं अधिकारी, राज्य विद्युत् परिषद् में हैं जो प्राविधिक नहीं हैं फिर भी शासन ने उन्हें ६० साल के बाद भी रिइम्प्लायमेंट दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

शासन ने सचिवालय के किसी कर्मचारी या अधिकारी को ६० वर्ष के बाद पुर्नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी है ।

*१०८—श्री मंजूर अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जेल मैनुअल में सुधार

*१०९—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री रामगोपाल संड—

क्या जेल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जेल मनुअल १८९० में शासन संशोधन करने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

इस प्रदेश के लिये सन् १८९० का कोई जेल मैनुअल नहीं है । जेलों में बन्दियों के सुधार इत्यादि से संबंधित जब भी शासन द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसके अनुकूल मौजूदा जेल मनुअल, उत्तर प्रदेश में भी आवश्यक संशोधन किया जाता है ।

प्रतापगढ़ जिले में बेती गांव प्रधान द्वारा दफीना की कथित बरामदगी

*११०—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि ग्राम बेती, जिला प्रतापगढ़ के सभापति ने अगस्त,१९६९ या सितम्बर, १९६९ में कोई दफीना बरामद किया ? यदि हां, तो क्या ट्रेजर एण्ड ट्रोव ऐक्ट के तहत सभापति ने पुलिस को सूचना दी ? यदि हां, तो सूचना न देने के लिये क्या सरकार सभापति के विरुद्ध कायवाही करेगी ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में न तो पुलिस में ही कोई रिपोर्ट अंकित कराई गई, और न जिलाधीश द्वारा जांच से ही दफीना बरामद होने का पता चला ।

कथित परिस्थितियों में इसका प्रश्न नहीं उठता ।

नैनी सेन्ट्रल जेल की पम्पिग मशीन में खराबी

*१११—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या जेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के नैनी सेन्ट्रल जेल के ट्यूबवेल की पम्पिग मशीन के खराब होने से जेल के अन्दर और बाहर की जमीन की सिंचाई ठीक से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो सरकार नई मशीन कब तक लगवा देगी ? क्या यह भी सही है कि इस जेल के अन्दर बाहर ९० एकड़ में खेती होती है ?

चरणसिंह—

जी हां ।

पम्पिग मशीन खराब हो गई थी जिसके बदलने की स्वीकृति दे दी गई है। नई मशीन शीघ्र ही लग जायगी ।

जी नहीं । जेल के अन्दर—बाहर १२४.१७ एकड़ में खेती होती है ।

द्वितीय बटालियन, गृह रक्षक विभाग, लखनऊ का परेड भत्ता

*११२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय बटालियन (गृह रक्षक विभाग, लखनऊ) के जवानों को माह अगस्त, १९६८ से फरवरी, १९६९ तक का परेड एलाउन्स अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

द्वितीय बटालियन, गृह रक्षक विभाग, लखनऊ के जवानों को माह अगस्त, १९६८ से फरवरी, १९६९ तक का परेड भत्ता दिया जा चुका है ।

*११३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त अवधि का विशेष भत्ता भी उनको किस कारण से नहीं दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—

विभाग के जवानों को विशेष भत्ता भुगतान करने का नियम नहीं है इसलिये विशेष भत्ते के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गांधी शताब्दी के उपलक्ष्य में बन्दियों की मुक्ति

*११४—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गांधी शताब्दी के अवसर पर किस-किस श्रेणी के कितने कैदियों को छोड़ा ?

श्री चरण सिंह—

गांधी शताब्दी के उपलक्ष में सरकार द्वारा बंदियों को २६ जनवरी, १८ जून और २ अक्तूबर, १९६९, को विशेष छूट दी गई। विशेष छूट के फलस्वरूप उक्त तिथियों पर निम्न-लिखित श्रेणी के २३५७ बन्दी छोड़े गये :—

१—पुरुष बन्दी	..	१९७४
२—महिला बन्दी	..	३६
३—जुवेनाईल बन्दी	..	३४७

इनके अतिरिक्त भारत सरकार और अन्य प्रदेशीय सरकारों के आदेशानुसार इस प्रदेश की जेलों से ११४७ बन्दी और छोड़े गये।

केन्द्रीय कारागार ,बरेली से सेवा-काल,वृद्धि संबंधी कथित प्रार्थना-पत्र

*११५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कारागार,बरेली के कितने हेड वार्डरों तथा वार्डरों के प्रार्थना-पत्र १ जनवरी, १९६९ से ३० अक्तूबर, १९६९ तक शासन को तौसीअ हेतु प्राप्त हुये और उनमें कितनों की तौसीअ मिली ?

श्री चरण सिंह—

तौसीअ हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

*११६—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या कारागार मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ हेड वार्डर ऐसे भी हैं जिनकी सर्विस बुक में उम्र दर्ज नहीं है और हाई स्कूल पास है यदि हां, तो ऐसे कितने ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं ।

चोरी गये ट्रान्सफार्मर्स के संबंध म आदेश

*११७—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बादायूं)—

क्या सिचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रो० ओ० न० १७४३ एच (ड्री)/१९-बी-१,डब्लू कन्सट्रक्सन,४ — ड्रेट ३-२-६८ चीफ इा । इन्जीनियर, हाईडिल ने आदेश दिया है कि प्राइवेट ट्यूबवेल तथा पम्पिग सेट के चोरी गये ट्रान्सफार्मर कन्ज्यूमर्स से कीमत लेने के बाद बदले जायें ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां ।

अलीगढ़ जिले में टाउन एरियाओं को बिजली

*११८—श्री प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या विद्युत मन्त्री बतानें की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में किन-किन टाउन एरिया कमेटियों में बिजली पहुंचाने का फैसला संविद सरकार के समय लिया गया था तथा कहां-कहां बिजली पहुंच गई है? जहां-जहां नहीं पहुंची है उसका कारण क्या है तथा बिजली कब तक पहुंचा दी जायगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

संविद सरकार के समय में जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत टाउन एरिया कमेटी, विसंवां में बिजली देनें व हसायन एंव मन्डू में बिजली के कुछ अतिरिक्त खम्भे बढ़ाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे परन्तु १५ फीसदी लाभ प्राप्त न होंने के कारण बिजली लगाने या खम्भे बढ़ाने का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। यह कार्य धन के उपलब्ध होने एवं १५ फीसदी लाभ की प्राप्ति पर किया जा सकेगा।

उद्योग केन्द्र, दहियावां, जिला इलाहाबाद को बिजली देने की सिफारिश

*११९—श्री राजित राम पांडे (जिला इलाहाबाद), श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के तहसील, सोरांव में महत्वपूर्ण स्थान तथा अनेक कुटीर उद्योग-धन्धों का केन्द्र, दहियावां में शीघ्र ही बिजली लगाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक बिजली लग जायगी?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नही। इलाहाबाद जनपद की सोरांव तहसील के ग्राम, दहियावां के विद्युतीकरण की अभी कोई योजना नहीं है।

अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत खण्ड, रुड़की को बिजली लगाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*१२०—श्री राम सागर (जिला जौनपुर) तथा श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या बिजली मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, जलविद्युत खंड, रुड़की को बिजली लगाने के लिये स्टीमेट आदि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने के लिये दिनांक २० जून, १९६९ से ३० जून, १९६९ के बीच डी० पी० ओ०, शाहजहांपुर के द्वारा संस्तुति करने के बाद डी० एस०, सहारनपुर में उन्हें अब तक कितने आवेदन-पत्र मिले तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

दिनांक २०-६-६९ से ३०-६-६९ तक ४३ प्रार्थना-पत्र डी० पी० ओ०, सहारनपुर से संस्तुति के बाद अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत खंड, रुड़की के कार्यालय में प्राप्त हुये, जिनमें से ३४ प्राथना-पत्रों के सम्बन्ध में २५ रुपये प्रारम्भिक धनराशि सम्बन्धित व्यक्तियों से जमा कराई जा चुकी है। इनमें से एक आवेदन-कर्त्ता से पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत तथा दो आवेदन-कर्त्ताओं से कामर्शियल योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध कराये जा चुके हैं तथा साधारण योजना के अन्तर्गत ५ आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये है, जिनमें से एक को कनेक्शन दिया जा चुका है तथा शेष को नम्बर आने पर कनेक्शन दिया जायगा। इसके अतिरिक्त साधारण योजना के अन्तर्गत दो मामलों को छोड़ कर जिनमें खर्चा निर्धारित धनराशि से अधिक आने के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों की सहमति प्राप्त की जा रही है, शेष अन्य मामलों में या तो एस्टीमेट बनवाये जा रहे हैं या उनका नम्बर आने पर उनके एस्टीमेट बनवाये जायंगे।

बांसगांव को बिजली

*१२१--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बांसगांव, जिला गोरखपुर में बिजली देने का कार्य एवं घरों में प्रकाश की व्यवस्था का कार्य पिछले डेढ़ सालों से किस कारण अधूरा पड़ा हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कार्य प्रगति पर है ।

*१२२--श्रीमती मसाली देवी--

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त ग्राम के कितने निवासियों ने इस संबंध में प्रार्थना-पत्र दिये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

ग्राम बांसगांव के ३७ निवासियों से विद्युत् कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये । इन सबके प्राक्कलन बनाये गये और ३ को कनेक्शन दिये जा चुके हैं । ७ की लाइन बन चुकी है और शेष २७ ने अभी तक धन नहीं जमा किया है ।

सफदरगंज क्षेत्र में बिजली

*१२३--श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार को जानकारी है कि सफदरगंज, जिला बाराबंकी में बिजली न पहुंचने की वजह से २५ ट्यूबवेल जिनका कनेक्शन मंजूर हो चुका है और पैसा भी जमा हो चुका है अभी तक चालू नहीं हो सके हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक बिजली सफदरगंज पहुंचाने का इरादा रखती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जिला बाराबंकी के अन्तर्गत सफदरगंज क्षेत्र के जिन २५ उपभोक्ताओं को कनेक्शन स्वीकृत हो चुका है और जिन्होंने पैसा भी जमा कर दिया है, उनमें ८ उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया जा चुका है । शेष उपभोक्ताओं के नलकूप को कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है ।

बस्ती जिले में बिजली के सामान की ढुलाई तथा बिजली के लिये प्रार्थना-पत्र

*१२४--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६८-६९ में विद्युत विभाग, जिला बस्ती में सामानों की ढुलाई, लदाई, उतराई तथा तमाम स्थानों पर सामान पहुंचाने का व्यय कुल कितना रुपया किया गया है, और कितना सामान सरकारी ट्रकों द्वारा ढुलाई किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

वर्ष १९६८-६९ में जल विद्युत् खंड, बस्ती में सामान की ढुलाई, लदाई, एवं उतराई आदि तमाम कार्यों में कुल १,९२,१५१.०० रुपया व्यय किया गया जिसमें से रुपया ५३,३६६.०० सरकारी ट्रकों द्वारा सामान ढुलाने में व्यय किया था ।

*१२५--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में विद्युत् लाइन प्राप्त करने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र सन् १९६८-६९ में आये हैं उनमें कितनो को विद्युत् दी गई है और कितने प्रार्थना-पत्र बाकी हैं, बाकी होने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वर्ष १९६८-६९ में बस्ती जिले में विद्युत प्राप्त करने हेतु कुल १३२८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से ८२९ उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष प्रार्थना-पत्रों की स्थिति इस प्रकार है:—

(अ) ६४ उपभोक्ताओं की लाइने तैयार हैं। उपभोक्ताओं का अधिष्ठान पूरा होते ही कनेक्शन दे दिया जावेगा।

(ब) २३६ उपभोक्ताओं को अनुबंध पत्र भेजे जा चुके हैं। प्राप्त होने पर कनेक्शन दे दिया जायगा।

(स) १९९ उपभोक्ताओं के प्राक्कलन बन गये हैं। परन्तु धनाभाव के कारण आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी।

रूराझींझक विजली लाइन से कनेक्शन

*१२६—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में रूरा से झींझक जाने वाली बिजली लाइन पर सिंचाई के वास्ते कनेक्शन के लिये किन-किन लोगों ने किन-किन गांवों से प्रार्थना-पत्र दिये हैं। क्या यह सही है कि इस पूरी लाइन पर बनीपारा से झींझक तक किसी को अब तक कनेक्शन नहीं दिये गये? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा कब तक कनेक्शन दिये जायेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कानपुर जन पद के अन्तर्गत रूरा से झींझक जाने वाली बिजली की लाइन क आस पास के क्षेत्र से विभिन्न गांवों के ८४ उपभोक्ताओं के आवेदन-पत्र अब तक प्राप्त हुये हैं जिनकी सूची† संलग्न है।

४ कनेक्शन उपरोक्त लाइन से अब तक दिये जा चुके हैं। शेष की स्थिति इस प्रकार है:

(अ) ५६ उपभोक्ताओं ने बोरिंग पूर्ण प्रमाण-पत्र जमा नहीं किये हैं।

(ब) १२ उपभोक्ताओं को लाइन से अधिक दूरी व धनाभाव के कारण कनेक्शन देना इस समय सम्भव नहीं है।

(स) ५ उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को दिसम्बर, ६९ में स्वीकृति दी गई है। आगे की कार्यवाही हो रही है।

(द) ७ उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को स्वीकृति देने की कार्यवाही की जा रही है।

[†सूची के लिये देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२७०-१२७२ पर]

*१२७-१२८—श्री शिवराजसिंह—

[प्रश्नकर्त्ता के मन्त्रि परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

सिकन्दराराऊ तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण

*१२९—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़ के गांव बरई शाहपुरा को एलेक्ट्रिक सप्लाई करने का निश्चय हो चुका है? और खर्च का तखमीना भी बन चुका है? यदि हां, तो कब तक वहां बिजली पहुंच जायगी?

श्री बीरेन्द्र वर्मा—

ग्रामीण विद्युतीकरण के १९७०–७१ के लक्ष्य में यह ग्राम सम्मिलित है ।

अतारांकित प्रश्न

बहादुरपुर ब्लाक में पम्पिग सेटों का विद्युतीकरण

१—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सिंचाई एवं विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहादुरपुर ब्लाक जनपद, इलाहाबाद के ३० सितम्बर, १९६९ तक कितने किसानों के आवेदन-पत्र पंपिंग सेट में बिजली के लिये दिये गये और कितने को बिजली उपलब्ध कराई गई ? और जिन लोगों को बिजली नहीं मिल पाई है उसका क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत ब्लाक बहादुरपुर से १९६९ में ३० सितम्बर, ६९ तक ११२ आवेदन-पत्र निजी नलकूप पम्पिग सेटों के विद्युतीकरण हेतु प्राप्त हुये थे जिनमें अब तक ६० उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं । शेष उपभोक्ताओं द्वारा अपने कार्य की अथवा आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति न किये जाने के कारण बिजली नहीं दी जा सकी है ।

मुरादाबाद जिले में नलकूपों तथा पंपिग सेटों का विद्युतीकरण

२—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष, १९६१–६२ से वित्तीय वर्ष, १९६८–६९ तक मुरादाबाद जिले में प्राइवेट नलकूपों तथा पंपिग सेटों के लिये प्रत्येक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लखनऊ से कितने बिजली के कनेक्शन स्वीकृत हुये तथा उनकी सूची की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वित्तीय वर्ष १९६१–६२ से १९६३–६४ तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये नलकूपों तथा पम्पिग सेटों के कनेक्शनों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पांच वर्ष बाद इस श्रेणी की पत्रावली नष्ट कर दी जाती है ।

वर्ष १९६४–६५ से १९६८–६९ तक स्वीकृत कनेक्शनों का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	संख्या
१—१९६४–६५	२८०
२—१९६५–६६	११७
३—१९६६–६७	३६६
४—१९६७–६८	१५४
५—१९६८–६९	२५
योग ..	९४२

स्वीकृत बिजली के कनेक्शनों की सूची बनाई जा रही ह और सदन के पटल पर रक्खी जायेगी ।

३—श्री नौनिहालसिंह—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त स्वीकृत कनेक्शन वालों को सभी को बिजली दी जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

ऐसे सभी उभोक्ताओं को जिन्होंने अर्नेस्ट मनी जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध किया तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी कर दी हैं, बिजली दी जा चुकी है । अन्य उपभोक्ता, जो कि अनुबन्ध करने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं अथवा जिनको बिजली देना प्राविधिक दृष्टि से संभव नहीं था, उन्हें बिजली नहीं दी जा सकी है ।

४—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या विद्युत मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन उपरोक्त स्वीकृत कनेक्शन वालों को अभी तक बिजली नहीं दी गई उनको स्वीकृति को अब क्यों खारिज किया जा रहा है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

३० नवम्बर, १९६६ तक की स्वीकृतियों में से ऐसे उपभोक्ता जो कनेक्शन लेने से असमर्थ रहे उनको दिनांक ७-६-६९ को जारी की गई विज्ञप्ति† द्वारा सूचित किया गया था कि यदि वे कनेक्शन लेना चाहते हैं तो २ माह के अन्दर जिलाधिकारियों से सम्पर्क करें। उक्त अवधि के अन्दर सम्पर्क न करने पर यह समझा जायेगा कि वे कनेक्शन लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं ।

(†विज्ञप्ति के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२७३ पर)

गाजियाबाद तहसील में नलकूपों को बिजली

५—श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद, तहसील (मेरठ) में वित्तीय वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में कितने निजी नलकूपों के लिए विद्युत कनेक्शन दिये गये ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

वर्ष १९६७-६८—५१२ नलकूप तथा १० पंपिंग सेट ।

वर्ष १९६८-६९—६२५ नलकूप तथा १ पंपिंग सेट ।

मेरठ जिले में ग्रामों का विद्युतीकरण

६—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में जिला मेरठ के कौन-कौन से गांवों को बिजली उपलब्ध करा दी जायगी ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

मेरठ जनपद के ३५० ग्रामों के विद्युतीकरण का चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव है। किन-किन गांवों को बिजली दी जा सकेगी इसकी सूची नहीं बनी है। सर्वे हो रहा है और आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्रामों को विद्युतीकरण के लिए लिया जायेगा ।

प्रतापपुर, हंडिया तथा सैदाबाद ब्लाक में पंपिंग सेटों को बिजली

७—श्री राजितराम पांडेय—

क्या विद्युत मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के ब्लाक, प्रतापपुर, हंडिया व सैदाबाद में १९६८-६९ में कुल कितने पंपिंग सेट को बिजली का कनेक्शन दिया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त ब्लाकों में कितना कनेक्शन देने की योजना है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

वर्ष १९६८–६९ में इलाहाबाद जनपद के ब्लाक प्रतापपुर, हंडिया व सैदाबाद में क्रमशः २१,२८ व ४३ पंपिंग सेटों का विद्युतीकरण किया गया।

इस वर्ष (१९६९–७०) उपरोक्त ब्लाकों में क्रमशः ३१,३५ व ८९ कनेक्शन देने की योजना है।

प्रदेश में सम्भावित राजनीतिक परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय, एक मिनट दे दीजिये बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इसी पर ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इस पर नहीं ।

माननीय, आजकल इस प्रदेश के प्रशासन में बहुत अस्तव्यस्तता छाई हुई है, हलचल मची हुई है। नटराज द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्री कामराज से मिले हैं, इसलिये उलटफेर होने की आशा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री दबाव में आकर अपने निर्णयों को बदल दे रहे हैं। सारे प्रदेश में ऐसी भावना फैली हुई है कि जल्दी ही कुछ उलटफेर होने वाला है। लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। श्री दिनेश सिंह जी भी कल आये थे, कुछ चाल चल कर चले गये हैं। इसलिये पता नहीं चल रहा है कि परिस्थिति क्या है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी विरोधी पक्ष में आकर प्रदेश की सेवा करने वाले हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

मैं अपने माननीय मित्र को बहुत तो समझा नहीं। जो कुछ समझा हूं उसके मुताल्लिक मैं अपने मित्र, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि परमात्मा सबको नाखून नहीं देता है।

विनियोग लेखे १९६५–६६ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६७ पर आधारित लोक लेखा समिति (उत्तर प्रदेश) का प्रतिवेदन†

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं, १९६५–६६ के विनियोग लेखे तथा १९६७ के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त लेखे तथा प्रतिवेदन विधान मंडल में १८ दिसम्बर, १९६७ को रखे गये। इन पर १९६७–६८ की लोक लेखा समिति ने विचार किया और शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों का साक्ष्य भी लिया। समिति के सभापति, श्री नेकराम शर्मा ने प्रतिवेदन को तैयार किया परन्तु १९६८ में विधान सभा का विघटन हो जाने के फल-स्वरूप यह प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका।

मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त १९६९-७० की लोक लेखा समिति का गठन नवम्बर, १९६९ में हुआ। वर्तमान समिति ने इस प्रतिवेदन को २१ जनवरी, १९७० को स्वीकार किया।

---

†छापा नहीं गया।

वर्तमान समिति के पूर्व सभापति, श्री शिवराज सिंह मंत्रि परिषद् के सदस्य हो गये हैं, अतः इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है ।

पूर्व वर्षों की भांति समिति के समक्ष कुछ ऐसी आपत्तियां भी आयीं जो प्रति वर्ष निरन्तर रूप से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में स्थान पाये रहती हैं । ऐसी आवर्तक आपत्तियों का उल्लेख प्रस्तुत प्रतिवेदन के अध्याय ६ में विशेष रूप से कर दिया गया है। मुख्य आपत्तियों की चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं जैसे—

सहायक अनुदानों (ग्रांट्स-इन-एड) का अप्रयुक्त रहना, इनका उचित प्रयोग न होना तथा प्रयोग के प्रमाण-पत्र (युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) महालेखाकार को यथा समय न भेजना,

अधिकारियों द्वारा निजी बही खाते में (पर्सनल लेजर अकाउन्ट) में अप्रयुक्त अनुदानों की धनराशि का वित्तीय वर्ष के अन्त में स्थानान्तरित करना,

स्थानीय आडिट की आपत्तियों और निरीक्षण प्रतिवेदन का भारी संख्या में समाधान न होना,

कर्मचारियों की पेंशन, फंड, पदों को जारी रखने की स्वीकृति आदि के संबंध में महा-लेखाकार को समय से आवश्यक पत्रादि न भेजना,

उपर्युक्त आपत्तियों के निराकरण हेतु समिति अपने प्रतिवेदनों में प्रतिवर्ष सिफारिशें करती चली आ रही है, प्रशासकीय विभाग भी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन हेतु नोट कर लेते हैं किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि समिति की सिफारिशों का समुचित अनुपालन नहीं होता, । इसी आशय से २१ तथा २२ नवम्बर, १९६७ की बैठकों में समिति ने महालेखाकार, मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त एवं सचिव, अर्थ एवं संख्या निदेशक तथा इग्जामिनर, लोकल फंड एकाउन्ट्स के विचारों एवं सुझावों को सुना । समिति ऐसा समझती है कि जहां इस बात की आवश्यकता है कि प्रशासकीय विभाग अधिक तत्परता, कार्य कुशलता तथा सक्रियता से इन आपत्तियों के निराकरण हेतु कार्य करें, वहां ऐसे नियमों में भी परिवर्तन किया जाय जो इनके कार्यान्वयन में बाधक हों ।

शासन के तीन इंजीनियरिंग विभागों, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग (अभियंत्रण) विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक स्टोर्स बढ़ते रहने की भी चिन्ता का विषय बने हुए हैं । ऐसे स्टोर्स के जमा रहने पर एक तो जनता का रुपया जिसका रचनात्मक कार्यों मे प्रयोग होना चाहिये अवरुद्ध हो जाता है, दूसरे अत्यन्त उपयोगी सामान भी कुछ समय के पश्चात् अनुपयोगी हो जाता है । बाद में अधिकतर सामान को सस्ते मूल्य पर बेचना पड़ता है और इस प्रकार जनता के धन को बहुत बड़ी हानि होती है ।

इस प्रतिवेदन में अंकित समिति की सिफारिशें, विशेषकर उपर्युक्त आवर्त्तक आपत्तियों के निराकरण हेतु की गयी संस्तुतियों की ओर मैं सदन का ध्यान इस आशय से आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन संस्तुतियों के अनुपालन के लिए सक्रिय कार्यवाही करना अपेक्षित है । मैं आशा करता हूं कि शासन इस संबंध में ऐसे कदम उठायेगा जिससे कि आडिट की आपत्तियों में समुचित कमी होगी और समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन उचित सम्मान सहित किया जायगा ।

समिति की संस्तुतियों का सक्रिय कार्यान्वयन हो सके इसके लिये समिति का यह मत है कि समिति के प्रतिवेदन पर सदन में विचार किया जाय । अतः मैं अध्यक्ष जी से सानुरोध निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन पर विचार के लिए कोई समय निर्धारित करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इस विषय में एक प्रार्थना करनी है । मैं देखता हूं कि जो कुछ रिपोर्ट्स लोक लेखा समिति की आती हैं उन पर इस सदन में विचार नहीं होता है। नतीजा यह होता है कि जिस परिणाम पर हम रिपोर्ट में पहुंचते हैं वह व्यर्थ जाता है । तो इस सदन में उस पर वाद-विवाद होना चाहिये ताकि जो लोग इसके सदस्य नहीं हैं वह भी जान सकें कि प्रशासन में क्या

गड़बड़ी है। उदाहरण के लिए लोगों को पता लग सके कि सिंचाई विभाग इन गड़बड़ियों में टाप करता है।

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा, तो इस पर विचार होगा, मेरा निर्णय यही है। क्योंकि अब आपने ९० दिन कम से कम रख लिया है। अधिवेशन में बैठने के लिये तो ऐसी अवस्था में यह संभव है कि इस पर विचार हो। अगले अधिवेशन में मैं कई रिपोर्ट्स को यहां पर विचार करने के लिए रख दूंगा।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के बाहर घोषणायें करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जहां तक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, जो कल उठाया गया था, वह मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध था मैंने पेपर कटिंग्स देखी हैं। उनसे मालूम होता है कि वह केवल प्रबन्ध के संबंध में हैं जिसकी नीति की घोषणा वह पहले कर चुके थे। इसलिये मैंने फैसला कर दिया कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न केवल शिष्टाचार का है। तो बराबर इस पर प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है।

कुछ घोषणायें और की गई हैं जिनके बारे में भी राज्यपाल के भाषण में जिक्र था कि कुछ विभाग संगठित करेंगे। वह भी एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है। उसमें तो शिष्टाचार का भी प्रश्न नहीं उठता है। इस संबंध में तो सरकार के रोज हुक्म होंगे। जनता को जानने के लिए अखबार को माध्यम माना गया है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बातें दे सकते हैं और सदन के सामने भी कह सकते हैं। इसलिये यह अस्वीकृत हुआ।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट द्वारा समाचार पत्रों के विरुद्ध शिकायत

श्री अध्यक्ष—

श्री डूंगर सिंह जी ने कहा है कि उनका नाम ठीक से नहीं छपता है। बिष्ट नाम है, डूंगर सिंह लिखते हैं। तो मैं अखबार वालों से कहूंगा कि सरनेम भी दे दिया करें। उनका पूरा नाम डूंगर सिंह बिष्ट है।

जिलाधीश, बलिया के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री शम्भूनाथ चौधरी ने एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए कहा है कि उन्होंने जो सूचना मंत्री जी को दी है वह गलत है। मैं उनसे कहता हूं कि इसकी सूचना आपको देना है तो संबंधित मंत्री को दे दें लेकिन इस बात पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मेरी बात सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

कितने ही मुहकमें से पास होकर सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचती है तो यह नहीं हो सकता है । आप मंत्री जी को सूचना देना चाहते हैं तो जो काम आपका था वह मैंने कर दिया कि मैं इसको मंत्री जी के पास भेजता हूं कि यह सूचना एक माननीय सदस्य ने दी है, उसके ऊपर जांच कर लें और आपको सूचित कर दें ।

कार्यवाही के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में शिकायत

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

मैंने यह प्रश्न भी उठाया था कि विधान सभा में जो नोटिंग होती है वह ठीक नहीं होती है। यही मैं ने आपके कार्यालय में आकर निवेदन किया था कि तदनुसार उचित प्रबन्ध किया जाये ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य मंत्रणा समिति की जो मीटिंग हुई थी उसने जो निर्णय लिया है वह मैं सूचना के लिए सदन के सम्मुख रख रहा हूं ।

"विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक १२ मार्च, १९७० की बैठक में सदन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

१३ मार्च, १९७० को होने वाले असरकारी दिवस को सरकारी कार्य लिया जायगा और २७ फरवरी, १९७० को जो असरकारी दिवस माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये लिया गया था तथा १३ मार्च, १९७० को होने वाले असरकारी दिवस के स्थान पर २ दिन साथ-साथ आगामी अधिवेशन में दिये जायं ।

आज १२ मार्च, १९७० को उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० की पुरस्थापना के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार होगा:—

(१) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९७० ।

(२) उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० ।

(३) उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० ।

इन विधेयकों पर विचार २ बजे तक जारी रहेगा । तदुपरान्त लेखा अनुदान संबंधी प्रस्ताव पर विचार होगा और उसमें प्राप्त संशोधन पर साढे ४ बजे मतदान होगा । यदि उपर्युक्त विधेयकों पर विचार दो बजे अपराह्न के पूर्व समाप्त हो जाय तो लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर विचार २ बजे से पूर्व प्रारम्भ हो जायगा किन्तु लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव में प्राप्त संशोधन पर मतदान साढ़े ४ बजे ही होगा ।

लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त उससे संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव लिये जावेंगे और उसके उपरान्त नियम ५१ के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर संबंधित मंत्रियों के वक्तव्य होंगे ।

उर्युक्त ३ विधेयकों में से आज जो विधेयक पारित होने से रह जायेंगे तथा एक अन्य विधेयक जो विधान परिषद् से प्राप्त होने वाला है, उस पर कल १३ मई, १९७० को विचार होगा ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के संबंध में की गयी सिफारिशों को स्वीकार करता है ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गैर-सरकारी प्रस्ताव हमेशा अगले सेशन के लिए टाल दिया जाता है और उन सेशन की तारीख भी नहीं बतलायी जाती । दुर्भाग्य यह है कि पिछली दफा उस गवर्नमेंट ने, जो गैरसरकारी प्रस्ताव था, यह कह कर कि उसके लिये दो दिन दिया जायेगा—लेकिन अनिश्चित काल के लिए विधान सभा को समाप्त कर दिया और वे गैरसरकारी प्रस्ताव आ ही नहीं सके थे । अभी कल परसों ही यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सदन अधिक से अधिक चले । इसलिये कल का दिन तो गैरसरकारी, प्रस्ताव के लिये ही होना चाहिये । अगर आपका कहना है कि काम ज्यादा है तो परसों विधान सभा की बैठक बुला लें लेकिन गैरसरकारी दिवस को सरकारी दिवस न बनावें । यह एक परम्परा सी पड़ गयी है कि जो सरकार वहां पहुंचती है वह सरकारी काम को ज्यादा महत्व देती है जब कि गैर सरकारी प्रस्ताव द्वारा ही जनहित के कामों का अधिक महत्व है और इसी लिये आजकल गैरसरकारी प्रस्ताव आ रहे हैं । तो जनहित संबंधी प्रस्तावों को बार-बार टालते जाना उपयुक्त नहीं है। विधान सभा का अधिवेशन अगले दिन हो सकता है, परसों नरसों हो सकता है। गैर सरकारी प्रस्ताव कल ही होना चाहिये, यह सरकारी दिन नहीं होना चाहिये । इस तरह से करने से तो इस प्रदेश की जनता और जनतंत्र तथा विधायकों के कार्य के साथ सही रूप में न्याय नहीं हो सकेगा । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए आप यह कह सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार के लिये कार्यमंत्रणा समिति के पास भेज दिया जाय, इस तरह से सीधा इसका विरोध नहीं होता है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

तो पुनर्विचार भी कल तक करा लें । लेकिन हमारी यह भावना है कि गैर सरकारी दिवस कल होना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि में माननीय विकल जी की भावना से सहमत हूं, लेकिन आज जो निणय लिया गया है कार्य मंत्रणा समिति में वह इस आश्वासन पर लिया गया है कि गैर सरकारी दिवस यथासम्भव २८ तारीख के आस पास उसको नियत करके अधिवेशन बुला लिया जायगा। इस आश्वासन के साथ हम लोगों ने स्वीकार किया कि इस दिवस को इस प्रकार आगे के लिये किया जायगा । इस बात को ध्यान में रखते हुये और इस बात को दोहराते हुये मैं माननीय महीलाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं मंत्रणा समिति का अध्यक्ष था और उसका सुझाव था कि यह मीटिंग मार्च के आखिर में हो जाय लेकिन यह हुआ कि यह भी हो सकता है कि १५ अप्रैल को हो । उन्होंने कहा कि हम आप को कल सूचना माननीय मुख्य मंत्री से बात चीत करके जब सदन बैठेगा, दे देंगे । जब सदन बैठेगा तब यह दो इकट्ठे लिय जायेंगे । या तो पहले ही या बीच में ही उनको सम्मिलित कर लिया जायगा इस तरह का आश्वासन दिया गया था और कोई अन्य आश्वासन नहीं था । मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने यह स्वीकार किया है उनके विरोध करने की कोई बात नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगला अधिवेशन कब से प्रारम्भ होगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी इसके विषय में आज ही कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)--

जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आपने साफ कर दिया कि मेरा कोई आग्रह नहीं था कि यह गैर सरकारी दिवस न रखा जाय । सभी लोगों की राय थी इसलिये उसको स्वीकार कर दिया गया । जहां तक कि गैर सरकारी काम के लिये दिन ज्यादा देने की नियमानुसार बात है उस सम्बन्ध में मैं माननीय विकल जी से सहमत हूं । हमारा विचार है कि यह असेम्बली कल उठ जायगी और बाद में २० अप्रैल को फिर इकट्ठी हो और उसके बाद ३० जून तक लगातार बैठे । हमारी कोशिश होगी, अध्यक्ष महोदय, कि आरम्भ में ही ८ या १० मई को ही बजट पेश कर देंगे ताकि बजट पर बहस करने का मौका ठीक से मिले । इस बारे में जैसी कि सारे हाउस को कठिनाई होती थी कि अच्छी तरह से बहस करने का मौका नहीं मिलता था और इससे सदस्य सन्तुष्ट भी नहीं हो पाते थे। अबकी हमारा ऐसा करने का इरादा नहीं है बल्कि बहस करने का सदस्यों को काफी मौका मिलेगा। अगर माननीय विकल जी, नेगी जी और नित्यानन्द जी चाहें तो मैं २० भी और २१ भी गैर सरकारी दिवस के रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष--

वहां पर यह भी चर्चा हुई कि जून में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और अगर बजट पहले पास करवा लें..... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह--

मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय कि मई और जून के महीनों में असेम्बली बुला रहे हैं। हम लोग पहाड़ के रहने वाले हैं । इसमें हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा सब लोगों का उसमें विचार था कि सरकारी दिन आगे ले लिये जायं । यह सही नहीं है हमने केवल सरकार की प्रार्थना पर कि आवश्यक विधेयक पारित होने हैं अपने गैर सरकारी दिवस को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दी है। दूसरी बात जो थी कि आपसी बातचीत के आधार पर २८ तारीख के आसपास एक छोटा-सा अधिवेशन बुलाया जायगा यह तय हुआ था इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या दिक्कत है ? मान्यवर, सभी सदस्यों का यह विचार है कि गैर सरकारी दिवस को थोड़ा टाइम रख कर बुलायें ।

श्री अध्यक्ष--

आप, श्री महीलाल जी, स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री महीलाल--

जी, मैं स्पष्टीकरण देता हूं । जो आर्डिनेन्सेज हैं उनसे संबंधित कुछ विधेयक हैं। हम यह चाहते थे कि पहले उन्हें पास कर लें और तब उठें । माननीय रामधारी शास्त्री ने यह सुझाव दिया कि हम इसके लिये तैयार हैं बशर्ते कि कल का दिन गैर सरकारी काम के लिये रखा जाये। ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि दोनों दिन जिनमें से १ दिन पहले ले लिया गया है साथ ही साथ दे दिये जायेंगे। इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया गया था ।

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी यह आश्वासन दिया कि अप्रैल से जून तक सेशन बुलाया जायेगा और पहले दो दिन गैर सरकारी काम के लिये होंगे। इसमें मुझे

कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विधान सभा के इतिहास में किसी भी सरकार ने आज तक अपना वायदा पूरा नहीं किया है। हम लोग दूध के जले हुए हैं। इस प्रकार गैर सरकारी दिवस मिल ही नहीं पाये। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी विधान सभा का अधिवेशन १ दिन के लिये और बढ़ा लें और गैर सरकारी एजेन्डा उसी दिन ले लें। एक दिन और बढ़ाने में क्या दिक्कत है ? जो विधान सभा की भावनायें हैं उनको २ महीने आगे क्यों ले जाया जा रहा है ? माननीय नित्यानन्द स्वामी ने सुझाव दिया कि जब हम २८ मार्च को आयेंगे तभी दो दिन के लिए सेशन बुला लिया जाये। इस पर भी विचार कर लें।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

माननीय विकल जी ने सभी सरकारों का तजुर्बा किया है कि उन्होंने आश्वासन दिये और पूरे नहीं किये। मैं श्री विकल जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा भी वे तजुर्बा कर लें।

श्री रामचन्द्र विकल—

अभी एक दिन और बढ़ाने में क्या दिक्कत है ? अगर अभी गैर सरकारी कार्य खत्म हो जाता है तो इसमें क्या कठिनाई है सरकार को.....

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

श्री महीलाल जी ने मेरा भी जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि गैर सरकारी दिनों में पहले आर्डिनेन्स ले लिये जायं और जो वक्त बचे उसमें गैर सरकारी काम हो, क्योंकि आर्डिनेन्सेज पास होने जरूरी थे। श्री नित्यानन्द स्वामी जी ने सुझाव दिया कि २८ मार्च को सेशन बुला लिया जाये। उस संबंध में बात हुयी थी और सेक्रेटेरियट वालों ने गिना था। यह पाया गया कि २९-३-७० को भी नहीं हो सकता था और ३०-३-७० को ही हो सकता था। उस समय सेशन २-३ दिन के लिये बुलाने की बात थी। श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा था कि हम मुख्य मन्त्री जी से पूछेंगे और इसी प्रकार तब घोषणा कर देंगे। उन्होंने कहा था कि २८ मार्च के आस पास ३-४ रोज के लिये सेशन बुलायेंगे। मही लाल जी ने सारी बात नहीं कही, बल्कि आधी बात कह कर रह गये।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

मैं भी उस मीटिंग में था। मसला यह था कि जो आर्डिनेन्सेज निकले हैं और विधायी कार्य है, उसको पहले लिया जाये। गैर सरकारी दिन एक तो आज था और एक कल। सब लोगों ने सोचा कि एक दूसरे को एकामोडेट करें। सब आर्डिनेन्सेज एक दिन में नहीं हो सकते थे इसलिये इस बात पर राजी हुए कि पहले इनको पास कर लिया जाये। सरकार के पक्ष की ओर से यह सुझाव आया कि इनको पास करना जरूरी है और समय कम है। श्री वीरेन्द्र वर्मा जी भी थे और उनका भी यह कहना था कि गैर सरकारी दिवस बाद में हो जायेंगे, तो यह बात चली थी। अब तो केवल एक ही दिन है। पता नहीं माननीय मही लाल जी पीछे क्यों चले गये हैं। श्री वीरेन्द्र वर्मा का कहना था कि २८ मार्च के आस-पास अधिवेशन बुला लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने यह तमाम बात हुयी थी। श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा था कि मुख्य मंत्री जी से पूछ लेंगे और पूछने के बाद जो वे तय करेंगे घोषणा कर देंगे। तो यह बात कभी नहीं हुयी थी। माननीय मुख्य मंत्री जी शायद सुन नहीं रहे थे। वहां जो बात हुई थी वह यह थी कि २८ को यहां लोग आयेंगे तो उसके आसपास असरकारी दिवस दे दें। क्योंकि छुट्टी थी तो ३० या पहली के बाद दे दें। आश्वासन तो यहां कोई नहीं दिया गया था लेकिन यह था कि मुख्य मंत्री जी से पूछ लेंगे। महीलाल जी जो कह रहे थे कि ये एग्री कर गये थे और इन्हीं का सुझाव था तो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अगर अभी नहीं हो सकता तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है और विकल जी भी इस बात पर राजी हो जायंगे

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

कि जब अप्रैल में मिलें तो ये दिन दे दें। गवर्नमेन्ट के पास चार आर्डीनेन्सेज थे और उनको पास करना था तो उन्हें एकोमोडेट करने के लिए उस बात पर राजी हो गये थे।

श्री चरणसिंह—

मैं माननीय शांतिप्रपन्न जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने गवर्नमेन्ट को एकोमोडेट किया और मैं उनकी एकोमोडेशन की स्प्रिट को कद्र करता हूं। मैं जानता हूं कि उन्होंने जो रियायत हमारे साथ की वह इसलिए कि वे जिन आर्डीनेंसेज के जरिये राज्य कर रहे थे हम उन्हें कानूनी जामा पहना दें। जहां तक २८ तारीख को असेम्बली की मीटिंग करने की बात है तो वह मैं अच्छी तरह से समझ रहा था। मुझे मेरे मित्र महीलाल जी ने बतलाया कि वह बात जरूर आयी थी लेकिन आश्वासन नहीं दिया था और मुझसे पूछने की बात थी। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं अपने साथियों से बराबर कहता रहा हूं कि जिस दिन पैंठ या मेला हो तो वहां मीटिंग न रखें क्योंकि लोग मेले में सामान खरीदने आयेंगे इसलिये मीटिंग में लुत्फ नहीं रहता। इस सिलसिले में भी मेरी वही भावना है कि लोग उस दिन वोटिंग के लिये आयेंगे और सार्वजनिक हित की बात उनके ध्यान में नहीं रहेगी। इसलिए २० अप्रैल से ही रखी जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—

तो फिर इसको पुनर्विचार के लिए भेजें या फिर कल गैर सरकारी दिन रखें और परसों सरकारी दिन दें।

श्री अध्यक्ष—

जब आप अप्रैल में शुरू करें तो पहले दो दिन इन्हें दे दें। बजट बाद में रहे। गैर-सरकारी दिन पहले रख दें।

श्री चरणसिंह—

वह तो मैंने शुरू में ही कहा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि विकल जी का संशोधन है कि पुनर्विचार के लिए यह प्रस्ताव वापस कार्य मंत्रणा समिति के पास भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

११ मार्च, १६७० के कार्यवृत्त में शुद्धि के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

जर्नल में कुछ छपाई की थोड़ी-सी गलती हो गई है। उसमें यह सूचना देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (जारी रखने का) विधेयक, १६६६ को पारित करने का प्रस्ताव मंत्री जी ने रखा था और वह स्वीकृत हुआ था लेकिन कार्यवृत्त में प्रस्ताव के पारित होने की बात छपने से रह गई है। मैं इसे दुरुस्त करवा दूंगा।

प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड तथा राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये क्रमशः पांच तथा चार सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आपका भी लाउड स्पीकर खराब है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं चुनाव के बारे में आप को सूचना देता हूं। प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये ५ तथा राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिए ४ सदस्यों के निर्वाचन के लिये नामों की वापसी के लिये ६ मार्च, १९७० को ३ बजे तक का समय नियत किया गया था। इस समय तक चूंकि अतिरिक्त नाम वापस नहीं लिये गये अतः अब मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार १३ मार्च, १९७० को ११ बजे से ३ बजे तक विधान पुस्तकालय में होगा। प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के ५ स्थानों के लिये निम्नलिखित नामांकन आये हैं :

सर्वश्री जगदीश गांधी (अलीगढ़)
,, उमाशंकर शुक्ला (शाहजहांपुर)
,, मैनेजर सिंह (बलिया),
,, चंचल सिंह (रामपुर),
डा० जगमोहन वर्मा (झांसी),
श्री माता प्रसाद (जौनपुर),
श्रीमती सरस्वती देवी (अल्मोड़ा)।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये निम्नलिखित नाम आये हैं :

सर्वश्री जगदीश गांधी,
,, रामचन्द्र आजाद,
,, गंगा प्रसाद, (गोंडा),
,, जंगबहादुर यादव (जौनपुर),
,, शिवानन्द नौटियाल, (गढ़वाल),
,, जगदम्बा प्रसाद, (फैजाबाद),
,, रामचरण सिंह, (इलाहाबाद)।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

मैं एक प्रार्थना करता हूं कि नाम वापस लेने का समय कल १० बजे तक रख दें, क्योंकि बहुत से लोग मिल नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, कल १० बजे तक आप को मौका दिये देता हूं नहीं तो चुनाव होगा।

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७०

राजस्व उप मन्त्री (श्री रामकिंकर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामकिंकर—

मैं आप की अनुमति से उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुर: स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

दिनांक ५ मार्च, १९७० को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार तथा मतदान। इसके ऊपर जो अमेंडमेंट उपस्थित किया है उसमें श्री गिरधारीलाल तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का नाम है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

यह तो २ बजे लिया जाने वाला था।

श्री अध्यक्ष—

२ बजे चाहते हैं तो २ बजे ले लेंगे।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री अनवार अहमद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को आज पेश नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ तथ्य और सामने आये हैं जिनकी छानबीन की जा रही है। उसके बाद पेश करेंगे।

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७०*

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अपना यह संशोधन पेश करता हूं। उसका रूप यह है कि "उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जांयगे)"

मान्यवर, यह विधेयक सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८, बंगाल, आगरा ऐन्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, प्रांविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ तथा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में अग्रेतर संशोधित करने के लिये लाया गया है। मैं कोई वकील नहीं हूं और बहुत सी चीजों को मैं नहीं जानता लेकिन यह सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम जो १८८२ का है यह जब पास हुआ था उस के बाद मेरा बचपन था। मुझे याद है कि ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट जब गजट हुआ तो उसमें ऐसा था कि वह उस दिन से लागू समझा जायगा जब वह गजट हुआ। उससे पहले जिसका जिस जायदाद पर कब्जा था वह उस की मानी जायगी और उस गजट होने के बाद से सम्पत्ति अगर हस्तांतरित होगी तो सब-रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के यहां उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

*५ मार्च, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

मुझे याद है कि जब यह गजट हुआ १८८२ में तो उस समय बनारस में एक गुन्डों का सरदार था बबुआ पांडेय, उन्होंने उस वक्त २ ढाई सौ मकानों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जो रईसों के बढ़िया-बढ़िया मकान थे और उनमें उनके चौकीदार रहते थे उनको मार-मार कर उसनें कब्जा कर लिया और २ ढाई सौ मकानों का वह मालिक बन बैठा और गजट की तारीख से पहले ही काबिज हो गया। आज भी उसके खानदान के लोग बनारस में हैं, कोई मेहनत नहीं की और न पैसा खर्च किया और जमीन का वह मालिक हो गया। मैं चाहता हूं कि यह संशोधन जल्दबाजी में न हो और हर चीज को देखा जाय। जब बटिश सरकार ने ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट लागू किया तो उसमें बहुत सी खामियां थीं। जब अकेले बबुआ पांडेय ने केवल बनारस में २५० मकानों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो सारे भारत में न मालूम कितने ऐसे केसेज हुये होंगे। मेरा मतलब यह है कि इसको भी जल्दबाजी में संशोधित न किया जाय बल्कि इसकी परिधि बढ़ाकर प्रवर समिति में इसे भेजा जाय।

एक बात और कि यू० पी० सिविल विधि संशोधन ऐक्ट को पिछली बार सन् १९५४ में तरमीम किया गया था और उस को आज १६ साल हो गये। इतने समय तक जो सरकार रही, चाहे कांग्रेस की हो या किसी की हो वह क्या करती रही, क्या वह सोती रही और इन चीजों पर अब से पहले उसका ध्यान नहीं गया। यह ठीक है कि बीच में दस महीने के थोड़े समय के लिये यहां संविद सरकार भी रही। दस महीना बहुत थोड़ा है। बीच में संविद की सरकार १० महीने के लिए आयी थी। तो मेरी प्रार्थना है कि इसमें जल्दबाजी न की जाय। थोड़ा सोच विचार करके ही इसमें संशोधन हो, यही मेरी प्रार्थना है।

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ बातें कहने के लिये खड़ा हुआ हूं .....

श्री अध्यक्ष—

इस बारे में माननीय किदवाई साहब को कुछ बोलना था लेकिन मेरी नजर उन पर नहीं पड़ी। मैं चाहूंगा कि पहले वे बोल लें।

*श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में लाज का जो अमेंडमेंट होता है इसके लिए यह जरूरी है कि अमेंडमेंट करने से पहले जो अमेंडमेंट करने को प्रपोज करें, उनको इस विषय पर काफी स्टैडी करनी चाहिए और उन्हें अपनी स्पीच में एक्सप्लेन करना चाहिए कि वे इस अमेंडमेंट को क्यों ला रहे हैं। इसमें प्रपोजल सिर्फ यह आया कि हम इसको अमेंड करना चाहते हैं। इस पर यह भी संशोधन आया कि हम इसे प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं। बहुत से लोग यहां पर लाज से वाकिफ नहीं हैं या उनको तजुर्बा नहीं है, वे तो बिल्कुल डार्क में हैं कि आखिर यह क्या चीज है और क्या जरूरी है कि १८८७ के ऐक्ट में संशोधन आये और किस वास्ते हम इसे अमेंड करने जा रहे हैं। इसमें क्या खामियां हैं, क्या क्या लैक्यूने हैं जिन की कमी पूरी की जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पहले वे एक्सप्लेन कर दें ताकि हाउस में जो लोग ला से वाकिफ नहीं हैं, समझ सकें कि अमेंडमेंट क्या लाया जा रहा है और इसके करने की क्या जरूरत पड़ गयी है।

श्री बलबीर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदव, माननीय सदस्य के भाषण से, जो उन्होंने इसे प्रवर समिति में भेजने के बारे में दिया, ऐसा लगा कि न तो उन्होंने इस विधेयक को देखा और न समझा कि किन कारणों से यह अमेंडमेंट लाये जा रहे हैं और किन किन सेक्शन्स में संशोधन किए जा रहे हैं। उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह]

केवल इतना कहा कि ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के अनुसार १२ साल से पहले जो काबिज हो गये थे, वे उस प्रापर्टी के मालिक बन गये। इस विधेयक से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस विधेयक को सदन के सामने रखा गया और किन कारणों से यह संशोधन विधेयक लाया गया है, सभी सदस्यों के सामने है। फिर भी इसको यहां पर क्यों उपस्थित किया गया है इसको बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, १९५४ में धारा ४२ सी० पी० सी० को तरमीम किया गया। उसमें यह हुआ कि डिग्री को एक्जीक्युशन के लिए दूसरी अदालत में भेजा जाय। वह उस अदालत में पहुंच गया कि डिग्री को वे एक्विजक्यूट करें। यह स्माल काज कोर्ट की डिग्री थी। वह जब दूसरी अदालत में पहुंच गयी तो चूंकि वे असेस नहीं कर सकते, नीलाम नहीं कर सकते, इसलिए वह दिक्कत पैदा हुयी और यह जरूरी समझा गया कि जो पावर्स एक्जीक्यूशन की होती हैं वे उन्हीं अदालतों को दे दिया जाय। इसलिए यह तरमीम करनी जरूरी हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी तरमीम लायी जा रही है उसकी मंशा यह है कि बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ में तरमीम होने के बावजूद जो डिस्ट्रिक्ट जजेज की कोर्ट्स हैं, उनको साधारणतया, १०,००० रुपये के धन सम्बन्धी केसेज को तय करने का अधिकार था। इससे अधिक धन के नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि इसके ज्यादा के धन सम्बन्धी मुकदमें हाई कोर्ट में अपील के लिए जाते रहे और वहां पर जाकर इकट्ठे हो गये, और जहां तक मुझे याद है इस वक्त उन की संख्या तो पूरी याद नहीं है, लेकिन मेरा खयाल यह है कि वह ४८ हजार सिविल केसेज की हैं। इससे जनता को बड़ी तकलीफ हो रही है। १०-१० साल के केसेज पड़े हुये थे। इस माननीय सदन का हर माननीय सदस्य यह कहता था कि कोई तरीका ऐसा निकाला जाय जिससे कि हाई कोर्ट में पेंडिंग अपीलें शीघ्र से शीघ्र निपटायी जा सकें और आगे के लिये हाई कोर्ट का बोझ भी कम हो सके।

माननीय, इसके लिये हमने यह किया है कि जहां डिस्ट्रिक्ट जजों का १० हजार रुपये तक के केसेज को सुनने का अधिकार था वहां अब उसे बढ़ा कर २० हजार कर दिया गया है। इसका नतीजा अब यह होगा कि हाई कोर्ट से बहुत से मुकदमें डिस्ट्रिक्ट जजों की अदालतों में आ जायेंगे। यह एक ऐसी तरमीम है कि जिससे जनता को काफी फायदा पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार के वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है।

एक चीज और यह की है कि आजकल चूंकि रुपये की कीमत बहुत कम हो गयी है, इसलिये अब तक तो मुन्सिफों, सिविल न्यायाधीशों और खफीफा आदि न्यायालय के न्यायाधीशों को २५०, ५०० और १,००० रुपये तक के मामलों को सुनने का अधिकार था। अब हम इसकी सीमा को बढ़ा कर मुन्सिफों को २५०, सिविल न्यायाधीशों को ५०० तथा जज खफीफा को २,००० तक का अधिकार दे दिया है। इससे छोटे छोटे मामलों में जिनमें कि रुक्का आदि लिखा होता है, ज्यादा पेचीदा मामला नहीं होता, उनके मामले जल्दी निबटाये जा सकेंगे और इससे जनता को काफी फायदा पहुंचेगा। मैं समझता हूं इसमें भी किसी विवाद की जरूरत नहीं है। सभी इसको पसन्द करेंगे।

इसके अलावा एक तरमीम ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में की है। इसमें यह है कि जो प्रापर्टी ऐसी होती है जिसमें कि सरकार मुन्तजिम होती है, सरकार के पास प्रापर्टी मारगेज होती है, उस प्रापर्टी को जब सरकार नीलाम करती है तो खरीदने वाले को उसका पजेशन भी मिल सके वह हमने इसमें किया है। पहले इसमें दिक्कत होती थी। अब खरीदने वाले को उसका दखल भी मिल सकेगा।

तो यह जितने भी संशोधन हैं वे सब ऐसे हैं जो जनता को राहत पहुंचाने के खयाल से किये गये हैं। सभी माननीय सदस्य चाहते थे कि मुकदमें जल्द से जल्द निपटाये जायं। हाई कोर्ट का बोझा हलका हो। इसी सब को ध्यान में रख कर यह विधेयक हम लाये हैं। मुझे

उम्मीद है कि माननीय सदस्य ने जो प्रवर समिति वाला अपना संशोधन रखा है वे उसे वापिस ले लेंगे और इसे बिना किसी विवाद के पास होने देंगे।

(इस समय १२ बज कर ५० मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

(श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरि नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मुझे बोलना है। और दूसरे लोग भी बोलेंगे। केवल एक स्पष्टीकरण के लिये अभी अध्यक्ष महोदय ने मन्त्री महोदय को बुलाया था। अभी इस पर विचार नहीं हुआ, क्योंकि माननीय सदस्य के कहने पर स्पष्टीकरण के लिए मंत्री महोदय को बुलाया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, बोल लीजिए यदि आप की इच्छा है।

*श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि इसमें कुछ थोड़े से अमेंडमेंट हैं, एक उस पर जिसमें स्माल काज कोर्ट्स के जूरिस्डिक्शन को वैल्युएशन के बारे में बढ़ाया गया है। दूसरे हाई कोर्ट में मुकदमें इतने ज्यादा बढ़ गयें हैं इस कारण स्माल काज कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन ज्यादा बढ़ा दिया है और जो अब मारगेज पर दखल का प्राविजन कर दिया गया है। प्रश्न यह है कि जब आप यहां पर संशोधन करने बैठते हैं तो कहां-कहां आवश्यकता है, इसको आप को पूरी तरह स देख लेना चाहिए। क्योंकि अब तो एक बाढ़ सी आ गई है जहां भी देखिए संशोधन हो रहा है। इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रवर समिति का प्रस्ताव होता है जिसमें ठीक से बैठ कर, शान्ति से विचार कर कोई काम किया जाता है। इससे रोज-रोज संशोधन नहीं लाना पड़ता और काम पूरी तरह ठीक होता है। अनावश्यक संशोधन का लाना इससे रुकता है। क्योंकि आप ने देखा बिक्री कर आदि पर बार बार संशोधन लाने पड़ते हैं। प्रवर समिति में विधि विशेषज्ञ बैठ कर सोचते हैं और उसके बाद वह हाउस में आता है, इससे हाउस का भी समय बचता है और जनता का हित होता है।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माम्यवर, यह हमें ऐसा लगता है कि यह विधेयक अपूर्ण है। अपूर्ण इस माने में कि आज का किसान यह केवल नहीं चाहता कि उसके मुकदमें का निर्णय शीघ्र हो, बल्कि वह यह भी चाहता है कि निर्णय पर ठीक से अमल-दरामद हो। उनको मालूम होगा कि जो दीवानी के मुकदमें होते हैं और जो उनका निर्णय होता है, उस निर्णय का अमल-दरामद कराने का अख्तियार उनका नहीं है। अमल-दरामद कराने के लिए, जिसके हक में डिक्री होती है, उसको एस० ओ० के यहां जाना पड़ता है लैण्ड रेवन्यू के मामले में। मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि सिविल कोर्ट्स अमल-दरामद का कार्य नहीं कर सकते। जब वहां से डिक्री होती है तो फिर आगे किसान को उसे पाने के लिए खर्च करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, उसमें यह संशोधन आ जाए और जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं उनको अमल-दरामद कराने का हक हो जाए तो इसका फायदा किसान को तुरन्त मिल सकेगा जिसके हाथ में डिक्री होती है। इसके साथ मैं इसको प्रवर समिति के सिपुर्द करना चाहता हूं, और समर्थन करता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

यह बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो हाई कोर्ट में जो अधिक वाद चलते हैं, उसका कुछ काम हल्का हो जाए। दूसरे जो वाद मुंसिफ के

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

न्यायालय में या स्माल काज कोर्ट्स में रुपये के लेनदेन के सम्बन्ध में चलते थे, उसमें जनता को कुछ सुविधा हो। इस दृष्टिकोण को लेकर इसे किया गया है, अब जो प्रस्ताव किया गया है वह यह है कि प्रवर समिति के सामने रख कर इस पर कुछ निर्णय लिया जाए। यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है। इसमें इस बात का निर्णय ले लिया गया है कि १० हजार के बजाए २० हजार तक के मुकदमें लोवर कोर्ट में ले लिए जाएंगे। इसमें यह भी साथ ही नोट किया हुआ है, पहले ५ हजार की वैल्यूएशन चीजों के बारे में था—पहले जो पांच हजार रुपये की कीमत थी और जो आज रुपये की कीमत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज रुपये की कीमत १७ पैसे के बराबर है। इसलिए केवल दस हजार का बीस हजार हो जायगा यह समझ में नहीं आता है। आवश्यकता इस बात की थी कि इस पर विचार होना चाहिए था। १८८७ में जो पांच हजार की प्रापर्टी के मुकदमे चलाये जा सकते थे, आज रुपये की कीमत कई गुना ज्यादा घट चुकी है। इस पर विचार होना चाहिए था। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ले आये, कि दस हजार का २५ हजार, ढाई का पांच सौ यानी कोई विचार करके चीज सामने लायी गयी हो ऐसा नहीं है। जो प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव है, उसका मूल कारण यह है कि छोटे पीरियड में विधेयक बनाये जा रहे हैं, उन पर विचार होना चाहिए। साथ ही साथ इस विधेयक में अचल सम्पत्ति को लेने की बात कही गयी है। इस पर विधिवत् विचार करके अगर रखा गया होता तो शायद आगे और सुधार किया जा सकता। इसलिए मैं माधव बाबू के प्रवर चेमिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो क्लेरिफिकेशन दिये हैं उसमें उन्होंने क्लियर किया कि १९५४ में सिविल ला सुधार अधिनियम बना था उसमें कमी थी। उसको दूर करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा। इसीलिए मैंने प्रस्ताव किया है कि प्रवर समिति में चला जाय और एक्सपर्ट का लोग, मैं वकील नहीं हूं, जो वकील लोग हैं, वे लोग बैठ कर एक के बजाय ७ का विभाग लगा कर, जो काम हो, पूरा होकर सदन के सामने आये। आप मान लीजिये और इस विधेयक की परिधि को बढ़ाइये ताकि आगे आपको डिफीकल्टी न हो, रोज कमी को पूरा करने के लिए नये नये अमेंडमेंट और आर्डिनेंसेज न लाने पड़ें। मैंने बताया कि ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में एक बड़ा भारी लैकुना था। अंग्रेज बहुत सोच समझ कर कानून बनाते थे। कमीशन और इनक्वायरी कमेटी बिठाते थे। रौलेट साहब को इंगलैण्ड से बुलाया और रौलेट कमीशन बैठा, जिसकी रिपोर्ट साढ़े तीन सौ पन्नों में है, तब रौलेट ऐक्ट बना। जो अंग्रेजों ने १८८२ में ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट बनाया उसमें कितने बड़े लैकुना की मिसाल मैंने आपके सामने रखी, जिसकी वजह से खाली बनारस शहर में एक गुंडे बबुआ पांडेय ने ढाई सौ मकानों पर कब्जा कर लिया। ऐडवर्स पजेशन लेकर, मालिक हो गया। यह लैकुना १८८२ के ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में था। सारे भारतवर्ष में ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट के इस लैकुना के कारण लाखों मकानों पर गुंडों ने कब्जा कर लिया। आपका आब्जेक्शन आया है। प्रवर समिति में भेज कर १ के बजाय ७ आदमियों का ब्रेन लगा कर सुधार लाएं। इसमें मान्यवर, मंत्री महोदय, को राजी हो जाना चाहिए। आगे सरकार को काम काज करने में सहूलियत होगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस संशोधन को मान लें।

श्री बलवीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, बख्शी जी ने फिर कहा कि मैं उनके संशोधन को मान लूं। मेरी विक्कत यह है कि अगले महीने की ६ तारीख तक यह कानून बन जाना चाहिये। यहां से यह बिल पास होने के बाद कौंसिल में जायगा। वहां से भी पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये जायगा। इस तरह से यह ६ तारीख तक कानून की शक्ल लेगा। इस वजह से मेरी मजबूरी है कि आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १ से ८, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८, बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७, प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ तथा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९७० कहायेगा।

(२) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

१९०८ के अधिनियम ५ की धारा ४२ के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन।

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है की धारा ४२ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और २ दिसम्बर, १९६८ से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्—

"४२—(१) अपने को भेजी गयी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां रखेगा जो उसको होतीं यदि वह उसके ही द्वारा पारित की गयी होती। वे सब व्यक्ति, जो डिक्री की अवज्ञा करते हैं या उसके निष्पादन में बाधा डालते हैं, ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसे ही प्रकार से दण्डनीय होंगे जैसे कि यदि डिक्री उसने ही पारित की होती तो दण्डित किये जाते और ऐसी डिक्री के निष्पादन में उसका आदेश अपील के बारे में उन्हीं नियमों के अध्यधीन रहेगा जैसे रहता, यदि डिक्री उसके ही द्वारा पारित की गयी होती।

अन्तरिम डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियां

[श्री उपाध्यक्ष]

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अन्तर्गत डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(क) धारा ३९ के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिये डिक्री भेजने की शक्ति;

(ख) धारा ५० के अधीन मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री निष्पादित करने की शक्ति;

(ग) डिक्री के कुर्क किये जाने का आदेश देने की शक्ति;

(घ) डिक्री की निष्पादेयता पर अवधि-रोध से सम्बन्धित किसी प्रश्न का निर्णय करने की शक्ति;

(ङ) आदेश २१ के नियम २ के अधीन संदाय या समायोजन अभिलिखित करने की शक्ति;

(च) आदेश २१ के नियम २९ के अधीन निष्पादन रोकने का आदेश देने की शक्ति;

(छ) किसी फर्म के विरुद्ध पारित डिक्री की दशा में, आदेश २१ के नियम ५० के उपनियम (१) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में अभिविष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी डिक्री का निष्पादन करने के लिये इजाजत देने की शक्ति।

(३) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके कोई आदेश पारित करने वाला न्यायालय उसकी एक प्रति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को भेजेगा।

(४) इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जायगा कि वह उस न्यायालय को, जिसे डिक्री निष्पादन के लिये भेजी जाय, डिक्री के अन्तरिती की प्रेरणा पर निष्पादन का आदेश देने की शक्ति प्रदान करती है।"

१९०८ के नियम ५ की धारा ११५ का संशोधन

३—उक्त संहिता की धारा ११५ में—

(१) जहां-जहां भी शब्द "उच्च न्यायालय" आये हों उनके स्थान पर शब्द "उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय" रख दिये जायें; और

(२) उसके अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उससे जिला न्यायालय को किसी ऐसे मामले के अभिलेख मंगवाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है जो बीस हजार रुपये अथवा उससे अधिक मूल्य के मूल वाद से प्रोद्भूत हो।"

१८८७ के ऐक्ट २ की धारा २१ का संशोधन

४—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, १८८७ की (जिसे आगे बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट कहा गया है) धारा २१ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्—

"(१) उपर्युक्त को छोड़ कर, सिविल जज की डिक्री या उसके आदेश के विरुद्ध अपील—

(ए) जिला न्यायाधीश को, जहां ऐसे मूल वाद का जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में डिक्री या आदेश किया गया हो,

चाहे वह उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९६८ के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात् संस्थित या प्रारम्भ हो अथवा निर्णीत हो, मूल्य बीस हजार रुपये से कम हो; और

(बी) किसी अन्य दशा में, उच्च न्यायालय को;

को जायगी।

(१–ए) सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व उच्च न्यायालय में संस्थित कोई अपील, जहां ऐसे मूल वाद कार्य जिसमें या जिससे उद्भूत किसी कार्यवाही में डिक्री या आदेश दिया गया हो, मूल्य दस हजार रुपये से अधिक किन्तु बीस हजार रुपये से कम था, और जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, परन्तु जो ऐसी अपील न हो जिसमें उक्त दिनांक के पूर्व बहस की सुनवाई समाप्त हो चुकी हो और केवल निर्णय सुनाया जाना, जिससे अपील का निस्तारण होने वाला हो, शेष हो, अधिक्षेत्र रखने वाले जिला न्यायाधीश को संक्रमित हो जायगा जो उसका या तो स्वयं निर्णय करेगा अथवा उसे अपने अधीनस्थ किसी अपर जिला न्यायाधीश को अभ्यर्पित कर सकेगा।

अधिनियम संख्या ३६, १९६३

(१–बी) सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए नियत अवधि-काल, जहां ऐसे मूल वाद का, जिसमें या जिससे उदभूत किसी कार्यवाही में, डिक्री या आदेश दिया गया हो, मूल्य दस हजार रुपये से अधिक किन्तु बीस हजार रुपये से कम था और डिक्री या आदेश २ दिसम्बर, १९६८ के पूर्व दिया गया था, परिसीमा अधिनियम, १९६३ में दी गई किसी बात के होते हुए भी वही समझा जायगा और सदैव से वही समझा जायगा मानो कि अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती रही हो।"

धारा २५ का संशोधन

५––बंगाल, आगरा ऐण्ड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्––

"२५––राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जिन्हें वह ठीक समझे, किसी सिविल न्यायाधीश या मुन्सिफ को, प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ के अधीन लघुवाद न्यायालय (कोर्ट आफ स्माल काज) के न्यायाधीश का अधिक्षेत्र, ऐसे न्यायालयों द्वारा संज्ञेय वादों का परीक्षण करने के लिए, ऐसे मूल्य तक जो किसी सिविल न्यायाधीश की दशा में एक हजार रुपये या किसी मुन्सिफ की दशा में पांच सौ रुपये से अधिक न हो, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रदत्त कर सकती है और इस प्रकार प्रदत्त अधिक्षेत्र को वापस ले सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस धारा के अधीन अपनी शक्ति उच्च न्यायालय को प्रतिनिहित कर सकती है।"

१८८७ के ऐक्ट १२ की धारा १५ का संशोधन

६––प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ की धारा १५ में उपधारा (२) और (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्––

"(२) उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट अपवादों और तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रकार के ऐसे सभी वाद जिनका मूल्य एक हजार रुपये से अधिक न हो, लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे।

[श्री उपाध्यक्ष]

(३) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि सिविल प्रकार के ऐसे सभी वाद जिनका मूल्य दो हजार रुपये से अधिक न हो, उक्त आदेश में उल्लिखित लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय होंगे।"

अधिनियम संख्या ४, १८८२ में नई धारा ६९–ख का बढ़ाया जाना

७––संपत्ति अन्तरण अधिनियम, १८८२ की धारा ६९–क के पश्चात् निम्न-लिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्––

कब्जा देना

"६९–ख––(१) जहां धारा ६९ के अधीन विक्रय की शक्ति का प्रयोग करके बन्धक संपत्ति या उसका कोई भाग बेच दिया गया हो तो कलेक्टर, तदर्थ उसे आवेदन-पत्र दिये जाने पर, क्रेता को संपत्ति का कब्जा दिलायेगा, और किसी ऐसे व्यक्ति को निकालने के लिए, जो उसे खाली करने से इंकार करे, ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

(२) उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा-संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की प्रथम अनुसूची में अन्तर्विष्ट आदेश २१ के नियम ९५ से १०३ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे जिनमें न्यायालय तथा निर्णीत ऋणी के अभिदेशों के स्थान पर क्रमशः कलेक्टर तथा बाकीदार बन्धककर्ता का अभिदेश होगा।

(३) इस धारा में "कलेक्टर" का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है जिसमें संपत्ति स्थित हो, और इसके अन्तर्गत कलेक्टर के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई सहायक कलेक्टर भी है।"

निरसन

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३५, १९६८ और उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९७०

८––उत्तर प्रदेश सिविल विध संशोधन अधिनियम, १९६८ और उत्तर प्रदेश के लिये राष्ट्रपति अधिनियमों का (पुनः अधिनियमन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खंड १, खंड २, खंड ३, खंड ४, खंड ५, खंड ६, खंड ७ और खंड ८ तथा प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवीर सिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने आया है सिविल विधि, १९७०, इसमें बहुत दोष हैं। यह दोषपूर्ण विधेयक है। जब हम सिविल लाज के संशोधन कर रहे हैं तो उसके अन्य पहलुओं पर भी विचार करना चाहिये लेकिन वह समय तो निकल गया कि यह प्रवर समिति में जाता इसलिये मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा। मगर मैं एक सवाल मंत्री जी से करना चाहता हूं। वह बिल मेरे सामने नहीं है यदि मैंने इसको ठीक से पढ़ा है तो मंत्री जी १० हजार से ऊपर की कीमत के मुकदमे हाई कोर्ट में भेजना चाहते थे। अब आपने उसको २० हजार कर दिया है कि अब २० हजार की मालियत के ऊपर के मुकदमे हाई कोर्ट में जायंगे। मैं

स्पष्ट कहूं कि यह २० हजार की मालियत से नीचे के मुकदमे, पहले जो हाई कोर्ट में जाते थे, वह जिला जज के यहां जायंगे। हाई कोर्ट के मुकदमों की तादाद नहीं बढ़ेगी क्योंकि २० हजार से ऊपर के ही मुकदमे हाई कोर्ट में जायंगे। लेकिन जिस नीयत से यह बिल लाया गया है वह नीयत पूरी नहीं होगी इस बिल से। २० हजार कीमत माप दंड रखा गया है जिसके आधार पर वह मुकदमा यहां रहे अथवा हाई कोर्ट चला जाय। लखनऊ में इस विधान सभा की बगल में एक बिस्वा जमीन की कीमत २० हजार हो जायगी जब कि बस्ती जिले में ४० बीघे जमीन की कीमत २० हजार रुपया नहीं होगी। इस प्रकार ४० बीघे का मुकदमा रह जायगा और १ बिस्वे का मुकदमा हाई कोर्ट में चला जायगा। तो इसका क्या तारतम्य है। किस तरीके से इंसाफ सब को बराबर मिल सकेगा। वेल्यूएशन जमीन की बढ़ती घटती रहती है भिन्न-भिन्न स्थानों के हिसाब से। जिस जमीन की कीमत देहात में २०० रुपये हो उसकी कीमत शहर में २० हजार हो सकती है। सब पहलुओं पर आपने विचार नहीं किया। इसलिये यह संशोधन विधेयक दोषपूर्ण है, इसे वापस लिया जाय और पुनः विचार करके इसे लाया जाय।

श्री बलबीर सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अपर हाउस से यह पास हो चुका है। अब यहां से पास होकर प्रेसीडेंट महोदय की एसेंट लेनी होगी और ६ तारीख तक यह सब करना है। त्रिपाठी जी की यह बात सही है, उसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन यह प्रेसीडेंट ऐक्ट है। पहले १० हजार कीमत थी, अब २० हजार रख दिया गया है। वहीं इसे रखा गया था और समय के अन्दर इसे पास कराना है। यह सही है कि कीमत दुगनी से कहीं अधिक बढ़ चुकी है और यह भी सही है कि कुछ दिन बाद फिर इस पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि देहात और शहर की जमीन की कीमत में बड़ा अन्तर है लेकिन इस समय हमारी मजबूरी है। मेरी प्रार्थना है कि सदन इसे पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल विधि संशोधन विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

मैं, उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२७४–१२७७ पर)

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७०

राजस्व उप मंत्री (श्री राम किंकर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह प्रदेश के किसानों के लिये बड़ी खुशी की बात है। आज उनकी बहुत दिनों की मांग इस विधेयक के द्वारा पूरी की जा रही है। प्रदेश के वह किसान जो भूमिधर और सीरदार हैं उनको खतौनी की एक नकल कहिये जो जोत बही के रूप में दी जा रही है। अब तक किसान नहीं जानते थे कि उनके पास कितनी जमीन है, उनकी क्या हैसियत है? लेकिन

[श्री रामकिंकर]

इसके द्वारा अब वह सारी जानकारी हासिल करेंगे। उनको कर्ज लेने में भी दिक्कत पड़ती थी, लेखपाल परेशान किया करते थे और माननीय सदस्य भी शिकायत किया करते थे कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे किसानों की समस्यायें हल हो जायं। इसी दृष्टिकोण से यह अध्यादेश आया और अब वह विधेयक के रुप में प्रस्तुत है। जमींदारी उन्मूलन हो चुकी है और रिकार्ड्स तैयार हो चुके हैं, वहां के किसानों को जोतबही मिल रही है। जिन क्षेत्रों में चकबंदी चल रही है या रिकार्ड्स आपरेशन हो रहे हैं वहां जब ये समाप्त हो जायेंगे तब दी जायेगी। पहले जोतबही की कीमत तीन रुपये रखी गई थी अब एक रुपया कर दी गई है और यह जोतबही ग्रामवार तैयार की गई है। सीरियल नम्बर के हिसाब से लेखपाल इनको देगा ताकि मालूम हो सके कि कितने लोगों को दी गई। खाने कैफियत तरह से इसमें लिखा जायेगा। अगर किसान को जोतबही नहीं देते हैं तो सुपरवाइजर कानूनगो उसकी रिपोर्ट जनरल डायरी में कर देगा और उसको मौका देगा। हस्तांतरण की बात जोत बही में लिखी जायेगी कि यह कब और किस समय किया गया। ये सारी चीजें जोत बही में लिखी जायेंगी। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। मैं ज्यादा न कह कर सदन से चाहूंगा कि वह इसको पास करें क्योंकि जोतबही से किसानों की बहुत दिनों से चली आई मांग परी हो जायेगी।

*श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे कि विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रार्थना की थी कि .....

श्री उपाध्यक्ष—

वह है, आप उनको बोलने दीजिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

वह तो ठीक है। इस पर सदस्य खड़े हैं उनको बुलायेंगे जहां तक आपकी निगाह पड़ जाय। लेकिन हमने एक संशोधन प्रस्तुत किया था उसके सिलसले में मैं जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं निवेदन कर दूं कि उन्होंने भी संशोधन रखा था जो बोल रहे हैं। आपने भी सूचना दी थी लेकिन माननीय अध्यक्ष ने उसको अस्वीकार किया।

श्री कृष्णस्वरूप—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पछिली सरकारों के सामने बरसों से चली आ रही किसानों की इस मांग को आज जो स्वीकार किया गया है, वह बहुत अच्छा हुआ। किसानों को जोत-बही दी जायगी। उससे किसानों को यह लाभ होगा कि अपनी जमीनों का इन्तखाब पाने के लिये किसानों को तहसील के चक्कर काटने पड़ते थे, लेखपालों को रुपया देना पड़ता था, तब जाकर उनको नकल मिल पाती थी। यह ठीक है कि उनकी इस मांग को स्वीकार किया गय है लेकिन इस जोत-बही को और अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिये। किसानों के लिये जोत-बही अधिक लाभदायक हो सके, उसके सुझाव देने के लिये ही मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय, जो गंभीरता से इस पर विचार करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक मूल्य का सवाल है, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि उसका मूल्य १ रुपया रखा गया है। जब जोत-बही लाखों और करोड़ां की तादाद में छपेगी तो उसका मूल्य ७–८ आने से अधिक नहीं होगा। इसलिये उनसे अधिक से अधिक ८ आना मूल्य लिया जाना चाहिये। लेकिन इसमें यह लिखा गया है कि सरकार जो मूल्य उपयोगी समझेगी, वह रखेगी।

विधेयक में एक व्यवस्था और रखी गयी है। अगर किसी खाते में कई साझेदार हैं तो उनमें से एक को ही जोत-बही मिलेगी। मैं चाहूंगा कि सभी अंशधारियों को जोत-बही मिलनी चाहिये, तभी जोत बही को अधिक व्यापक बनाया जा सकता है।

किसानों को अपना विकास करने के लिये विकास बैंकों अथवा कोओपरेटिव बैंकों से ऋण लेना पड़ता है और सरकार से भी लेना पड़ता है। कहीं से किसान लोन ले, उसका भी इन्दराज जोत-बही में होना चाहिये, जिससे यह भी मालूम हो सके कि किसान ने कहां से कितना ऋण लिय। है और जितना उस ऋण का हिस्सा अदा कर दिया जाय, उसका भी इंदराज उसमें होना चाहिये। इससे प्रमाण-पत्र पाने के लिये उसको जगह-जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा किसानों के पास जितने और भी साधन हैं, उनका भी इन्दराज जोत बही में होना चाहिये। अगर वह किसी व्यक्ति की जमानत अदालत में करता है, वह भी जोत बही में दर्ज होना चाहिये कि अमुक व्यक्ति की इसने जमानत की, ताकि किसान को किसी जगह किसी चीज का प्रमाणपत्र लाने के लिये जाना न पड़े। अदालत में किसान जब जमानत करता है तो वहां पर उससे हैसियत का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर उसका लगान कम होता है, और अगर उसके पास बंदूक का लाइसेंस होता है, तो उसकी जमानत मान ली जाती है। मैं चाहूंगा कि उसके लिये भी उसको बंदूक का लाइसेंस लाने की आवश्यकता न हो, उसके बारे में भी जोत-बही में दर्ज हो जाना चाहिये और उसको हैसियत का प्रमाण मान लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि विस्तार से वहां पर इस पर विचार किया जा सके। इसके अलावा इसका मूल्य ८ आना कर दिया जाना चाहिये।

*श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। जो संशोधन पेश किया गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो जोत-बही वितरित की जा रही हैं, वह करोड़ों की संख्या में वितरित की जायंगी। इससे किसान को अपनी अनजानी जमीन के बारे में जानकारी होगी। उसमें उस की हैसियत का इन्दराज होगा।

किसानों को अपनी जमीन की उन्नति करने के लिये खाद या बीज देना पड़ता है, बैंकों से और सरकार से कर्जा लेना पड़ता है। पहले लेखपालों से नकल लेने में किसानों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी, सैकड़ों रुपया किसान का उसमें बर्बाद होता था, उससे किसान की रक्षा हो सकेगी। लेकिन कर्जे के उल्लेख के बारे में विधेयक में कुछ दिया हुआ नहीं है। उसका उल्लेख भी जोत-बही में होना चाहिये। इसके अलावा प्रत्येक खातेदार को अलग-अलग जोत-बही दी जानी चाहिये। जो भी कर्जा, खाद या बीज किसान किसी से ले उसको इस जोत-बही में दर्ज किया जाना उचित होगा। इससे उसे और किसी के पास वैरीफिकेशन के लिये नहीं जाना पड़ेगा। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो नीति थी कि जोत बहियों से किसानों को लाभ देंगे उस सम्बन्ध में आदेश हो कि जो किसान उस जमीन पर कर्जा ले वह विभाग द्वारा उस पर दर्ज रहे और इसके लिये किसान को बार-बार तहसील से लिखाने को न कहा जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रजीत]

इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमिहीन और गरीबो की बात की जाती है। जमींन वितरण के सम्बन्ध में उसके लिये समस्या ८ १/२ प्रतिशत भूमि रिजर्व रखने की आ जाती है। जहां पर अधिक भूमि नहीं है वहां पर इस रूल के कारण गरीबों को भूमि नहीं मिल पाती है। तो मेरा निवेदन है कि जहां चकबन्दी हो चुकी है वहां के लिये इस ऐक्ट को लागू न किया जाय। जहां पर चकबन्दी नहीं हुई है वहां पर इसको लागू रक्खें क्योंकि वहां पर सामाजिक कार्यों के लिये जमींन रिजर्व करने की जरूरत पड़ती है। तो जहां-जहां चकबन्दी हो गई है वहां पर ८-१/२ प्रतिशत भूमि छोड़ने के बाद गरीबों को पट्टे किये जाते हैं इससे उनको भूमि नहीं मिल सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां पर चकबन्दी समाप्त हो गई है वहां पर इस ऐक्ट को लागू न किया जाय और जहां पर चल रही है वहां इसको लागू रक्खा जाय।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० को जनमत के लिये एक सप्ताह के लिये घुमाया जाय। राजस्व में लेखपाल महत्व की चीज है। मैं समझता हूं कि अगर एक दरिया उत्तर में जा रहा है और वह लिख दें कि दक्षिण में जा रहा है तो उसमें बोर्ड आफ रेवेन्यू भी दखल नहीं दे सकता है। इसलिये जो आप किसानों के लिये विचार कर रहे हैं और किसानों को उस लेखपाल से बचाना चाहते हैं उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इसलिये नहीं कि इंतखाब और खतौनी तक ही सीमित रहे और उसमें खसरे की इन्ट्री का खाना न हो। इससे अनर्थ हो जावेगा। खतौनी में तो नाम रहता है गड़बड़ी तो खसरे में होती है। किसान इतना भोला है कि उसको इन्ट्रीज का पता नहीं लगता है और धीरे-धीरे उसकी सारी जमींन निकल जाती है। तो मान्यवर, मंत्रीजी से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि खसरे के खाने में जब नई इन्ट्री हो तो कर दें जिससे किसानों को मालूम हो जाय कि मेरे खाने में किसी दूसरे का नाम दर्ज हो गया है और वह अदालत में जा सके। तो उस समय यह खाना जरूर होना चाहिये। दूसरे आपने देखा होगा कि जब बैनामा होता है तो उसमें १० प्रतिशत लेखपाल लेता है और जब तक उसकी इन्ट्री खतौनी से कट न जाय बराबर तंग करता है। इसको भी मान्यवर अपने ध्यान में रखें क्योंकि आप भ्रष्टाचार को खतम करना चाहते हैं और यही आपका उद्देश्य है तो चाहे जो भी अधिकारी आप नियत कर दें, उसको दिखलाने के बाद जोत बही में उसकी इन्ट्री हो जाय।

दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी कठिनाई उसको अपनी हैसियत की पड़ती है। उस जोत-बहीं में एक खाना हैसियत का भी रखा जावे जिससे मालूम हो जाय कि उसकी क्या हैसियत है और उस हैसियत के आधार पर चाहे उसे बन्दूक लेना हो, चाहे कर्जा लेना हो उसके मिलने में उसे आसानी हो। तीसरी बात एक और है कि जो सह-खातेदार हैं उनको आप एक ही पास बुक देना चाहते हैं। मान लीजिये कोई चार भाई हैं जनका बाप मर गया तो बड़ा भाई जो चालाक है उसने तो अपना नाम चढ़वा लिया और जो तीन भाई नाबालिक हैं उनको पता ही नहीं है कि बड़े भाई न क्या दर्ज कराया है। इसलिये जब आप जोत-बही के लिये पैसा लेना चाहते हैं तो उनको भी छूट होनी चाहिये कि वे भी अपने खाते की किताब, पुस्तिका ले लें ताकि उनको मालूम तो हो जाय कि उनका नाम इसमें दर्ज है भी या नहीं। यही कारण है कि अदालतों में साल ब साल मुकदमें बाजी बढ़ती जाती है और लेखपाल से लेकर वकील, पेशकार सभी गरीब किसानों को नोचते हैं। अब तो तारीख डालने के लिये भी तारीख दी जाती है। पहले ९० दिन के अन्दर मुकदमे की तारीख पड़ जाती थी लेकिन अब ९० दिन की कौन कहे, तारीख देने के लिये दो तीन चार महीने की तारीख लग जाती है। ऐसी सूरत में अगर आप लेखपालों से गांव के गरीब किसानों को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उनसे उनको मुक्ति प्राप्त हो तो कब से कम जोत-बही में यह खाना अवश्य होना चाहिये। सभी इस बात को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानते हैं कि लेखपाल क्या हैं ? वे स्याह को सफेद और सफेद को स्याह कर देते हैं। उनका लिखा हुआ ही सही माना जाता है। इसलिये चाहे आप इसको सदन की मेज पर रख दें या जो भी उचित समझें इसका प्रबन्ध कर दें कि सबको मालूम हो जाय कि उस पुस्तिका में कौन-कौन से खाने रहेंगे। जब तक यह नहीं मालूम होगा हम अपनी राय उसमें क्या दे सकते हैं। उसके लिये चाहे आप प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजें या न भेजें लेकिन कम से कम दो घंटे का समय सदन में ही इसके लिय दे दें ताकि इस पर बहस हो जाय और अगर आप चाहें तो अपन एक्सपर्ट्स को ही बुला कर इस पर उनकी राय ले लें, इससे आपका काम भी काफी हल्का हो जायगा। मैं पुनः माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जोत-बही वाली एक अच्छी चीज रखी है और यह ठीक काम किया है।

श्री मोतीलाल वेहलवी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोग जानते हैं कि यह जोत बही का नियम पिछली सरकार ने स्वीकार किया था और उसको अध्यादेश के रूप में लागू किया था। इस सरकार ने भी उसको स्वीकार किया, उसको माना। जाहिर है कि इस सरकार ने उसको अमृत समझ कर जूठा खाने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि जो जूठा था और उसे खाने की इच्छा इस सरकार को थी तो अधूरा काम क्यों किया। आपको चाहिये था कि अगर खाया था जूठा तो पूरा जूठा खा लेना चाहिये था। एक तो जोत-बही की बात और दूसरी सवा ६ एकड़ तक के लगान माफी की बात थी। लगान माफी बहुत अच्छी बात थी, गरीबों के फायदे की बात थी, हरिजनों के फायदे की बात थी। अगर सवा ६ एकड़ तक लगान माफी की बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वीकार कर लिये होते, मान लिये होते तो उत्तर प्रदेश के जिन हरिजन किसानों को, जिन गरीब किसानों को खुशी हुई थी, उनको एक बहुत बड़ी खुशी होती लेकिन उनकी उस खुशी को चौधरी साहब ने एक दुख में परिणत कर दिया। चौधरी साहब ने सिर्फ जोत-बही को स्वीकार किया। जाहिर है कि जिस स्थान पर चकबन्दी हो रही है वहां पर काफी कठिनाई और परेशानियां होंगी। पहली बात तो यह है कि मुख्य मंत्री जी ने पहले ही दिन यह स्वीकार किया था कि इस जोत-बही की कीमत मुश्किल से आठ आना अथवा ५० पैसे है, तो जिस बात को मुख्य मंत्री जी ने स्वयं ही स्वीकार किया कि जोत बही की कीमत ८ आना से ज्यादा नहीं है तो समझ में नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के किसानों को ८ आना जुर्माना देने पर क्यों मजबूर किया गया। उसकी कीमत जानते हुये भी एक रुपया उन्होंने रखा है। होना तो यह चाहिये कि वह बिल्कुल ही फ्री, मुफ्त कर दी जाय और किसानों को वह बिना कीमत लिये हुये ही बटवानी चाहिये थीं। दुर्भाग्य की बात है, बदकिस्मती है और मैं तो कहूंगा कि चौधरी साहब, प्रान्त के मुख्य मंत्री महोदय को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है, हरिजनों से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो उन्होंने जोतबही की जो कीमत रखी है उसको बिल्कुल ही मुफ्त करवा दिया होता लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करवाया। यही बात उन्होंने सवा ६ एकड़ के लगान माफी के मामले में भी। भारतीय क्रान्ति दल के बहुत से साथी मुझसे मिले। मैंने उनसे कहा कि मैं इस तबियत का आदमी हूं और दिल खोल कर बातचीत करता हूं। मैंने उनसे बात की और कहा कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ करवाने में गरीबों और हरिजनों को ज्यादा फायदा मिलेगा और अगर वह इस बात को नहीं मानेंगे तो जाहिर है कि आप हरिजनों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ दुश्मनी का व्यवहार कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, यहां तक कहा और चैलेन्ज किया और आज भी वह चैलेन्ज है कि अगर आप इस बात को साबित कर दें कि सवा ६ एकड़ लगान की खेती से हरिजनों को ज्यादा फायदा नहीं है तो मैं अपनी पार्टी को छोड़ कर आपकी सदस्यता को स्वीकार कर लूं परन्तु मेरे चैलेन्ज पर भारतीय क्रान्ति दल का कोई भी साथी इस चैलेन्ज को स्वीकार नहीं कर सका।

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझ से बातचीत कर लें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

श्रीमान् जी, माननीय गेंदासिंह जी भी सवा छः एकड़ की लगान माफी को कहा करते थे। परन्तु स्वार्थ एसी चीज है जो विवेक पर पर्दा डाल देता है। पिछली बार हमेशा से कांग्रेस के लोग चाहे इस गुट के हों या उस गुट के हों सवा ६ एकड़ की खेती से लगान माफ करने की बात किया करते थे और यह कहते थे कि यह जोत अलाभकर है लेकिन कुर्सी की लालच में वह उसको भूल गये।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न इस समय है आप कृपया उसी का उत्तर दें और बाद को इन प्रश्नों को उठायेंगे।

श्री मोतीलाल देहलवी—

खैर, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम जोत-बही देना स्वीकार किया गया। यह विवेक का तकाजा था कि इस तरफ के कांग्रेसी जिस बात को मानते आ रहे थे, उसे वह कुर्सी के मोह में भूल गये। जोत बही में बहुत सी कमियां, खामियां भी हो सकती हैं। आगे चल कर गरीब किसान को कोई नुकसान न उठाना पड़े, इसलिये कमियों को निकालने के लिये जरूरी है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि किसानों को हम विधायकों से कोई शिकायत न रहे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन प्रस्तुतकर्त्ताओं की दलीलों को सुना। माननीय हिम्मत सिंह को छोड़ कर जितने व्यक्तियों ने संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन किया है उन सभी ने और खास कर मेरे मित्र देहलवी साहब ने वे तमाम आर्गुमेन्टस दिये हैं जिनका सम्बन्ध लैंड रेवेन्यू ऐक्ट से बिल्कुल नहीं है। उन आर्गुमेन्टस का कहीं भी कोई सम्बन्ध नहीं मिलता है। उनकी जितनी भी दलीलें और शिकायतें थीं वे जमींदारी विनाश एवं भूमि विकास अधिनियम से थीं। यदि जमींदारी विनाश एवं भूमि विकास अधिनियम में संशोधन आता तो उस समय उनको वे आर्गुमेन्टस देने चाहिये थे।

श्री देहलवी साहब ने कहा कि उन्होंने भारतीय क्रान्ति दल के साथियों को चैलेंज किया था, मगर किसी ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा कहना तो यह है कि अगर कोई उनका चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है तो फिर फैसला कौन करेगा?

श्री मोतीलाल देहलवी—

श्री महीलाल के यह कहने पर कि मेरी चैलेंज का फैसला कौन करेगा। फैसला सार्वजनिक सभा में हो सकता है।

श्री महीलाल—

तो पतनाला तो वहीं गिरेगा। देहलवी साहब का चैलेंज एक्सेप्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं उनकी सब बातों का जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। केवल इतना निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३३ में यह व्यवस्था हो कि किसानों को उनकी जोत के विवरण का लिखित रूप में प्रमाण दे दिया जाये। इस लिखित विवरण का नाम जोत बही है। जोत-बही के सम्बन्ध में माननीय हिम्मत सिंह जी ने कुछ अपने सुझाव दिये। दुर्भाग्य की या संयोग की बात यह रही है कि वे जोत बही के खाने देख भी नहीं पाये।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

सौभाग्य की कहिये।

श्री महीलाल—

चलिए मैं आप के ही शब्द दोहरा देता हूं। सौभाग्य की बात ही सही, उन्होंने पास बुक के खानों को देखा तक नहीं, जबकि २६ जनवरी, १९७० से जोत बही बंट रही है। खसरे के बारे में बात हुयी। खसरे में अगर कोई इन्दराज होगा तो वह "खाने कैफियत" में भी होगा। मैं समझता था कि उस सरकार के समर्थक होने के नाते उन्होंने जोत बही को देख लिया होगा और शायद २६-१-१९७० को उनकी कांस्टीटुएंसी में उन्ह के हाथों उनका वितरण भी हुआ हो। मैं तो यही आशा करता था।

मान्यवर, कुछ शिकायतें हमारे नवयुवक सदस्य ने कीं कि हरिजनों को भूमि नहीं मिल रही है। उन्होंने तो एक साल तक उस सरकार का सहयोग दिया था और आज भी उस सरकार के मुख्य मन्त्री के वे सहयोगी ह ।

श्री बसन्तलाल शर्मा—

कुछ बोलने के उपक्रम में ।

श्री महीलाल—

वे उस पार्टी को छोड़ दें और हमारे यहां आ जायें। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हमसे क्यों आशा करते हैं। हमें सहयोग दें और देखें कि भूमिहीनों को भूमि मिलती है या नहीं ।

एक सदस्य—

भगोड़ों के साथ कौन आयेगा।

श्री महीलाल—

माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो सुझाव दिया कि जोत बही में ऋण का इंदराज होना चाहिये। अगर ऋण का इन्दराज जोत बही में हो जाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसान तरह तरह के ऋण लेता है। ऋण के लिए वह बैंक में जाता है, ब्लाक में जाता है और तहसील में भी जाता है। अगर जोत बही में ऋण का विवरण आ जायेगा तो किसान को मुक्ति मिल जायेगी और वह भ्रष्टाचार में नहीं फंस पायेगा। मैं नहीं जानता कि विभागीय कठिनाई क्या रही और किस वजह से नहीं आया । उसमें आना चाहिये था। एक खाते में जितने साझियों के नाम हों उन सब को यह सुविधा मिलनी चाहिए कि वे देख सकें कि उनकी कितनी जोत है। इसलिए इसमें धारा ३३ में यह व्यवस्था करनी है और इस विधेयक को किसी जनमत के लिए या प्रवर समिति के लिए या संयुक्त प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्यों को तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, यह मानकर कि यह नेक काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इस सरकार को बधाई देनी चाहिए कि जोतबही की किताब की कीमत तीन रुपए से घटाकर एक रुपया कर दी।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि लेखपालों की जो ज्यादती थी उनसे सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। २०/२२ वर्षों में उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया और न कोई कदम उठाया गया। आज वह कदम उठाया गया चाहे इस बेंच ने उठाया या उस बेंच ने, हम उस की सराहना करते हैं। लेकिन कुछ संशोधन की आवश्यकता है। यह जो जोतबही बनाई गयी है वह जल्दी जल्दी में बनाई गयी और किसानों की कठिनाइयों को सामने न रखते हुए बना दी गयी। इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। जैसे हर फसल की एन्ट्री की जायगी जोत बही में, खसरे में या खतौनी में तो उसकी एक निश्चित अवधि होनी चाहिए । रबी की फसल बैसाख में कट जाती है तो असाढ़ या सावन तक जोत-

[श्री पारसनाथ सिंह]

बही में इंदराज कर देना चाहिए। लेखपाल जिस प्रकार से गांव गांव में पड़ताल करने के लिए जाता है तो उसी प्रकार जब पड़ताल सम्बन्धित अधिकारी कलेक्टर या तहसीलदार से स्वीकृत हो जाय तो जोतबही में भी निश्चित समय के अन्दर इंदराज हो जाना चाहिए जिससे किसान को पता लग जाय और उसके साथ ही इंदराज की तारीख भी पड़नी चाहिए जिससे उस एन्ट्री के बारे में यदि कोई शिकायत हो तो किसान सम्बन्धित अधिकारी के पास निश्चित समय के अन्दर शिकायत कर सके। अगर कोई समय निश्चित नहीं करेंगे तो दो दो तीन तीन चार चार साल तक पड़ताल होती रहती है और इस तरह जब जोतबही में एन्ट्री नहीं होगी तो किसान अंधेरे में रहेगा और फिर वही भ्रष्टाचार आकर खड़ा हो जायगा। इसी के साथ यह भी प्राविधान होना चाहिए कि जो लेखपाल निश्चित समय के अन्दर इंदराज नहीं करेगा जोतबही में, उसको कोई दंड दिया जायगा या और कोई कार्यवाही उसके खिलाफ की जायगी।

तीसरी बात यह है कि उसकी कीमत के बारे में हमारे सहयोगी बोल चुके हैं तो उसका मैं हर प्रकार से अनुमोदन करता हूं।

चौथी बात यह है कि खाद या लोन किसान को जोतबही दिखलाने पर मिल जाना चाहिए और उसमें किसी तरह के वैरीफिकेशन की जरूरत न पड़े। ऐसा प्रविधान भी होना चाहिए। इससे यह भी होगा कि आज किसान को विकास खंडों में हो रही जिस धांधली का सामना करना पड़ता है वह नहीं होगा। उसको दूर करने के लिए जो खाद वह उठावें उसके लिये उस जोत बही में खाना होना चाहिये, उस की कीमत दर्ज की जाय और जब वह रुपया दे तो उसकी भी इन्ट्री हो सके जिससे किसान को वास्तविकता का पता रहे।

मैं ट्रेजरी बेंचेज को और धन्यवाद देने का प्रयास करता यदि सिंचाई की दरों और खाद की कीमत में कमी करने की कोशिश की गयी होती। किसान अपनी फसल के लिये तमाम दैवी आपदाओं के सामने खड़ा रहता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार से उसके सामने कई समस्यायें रहती हैं जिसके कारण इच्छा रहते हुये भी वह कुछ कर नहीं पाता है। इतनी महंगी सिंचाई अगर वह करे तो उसको विश्वास नहीं रहता है कि वह सारा पैसा वापस कर सकेगा। इसलिये जब तक किसान को सारी सुविधायें दे न दी जायं तब तक सिंचाई की दरें और खाद की कीमत कतई नहीं बढ़नी चाहिये।

एक समस्या और सामने आयी। जहां पर हमारी सरकार ने ट्यूबवेल बनाने का निश्चय किया तो उसने एक कानून बना दिया कि वहां का किसान १० रुपये एकड़ पेशगी जमा करे। बहराइच में चर्दा क्षेत्र में ५ ट्यूबवेल स्वीकार हो कर गये। किसान इतना डरा हुआ था कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि १० रुपया एकड़ जमा कर के लगवा सके। परिणाम यह हुआ कि वह ट्यूबवेल दूसरी जगह चले गये। पता नहीं किसान का ट्यूबवेल कब चालू हो.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह कैसे संगत बनाते हैं?

श्री पारसनाथ सिंह—

अच्छा जाने दीजिये। तो मैं इतना कह कर संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे विषय पर आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये आप को बधाई देता हूं। जो जोत बही के संबंध में विधेयक रखा गया है अगर उस पर जमींदारी उन्मूलन के समय विचार किया गया होता तो आज जो हजारहा भूमिहीन हरिजन हैं उनकी जमींन जबदस्ती न लिखायी गयी होती। यह जोत बही भूमिहीन हरिजनों के लिये रामबाण का काम करेगी और इसमें उनके पास जो मकान है, बारी है, पेड़ है, बाग है, इनका भी इन्दराज हो। ऐसा होने से वह उस गांव के बासी माने जायंगे

और अगर कहीं उन को कर्ज लेना पड़े तो वह उसे दिखा कर ले सकें। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो उन्हें उस गांव में रहने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी नहीं तो आज सैकड़ों भूमिहीन काश्तकारों को गांवों से निकाला जा रहा है और उनके बाग और पेड़ वगैरह छीने जा रहे हैं। भूमिहीनों का इसमें समावेश होना बहुत ही आवश्यक है। आज भूमिहीन बहुत परेशान हैं। हमारे यहां रायरूपीपुर मझारा तुलसीपुर गांव हैं वहां के लिये कलेक्टर ने आर्डर दिया कि वहां के भूमिहीनों की लिस्ट बनाई जाय और वहां के १३० भूमिहनों की लिस्ट बनाकर तैयार कर दी गई। उस में वह सब लोग शामिल कर दिये गये जिनके पास भूमि है और जो प्रधान या वहां के बड़े लोगों के भाई भतीजे थे। उसमें से केवल ३० ही भूमिहीन असली हैं और १०० आदमी ऐसे हैं जो वास्तव में भूमिहीन नहीं हैं और उनके पास पहले से भूमि है। इसकी जांच हो रही है। मेरा कहना है कि उन हरिजनों के साथ बहुत अन्याय होगा और अच्छा हो कि जोतबहियों में ठीक से इन्दराज हों। हो यह रहा है कि प्रधान के अपने परिवार के सब लोगों के २ एकड़, ४ एकड़ जमीन पास है लेकिन भूमिहीनों के नकशे में उन को भेज देते हैं। इसके अलावा जहां चकबन्दी हो रही है, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान.....

श्री उपाध्यक्ष—

जो संशोधन है उसी पर बोलें तो संगत होगा।

श्री गंगा प्रसाद—

वहां पर जबरदस्ती जिनके नाम से जमीन है भूमिहीनों से हरिजनों से ली जा रही है। उस को रोकने का ही उपाय जोत-बही में है। अगर उसका इन्दराज ठीक से होगा तो वह रामबाण का काम करेगी। हमारे मुख्य मन्त्री जी और खासतौर से मही लाल जी जो हरिजनों के नेता बनते हैं, हमारे सुझावों को मनवाने की कोशिश करें ताकि हरिजनों के साथ न्याय हो सके।

श्री रामकिंकर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुनें। कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिसमें हमें अधिक कुछ कहने की आवश्यकता है। केवल एक खास बात माननीय हिम्मत सिंह जी ने कही कि खाते में कई आदमियों के नाम होंगे तो वही पहले आदमी को तो मिलेगी और बाकी को नहीं मिलेगी। पहले आदमी के लिए तो देना अनिवार्य है लेकिन दूसरे तीसरे को देना कम्प्लसरी नहीं है, वह पैसा देंगे तो जोत-बही मिलेगी.....

श्री बसंतलाल शर्मा—

एक स्पष्टीकरण कर दिया जाय श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी फरमाया कि कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती की जाय जो पसा देंगे उनको मिलेगी लेकिन इस में स्पष्ट लिखा है कि यह शुल्क मालगुजारी की तरह वसूल किया जायगा। कौन बात सही है?

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

आप कौन सा चाहते हैं? आपके यहां से ही सब बातें तय हुई थीं।

श्री बसंतलाल शर्मा—

हमारी सब बातें मान लेते तब तो कोई शिकायत ही न होती।

श्री राम किंकर—

जहां तक माननीय सदस्यों का यह सुझाव है कि यह शुल्क जोत-बही का १ रुपए के बजाय ८ आना कर दिया जाय तो अब यह सम्भव नहीं है। इस सरकार ने तो पिछली सरकार के ३ रुपये से घटाकर १ रुपया पहले ही कर दिया है। ३ साल के बाद यह जोत-बही दी जायगी और उस पर सरकार का ३० लाख का खर्च आयेगा। इसलिये फिलहाल एक रुपया ही कीमत

[श्री रामकिंकर]

उचित है। मैं माननीय सदस्यों के सुझावों के लिये अनुग्रहीत हूं। मेरा निवेदन है कि अब इस पर देर न करें। मैं समझता हूं कि इसे प्रवर समिति और जनमत के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह तो जोत-बही का मामला है जिसका सभी किसानों ने और सदन के माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे दें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० जनमत के लिए एक सप्ताह के लिए घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैन्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७०

भूमिधरों तथा सीरदारों के लिए उनके खातों के सम्बन्ध में जोत-बही नामक उद्धरण तैयार करने तथा उनको दिए जाने की और तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९७० की धारा ३३ का संशोधन

२—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३३ की उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

"(४) उपधारा (१) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलेक्टर, उसकी तैयारी के उपरान्त यथाशक्य शीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर या सीरदार अभिलिखित हो, एक पास बुक, जिसे जोत-बही कहा जायगा, तैयार करायेगा और ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क के, जो मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा भुगतान पर उसे दिलवायेगा, जिसमें से उसकी उन सभी जोतों के विषय में जिनके संबंध में वह (एकलतः अथवा दूसरों के साथ संयुक्तः)

तत्रूप में अभिलिखित है, वार्षिक रजिस्टर से लिए गए ऐसे उद्धरण निहित होंगे, जिन्हें नियत किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कि संयुक्त खातों की दशा में, इस उपधारा में से, प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा यदि जोत-बही अभिलिखित सह-अंशधारियों में से, केवल ऐसे एक या एकाधिक को जो नियत किया जाये, दी जाय।

स्पष्टीकरण—जोत-बही, खातेदार की सीरदारी और भूमिधरी खातों के लिए संहत पास बुक होंगी।

(५) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन नया वार्षिक रजिस्टर तैयार न कर लिया जाये, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, बिना अतिरिक्त शुल्क दिये उपधारा (२) के अधीन वार्षिक रजिस्टर में किये गये किन्हीं संशोधनों को अपनी जोत-बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा।

(६) राज्य सरकार इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत , विशेष रूप से, जोत-बही की प्रविष्टियों को न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने और उन्हें सिद्ध करने की रीति और उन्हें अध्यावधिक पुनरीक्षित तथा प्रमाणित करने की नीति और उसकी द्विक प्रतियां जारी करना, और किन्हीं उक्त प्रयोजनों के लिए लिया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, शामिल है।

(७) इस धारा में "नियत" का तात्पर्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(८) उपधारा (४) से (७) तक की कोई बात किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में लागू न होगी जो चकबन्दी क्रियाओं या अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत हों।"

३—उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उ० प्र० अध्यादेश सं० ३, १९७० का निरसन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग....

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, खण्डों में हमने अपने संशोधन दिए हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

हमारे पास नहीं आये हैं।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैंने भी इनके बारे में संशोधन दिए हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

ये संशोधन मूव नहीं किए गये हैं। मैंने वोट ले लिया है।

श्री हरिनाथ तिवारी—

श्रीमन्, मैंने सचिव महोदय को जब माननीय मंत्री जी पुरःस्थापित कर रहे थे दिए थे, उसी समय दिए थे?

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है कि उतना काम किया जाय। आपने ही निश्चय किया था कि २ बजे दूसरा काम हो। इसलिए प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामकिंकर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैंड रवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपास्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय २ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेखानुदान पर विचार न किये जा सकने के सम्बन्ध में आपत्तियां

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज यहां पर उत्तर प्रदेश विनियोग लेखानुदान पर चर्चा होने वाली है। मैं ऐसा समझता हूं कि लेखनुदान विधेयक पिछली बार यहां पर प्रस्तुत ही नहीं हुआ पर जो कुछ भी हुआ उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरे, पिछली बार जब माननीय चरण सिंह, विरोधी दल के नेता थे और सरकार की ओर से लेखानुदान आया था तो मैंने और उन्होंने उस पर आपत्तियां उठायी थीं। माननीय चौधरी साहब ने उसका समर्थन किया था। वे भी उस समय इस मत के थे कि लेखानुदान ऐसी परिस्थितियों में नहीं लाना चाहिये और अगर आवे भी तो एक महीने से अधिक का नहीं आना चाहिये। तो जब वे नेता, विरोधी दल थे तब उनके यह विचार थे और आज मान्यवर, क्या हो रहा है। मैं तो चौधरी साहब को समझता था कि वे अपनी बातों पर अटल रहेंगे, मगर आज वे अपनी बातों से खिसकते नजर आ रहे हैं। मैं फिर उन्हीं तथ्यों को आपके सामने रखूंगा जो पहले कह चुका हूं। मान्यवर, संविधान में इसकी प्रक्रिया दी हुई है। उसमें लिखा है कि कब लेखनुदान लाया जायेगा। अनुच्छेद २०२ में यह दिया हुआ है कि एक वर्ष में एक बार साल का आय व्ययक रखा जायेगा और उसमें उसकी प्रक्रिया दी हुई है। २०४ में विनियोग विधेयक पास कराने के बारे में है। ३१ मार्च तक अमूमन बजट का सारा कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि ३१ मार्च तक सारा बजट पास कराना सम्भव नहीं होता तो उसके लिये लेखानुदान मांगा जाता है और उसके लिये २०६ में प्राविजन है। उसमें यह लिखा हुआ है कि मूल बजट पहले पेश होगा। बजट एक ही बार पेश होगा, एक बजट पेश होगा, दो नहीं हो सकते। श्रीमन्, यही प्रश्न पार्लियामेंट में भी आया था और उस पर बहुत बहस हुई थी और उसके बाद स्पीकर महोदय ने वहां यही व्यवस्था दी कि आज जो हो गया वह हो गया, लेकिन आयन्दा से ऐसा नहीं होगा। पहले मूल बजट पेश होगा, उस पर चर्चा आरम्भ होगी और अगर वह समय के अन्दर खत्म नहीं होगा तो हम पेशगी के लिये अनुमति देंगे, लेखानुदान पास हो जायगा और मूल बजट पर चर्चा चलती रहेगी। आज जैसा लेखानुदान पेश किया गया है वह अनुच्छेद २०६ के अन्तर्गत कभी नहीं आ सकता। अब यह बात दूसरी है कि जिसके पास शक्ति है वह हर अनुच्छेद को रौंद सकता है। २०६ में श्रीमन् यह है आप जरा सुनें —

206 "(1) Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the Legislative Assembly of a State shall have power—

(*a*) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the

procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 204 in relation to that expenditure ;"

तो श्रीमन्, अगर यह पेशगी लेना चाहते हैं तो संविधान में हुई प्रक्रिया को इन्हें अपनाना चाहिये। हम यहां देखते हैं कि उस प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा रहा है। मूल बजट हमारे सामने अभी पेश नहीं हुआ है। श्रीमन्, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी यह प्रश्न उठा था। वहां पहले एडवोकेट जनरल को भी सुना गया था। परन्तु कुछ निश्चय वहां नहीं हो पाया था। परन्तु आपके मार्गदर्शन के लिये जो पार्लियामेंट का प्रोसीजर है वह मैं आपके सामने रखता हूं। वहां के स्पीकर ने यह निर्णय लिया कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा कि मूल बजट के पहले लेखनुदान मांगा जाय। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि लेखनुदान पर विचार नहीं हो सकता, यह संविधान के अनुच्छद २०२, २०३, २०४ तथा २०६ के विरुद्ध है।

*मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहते थे। यह बात ठीक है कि उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा। मैं उनसे भी अधिक संक्षेप में कहना चाहता हूं। यह अनेक बार पास हो चुका है। जिस ढंग से हम यह वोट आन एकाउन्ट का मेजर लाए हैं यह आ सकता है। पहले मेरी अपनी राय थी कि नहीं आ सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल की राय यह है हमारे लिए कि आ सकता है। हमारे यहां पहले फैसला अध्यक्ष महोदय दे चुके हैं। पिछले बार भी दिया है। लोक सभा में भी इस प्रकार की आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन फैसला, जो त्रिपाठी जी की और हमारी राय थी, उसके खिलाफ था। अब वह फैसला शिरोधार्य है। हमें क्या आपत्ति है? क्यों आपत्ति हो? आपकी (त्रिपाठी जी) आपत्ति तो जारी रहेगी यह मैं समझता हूं, लेकिन कृष्णानन्द राय और आचार्य जी तो आपत्ति कर नहीं सकते। अब बात रही--एक महीने डेढ़ महीने या ५ महीने या ११ महीने की, तो पिछली बार लक्ष्मीरमण जी ने ५ महीने का वोट आन एकाउन्ट तक मांगा और कहा था कि ११ महीने का भी ले आएं तो कौन रोक लेगा। मैंने, डेढ़ महीने और पांच महीने, दोनों के बीच का मार्ग अपनाया है और तीन महीने का लाया हूं। मैं समझता हूं कि यह पीरियड अनुचित नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि यह परम्परा पड़ गई है कि लेखानुदान पेश किया जाए। लेकिन मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद के विरोध में, संविधान के विरोध में कोई परम्परा कायम नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी रूलिंग भी इनके विपरीत है, संविधान के विरुद्ध है तो आपको अधिकार है कि आप उसमें सुधार कर लें। पुनः अपनी रूलिंग उस विषय पर दें। सारा काम अनुच्छेद के, और संविधान के अनुकूल होना चाहिए। आप ऐसी परिपाटी डालिए कि इस तरह से अगले लेखानुदान लेने की नौबत ही न आए। कोई कहे कि अध्यक्ष ने एक बार नहीं बार-बार इस पर निर्णय लिया है, तो भी यदि वह संविधान के अनुकूल नहीं है तो उचित समय पर उसमें सुधार किया जा सकता है। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया, इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो स्टैन्ड पहले था वही अब भी है। हम अपन स्टन्ड को बार-बार बदलना पसन्द नहीं करते हैं। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जब वह विरोधी दल में बैठते हैं तो एक राय रखते हैं और उस कुर्सी पर बैठने पर दूसरी राय रखते हैं, तो इसका जनता पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। मैं तो आपत्ति नहीं करूंगा, मैं तो समर्थन करता हूं, मुख्य मंत्री जी उसका विरोध करें तो ठीक होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, उल्टी गंगा बहाना चाहता था। सही बात तो यह है कि मेरी वही राय है जो...

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप वकील की हैसियत से न बोलिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उसी पर कह रहा हूं। मेरी राय में जिस चीज का त्रिपाठी जी ने जिक्र किया वह कई बार पार्लियामेंट में आ चुकी है और जिस अनुच्छेद का उन्होंने जिक्र किया है, वह सारे संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार आय-व्ययक पेश किया जाए। इसलिए मेरी राय वही है, जो पहले थी लेकिन एक बात अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोकसभा में प्रथा है कि समस्त बजट पेश कर देते हैं और उसके बाद वोट आन एकाउन्ट ले लेते हैं और फिर धीरे-धीरे उस पर बहस होती रहती है, उस प्रथा का जरूर यहां भी पालन किया जाना चाहिए। ऐसा मेरा मत है।

एक सदस्य—

पहले क्यों नहीं किया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इसका उत्तर यह है कि मुझ से पहले लोगों ने नहीं किया था।

श्री चरणसिंह—

सन् ६७ में भी आपने वोट आन एकाउन्ट लिया था।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यहां एक ही बजट पेश हो सकता है और कोई अतिरिक्त बजट—अन्तरिम बजट नहीं पेश हो सकता है। संविधान में लिखा हुआ है, हमारी प्रक्रिया नियमावली में लिखा हुआ है कि बजट या सप्लीमेंटरी बजट या लेखानुदान या एक्सेज ग्रांट ये सारे, लेकिन कहीं अन्तरिम बजट पेश करने का प्राविधान नहीं है। दूसरी बात यह कि एक ही श्वेतपत्र आ सकता है एक बजट के सिलसिले में। माननीय सदस्य, नैनीताल बैठे हुए हैं और शायद आप इस कुर्सी पर विराजमान रहे हों, ५ मार्च, १९६२ को लेखानुदान जब पेश किया गया तो माननीय सदस्य, नैनीताल ने इन कुर्सियों पर बैठ कर एक आपत्ति की थी। उस पर आपकी व्यवस्था है। वह मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। वह यह है कि उनके विद्वतापूर्ण तर्कों को सुन कर आपने व्यवस्था दी कि वित्त मंत्री के भाषण में जो साल भर से संबंधित चीज हो और वोट आन एकाउंट के बाहर चीज हो, उतना हिस्सा जांच के बाद हम हटा सकते हैं, । अगर यह मान लें कि साल भर के सिलसिले में वित्त मंत्री का भाषण है, आपकी ही व्यवस्था रही होगी, अगर आप चाहें तो मैं आपके सम्मुख उपस्थित कर दूं।

श्री अध्यक्ष—

सफा बता दीजिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

१४४। इसमें उन्होंने जिक्र किया था, (पृष्ठ २४३) हाउस आफ कामंस में यह भी होता है कि वोट आन एकाउंट जब होता है तो उस जमाने में उस संबंध में न तो कोई बजट भाषण होता है और न कोई ह्वाइट पेपर सरकार की तरफ से ईशू होता है, सिर्फ एक ५ लाइन का प्रस्ताव आ जाता है। अगर बजट भाषण होता है और राज्य की वित्तीय स्थिति सदन के सामने रखी जाती है ह्वाइट पेपर की शक्ल में, तो फिर यह लाजिमी होता है कि यहां से भी संशोधन मान लिये जायं"। और अन्त में आपने व्यवस्था दी, "वित्त मंत्री के भाषण में जो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साल भर से संबंधित चीज हो और वोट आन एकाउंट के बाहर की चीज हो, उतना हिस्सा हटा सकते हैं"। वोट आन अकाउंट दो शक्ल में पेश होता है। एक शक्ल वह होती है जब डिजोल्यूशन पीरियड के लिए वोट आन एकाउंट पेश होता है। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। स्थिति यह है कि साल भर का पूरा बजट पेश करने का पूरा समय था। जो संविधान, और आपकी नियमावली को मैं समझ पाया उसको देखते हुए और आपकी व्यवस्था को देखते हुए, किसी भी दृष्टि से देखा जाय तो आज यह लेखानुदान न पेश हो सकता है, न चर्चा हो सकती है। इसलिए यहां हर हालत में, चाहे उस दृष्टि से देखें, चाहे इस दृष्टि से देखें, आप अपनी व्यवस्था दें और इस लेखानुदान को सदन में पेश होने से रोक दें। आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

वित्त मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह बहस से सिद्ध हो गया है कि इस तरह का ऐतराज कई सालों में उठाया गया। उसकी रूलिंग भी सदन के सामने आ चुकी है। माननीय त्रिपाठी जी ने मैं ऐसा समझता हूं रस्मी तौर पर ऐतराज उठा दिया है। जहां तक मैं समझा हूं आपने दो बातों का ऐतराज किया है। एक तो आर्टिकिल २०२ के बारे में आपका कहना है कि बजट जो पेश किया गया है या बजट एक ही दफा आ सकता है, दोबारा पेश नहीं किया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान का आर्टिकिल ३६७ जनरल क्लाजेज ऐक्ट को अप्लाई करता है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट के सेक्शन १३ और १४ दोनों ही इसमें इस्तेमाल हुये हैं। उनके इस्तेमाल होने का मतलब यहां पर साफ है। जनरल क्लाजेज ऐक्ट की दफा १३ का मतलब यह है कि "सिंगुलर इन्क्लूडस पिलुरल"। सेक्शन १४ का मतलब यह है कि यहां पर दोनों ही इस्तेमाल किये जा सकते हैं। जो क्लाज एक दफा इस्तेमाल हो जाय तो वह दूसरी दफा भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके सम्बन्ध में यहां पर एडवोकेट जनरल की राय भी सदन के सामने आ चुकी है।

जहां तक वोट आन अकाउन्ट को पेश करने की बात है उसके बारे में मैंने अपने बजट भाषण के समय बताया था कि इस सरकार को बने अभी कुछ ही सप्ताह हुये हैं। सरकार को तुरन्त ही बजट पेश करने की आवश्यकता आ गई। कोई भी सरकार इतने थोड़े समय में बजट की पालिसी बना कर और पूरी तरह से उसका पूरा विवरण नहीं दे सकती है। जो पहले हालात थे और जिन हालात में वह रूलिंग हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिये तो वह ठीक थी क्योंकि उस तरह के हालात थे। जो हालात अब हैं उनमें यह वाजिब है और ठीक है कि इस तरह से वोट आन एकाउन्ट पेश किया जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो पेश किया गया है ठीक पेश किया गया है और जो इस पर ऐतराज हुआ है वह रस्मीतौर पर ऐतराज हुआ है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, गोरखपुर का मैं बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने पुरानी रूलिंग ५ मार्च, १९६२ की जो मेरे द्वारा इस सदन में प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया था, उसका हवाला देते हुये यहां आपकी रूलिंग का उल्लेख किया है। यह अवश्य है कि जो उस समय मैंने बात कही थी वह जहां तक हाउस आफ कामन्स के प्रोसीजर का सवाल है, वह बिल्कुल सही है। आज भी वही पद्धति हाउस आफ कामन्स में होती है जिसका उल्लेख मैंने उस दिन किया था। श्रीमन्, उस रूलिंग का ही यह प्रभाव हुआ है कि यह जो बजट को प्रस्तुत करने के लिये लेखानुदान के बजट मे तब्दीली हुई है। सन् १९६२ में जिस प्रकार से लेखानुदान की मांग रखी गई थी और आज प्रस्तुत करने की मांग में अन्तर है मैं अपने सम्मानित मित्र का ध्यान इस नई पद्धति की ओर दिलाना चाहता हूं। जिस संविधान के अनुच्छेद २०६ का माननीय नेता, जनसंघ ने उल्लेख दिया है उसमें यह लिखा हुआ है कि विधान सभा में आय व्ययक को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

रखने की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद २०३ के अनुसार इस बजट को पारित करने की रीति पूरी होने तक एडवान्स के रूप में वित्तीय ग्रान्ट कर सकेंगे ताकि राज्य का खर्चा चल सके। बजट पास होने में देर हो और वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाय तो ऐसी हालत में खर्चा राज्य का कसे चलेगा तो उसको पूरा करने के लिये यह वोट आन अकाउन्ट हुआ करता है।

आज जो हमारे सामने है वह यह है कि सब से पहले तो आर्टिकिल २०२ के अनुसार हमारे सामने वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण को प्रस्तुत किया है और वार्षिक बजट भी प्रस्तुत किया है। ऐसी नई सरकार ने जिसने १०, १२ दिन ही काम किया हमारे सामने २०२ आर्टिकिल के अनुसार बजट भाषण भी किया है और एक एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेंट भी दिया।

माननीय नेता, जनसंघ तथा सदस्य मथुरा से मैं कहूंगा कि आर्टिकिल २०२ को वह २०५ के साथ पढ़ें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मेरा तो वह नाम ले लिया करे इसकी मैं उनको इजाजत देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

वह व्यक्तिगत हैसियत से यहां नहीं बैठते हैं बल्कि एक क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि की हैसियत से यहां बैठे हुए हैं, उसी नाते मैं उनको सम्बोधित कर रहा हूं। अब आर्टिकिल २०२ तथा २०५ के आधार पर यह अनिवार्य नहीं है कि एक ही फायनैन्शियल स्टेटमेंट यहां पेश हो, सप्लीमेंटरी फायनेन्शियल स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं। एक वार्षिक बजट तथा उसके साथ कई पूरक बजट आ सकते हैं। कभी दो और कभी कभी तीन सप्लीमेंटरी बजट आये हैं। पिछले वर्ष मुझे यदि ठीक याद है तो एक मुख्य बजट आया और दो पूरक बजट आये, इस प्रकार तीन फायनेन्शियल स्टेटमेंट्स रखे गये। इसलिये मैं यह नहीं मानता कि कि विधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक से ज्यादा वित्तीय विवरणों पर विचार किया जाय। २०२ के आधार पर बजट विवरण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया १ अरब ५४ करोड़ रुपये का और २०६ के अनुसार अब फिर वोट आन एकाउंट मांगा जा रहा है। अगर आर्टिकिल २०२ के अनुसार पहले बजट पेश न होता तो फिर माननीय नेता, जनसंघ की शिकायत ठीक होती वोट आन एकाउंटस के पेश करने के सम्बन्ध में। पहले २०२ के अनुसार बजट पेश हुआ। अब २०६ के अन्तर्गत उस रुपये को हम वोट आन एकाउंट के जरिये मंजूर कर रहे हैं जब तक कि बजट पास न हो जाय और आर्टिकिल २०३ के अनुसार प्रोसीडयोर जो प्रेस्काइब्ड है वह होना बाकी है। जब विधान सभा मिलेगी तो बजट की ग्रान्ट्स को वोट करेगी। व्यवधान। इस बजट के बाद दूसरा बजट अनुपूरक बजट होगा यह रूलिग पिछले साल भी दी थी। तो जैसा माननीय सदस्य गोरखपुर ने कहा उस पद्धति और आज की पद्धति में फर्क केवल इतना है कि आर्टिकिल २०२ के अनुसार बजट पेश होगा, २०६ के अनुसार लेखा अनुदान पास होगा और २०३ के अनुसार जो प्रोसीड्योर प्रेस्काइब्ड है वह भविष्य में पूरा होगा। तो किसी तरह की अवैधानिकता इसमें नहीं हुई है। अगर यह वोट आन एकाउंट पास न करते तो यह असेम्बली भी नहीं चलती। चूंकि यह बजट पास न होगा मार्च ३१ तक और राज्य सरकार के जो लाखों कर्मचारी हैं और जनता के लिये लोकहित के कार्य में उन सबके लिये रुपया यह असेम्बली मंजूर नहीं करेगी तो १ अप्रैल को तनख्वाह नहीं बट सकेगी, राज्य का काम नहीं चल सकेगा। असेम्बली अपना काम नहीं करती तो राष्ट्रपति अपना कार्य पूरा करेंगे, असेम्बली को सस्पेंड कर देंगे। मैं समझता हूं कि इन तमाम वैधानिक आवश्यताओं कोपूरा करने के लिये यह वोट आन एकाउन्ट पास करना अनिवार्य है और ऐसा करके असेम्बली ने अपना फर्ज पास पूरा किया है। हां माननीय नेता, जनसंघ यह देखें कि जो संशोधन वह लाये हैं वह पहले कभी नहीं हुआ। वोट आन एकाउंट में संशोधन की प्रणाली नहीं है वह स्वयं विचार करें और इसमें संशोधन पेश

न करें। हाउस आफ कामंस में भी कभी वोट आन अकाउंट में संशोधन नहीं हुआ है। लेकिन मैं इसको मानता हूं कि हमारे नियमों में जरूर है। मैं माननीय सदस्य, गोरखपुर से कहूंगा कि वह हाउस आफ़ कामंस की बात मानने लगें। लोक सभा में भी मैं कहूंगा कि इस प्रकार के अमेंडमेंट पेश नहीं किये गये होंगे। वहां की क्या नजीर है मैं नहीं कह सकता हूं। इस सदन में १९५२ से वोट आन अकाउंट की परम्परा हुई आपने भी इसमें संशोधन करने की इजाजत नहीं दी और जो इसका सिद्धान्त है उससे यह परे है। मैं जनसंघ दल के नेता, विरोधी दल के नेता तथा माननीय सदस्य, गोरखपुर से जानना चाहूंगा कि हाउस आफ कामंस की प्रक्रिया में कोई अमेंडमेंट वोट आन अकाउंट पर आया हो।

श्री कृष्णानन्दराय––

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह बताना चाहता हूं कि वह अपनी याददाश्त ताजी कर लें कि हाउस आफ कामंस में यह हमेशा होता है कि जब बजट पेश होता है, अगर कंटीन्युइटी रहती है और पार्लियामेंट एडजर्न या डिजाल्व नहीं होता तो वोट आन अकाउंट में अमेंडमेंट नहीं होता। अगर हाउस एडजर्न होता है तो पूरे रूप से उस पर चर्चा होती है और अमेंडमेंट भी पेश होता है आप हाउस आफ कामंस की प्रोसीडिंग्स को पढ़ लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

आपने ठीक कहा। मैं इससे सहमत हूं। आपने यह भी स्वीकार किया कि कोई अमेंडमेंट वोट आन अकाउंट में पेश नहीं होता है।

श्री कृष्णानन्दराय––

अध्यक्ष महोदय, उनको भ्रम हो गया है। मैंने यह कहा था कि पार्लियामेंट एडजर्न या डिजोल्व नहीं होता है और कंटीन्युइटी चलती रहती और वोट आन अकाउंट पेश होता है तो उसमें संशोधन नहीं होता। जैसे कि हमारी असेम्बली तीन महीने के लिये स्थगित होने जा रही है। हाउस आफ कामंस में पेश होता है इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

अगर माननीय सदस्य एक भी उदाहरण दे देंगे तो मैं वापस ही नहीं ले लूंगा बल्कि क्षमा याचना भी कर लूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष––

जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक मुझे जानकारी है, मैं यह नहीं कहता कि मुझे सारी जानकारी है, हाउस आफ कामंस में सैकड़ों वर्षों के इतिहास में वोट आन अकाउंट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। अगर वह नजीर पेश कर देंगे तो मैं उनका बड़ा आभारी होऊंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह––

कोई अंतरिम बजट पेश हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

मैं माननीय सदस्य से कहता हूं कि २५ मार्च, ५७ को यह प्रश्न उठा था तो यह आई आपकी रूलिंग लेखानुदान पर कि किसी तरह के विवाद की प्रथा नहीं है और न कोई बहस होती है और यहां संशोधन आ गया है मैं तो यह कहूंगा कि वह परम्परा बनाने में सहायता करें

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बजाय इसके कि लेखानुदान का विरोध करें और संशोधन वापस लें। बजट को पास होने दें और विधान सभा को कार्य करने दिया जय। ऐसा कार्य न करें जिससे विधान सभा मुअत्तल हो जाये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि मुझे आचार्य जी की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। मेरा ख्याल है कि आचार्य जी उन आदमियों में हैं जो कि गल्ती करके उसको सही करने को तैयार नहीं हैं। मुझे तिवारी जी की बात सुनकर और कानून मंत्री जी बात सुनकर भी आश्चर्य हुआ। अगर उसको सही माना जाय तो सिंगुलर के माने प्लूरल हो जावेंगे। पहली बात जहां जनरल क्लाजेज ऐक्ट हैं वहां ऐसा हो सकता है और उस संदर्भ में लिखा होता है। अगर मान लीजिये कि सिंगुलर के माने प्लूरल तो कितनी मिसालें आप देंगे कि बजट में सुविधा के लिये लेखा अनुदान की व्यवस्था कर दी जाय कि प्लूरल हो सकता है। तो हर चार महीने में बजट आयेगा क्योंकि रूल है कि सिंगुलर के माने प्लूरल। मैं भी वकील हूं। एडवोकेट जनरल सरकार की राय में राय मिला गये। दूसरी बात जो तिवारी जी कहते हैं कि इंगलैंड में ऐसा होता है। बड़े आश्चर्य की बात है। वह इतने दिन से पार्लियामेन्टेरिअन हैं। वहां का अनरिटिन कान्सटीट्यूशन है और यहां का रिटिन कान्सटीट्यूशन है। वहां परम्पराओं से आगे बढ़ते हैं। हमारे यहां रिटिन कन्सटीट्यूशन है। अगर इसका पालन नहीं होगा तो संशोधन बनाने से क्या लाभ होगा। आप कहते हैं कि संशोधन भी लिया जाय तो आप अपने नियम को स्क्रेप कर दीजिये और कह दीजिये कि अध्यक्ष महोदय की जो लेखा अनुदान के बारे में रूलिंग होगी वह की जावेगी। नियम में है कि लेखानुदान के प्रस्ताव में सम्पूर्ण अपेक्षित राशि व्यक्त की जायगी और विभिन्न धनराशियां जो प्रत्येक विभाग अथवा सेवा अथवा व्यय की मद के लिये आवश्यक हों जिनसे वह राशि बनती हो, प्रस्ताव से संलग्न अनुसूची में व्यक्त की जायेंगी।

सम्पूर्ण अनुदान को कम करने के लिये अथवा जिन मदों से मिलकर अनुदान बना हो उनको कम करने या विलुप्त करने के लिये संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

इसको काट दीजिये। कह दीजिये कि हम परम्पराओं से काम करेंगे। दूसरी बात आगे कहते हैं कि प्रस्ताव पर या उस समय प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर साधारण चर्चा की अनुज्ञा होगी।

इंगलैंड में ऐसी परम्परा है। तो क्या मैं ऐसा सोचूं कि वहां की परम्पराओं पर आप काम करेंगे और नियमों के आधार पर काम नहीं करेंगे। तो किधर आप जा रहे हैं? दूसरी बात आप कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो असेम्बली भंग हो जावेगी। यह नया शगूफा निकाला है। मिश्रा जी और कामराज की बात हो रही थी, उन्हीं का यह शगूफा है। आप लोग जो असेम्बली में अपना स्थान निश्चित नहीं कर पाये हैं इसकी चिन्ता करें हम तो फिर मैदान में आ जायेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि इस बात को देख लिया जाय कि ऐसा नियम है और ऐसी व्यवस्था हो जो कि नियम के अनुकूल हो। अगर पिछली बार गलती हुई तो दुहराई न जाय, नहीं तो नई सरकार फिर वह गलती करेगी और बजट फिर पेश किये जायेंगे और संविधान के विरुद्ध काम करने की सीमा न रहेगी।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। पिछले साल इस सदन में कुछ बातें कहीं गई हैं उनको कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

मैं लोक सभा की एक चीज आपको सुनाना चाहता हूं--

"If a vote on account is for more than a month or a reasonably long period, a discussion has always been allowed.

यह प्रथा लोक सभा की है। माननीय नारायण दत्त जी ने सन् ५७ में इसको पढ़ा था। उस वक्त मैंने यह कहा था कि, खाली इतनी रूलिंग दी थी कि--अगर आप समझते हैं कि वहां पर बजट के ऊपर डिसकशन नहीं होता, वहां पर किसी चीज पर डिस्कशन नहीं होता, बल्कि एक प्रस्ताव आ जाता है कि हमको इतना रुपया चाहिये, बजट के खर्चे के लिये। इतना प्रस्ताव काफी है। उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। मैंने उनसे कहा कि जितने की यह वोट आन एकाउन्ट ले रहे ह, और उससे जितना फाजिल है, उसको आप निकाल दीजिये, लेकिन बाकी को आप पासकर दीजिये। वोट आन एकाउन्ट के लिये जो रुपया मांगा जा रहा है, उसको पास कर दीजिये। यह प्रक्टीकल बात है। उस वक्त कौन-सी रूलिंग होनी चाहिये, हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट की माननी चाहिये या लोक सभा को माननी चाहिये, इस तरह की चीज हम लोग सोच नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि वोट आन एकाउन्ट की जो पद्धति है, वह निकली उस वक्त जब से संविधान पारित हुआ, उससे पहले नहीं थी। अनुच्छेद २०६ में स्पष्ट दिया हुआ है--

"२०६ (१) इस अध्याय के पूर्वगामी सम्बन्धों में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की विधान सभा को--

(क) किसी वित्तीय वर्ष भाग के लिये प्राक्कलित व्यय के बारे में किसी अनुदान को, उस अनुदान के लिये मतदान करने के लिये अनुच्छेद २०३ में विहित प्रक्रिया की पूर्ति लम्बित रहने तक तथा उस व्यय के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०४ के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारण के लम्बित रहने तक, पेशगी देने की;

(ख) जबकि किसी सेवा की महत्ता या अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्योरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती जैसाकि वार्षिक वित्त विवरण में साधारण-तया दिया जाता है, तब राज्य के सम्पत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिये अनुदान करने की;

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग न हो ऐसा आपवादिक अनुदान करने की,

शक्ति होगी तथा उक्त अनुदान जिन प्रयोजनों के लिये किये गये हैं उनके लिये राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की शक्ति राज्य के विधान मंडल को होगी।

(२) खंड (१) के अधीन किये जाने वाले किसी अनुदान तथा उप खंड के अधीन बनायी जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में अनुच्छेद २०३ और २०४ के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्त वितरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में किसी अनुदान के करने में तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिये धनों का विनियोग प्राधिकृत करने के लिये बनायी जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी है।"

यह तो होता है जब आप बजट ३१ मार्च तक पारित कर लेते हैं। उस वक्त एक चीज बीच में आ सकती है। सप्लीमेंटरी बजट दूसरी चीज है। किसी वक्त आपका खर्चा ज्यादा

[श्री अध्यक्ष]

हो जाय तो सप्लीमेंटरी बजट ले आते हैं। लेकिन जैसी कि परिस्थिति यहां डांवाडोल हो रही है, हमारी लोक सभा में अभी नहीं। लोक सभा में प्रक्रिया यह है कि इस प्रथा के बजट को उपस्थित कर देते हैं और डिस्कशन शुरू हो जाता है। लेकिन यहां जब ३१ मार्च तक हम बजट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। उसके लिये २०६ है और जैसा कि मैंने पढ़ कर सुनाया, उन्होंने यह कहा कि अगर एक माह से ज्यादा हो, तब उस पर डिस्कशन होता है। पिछली दफा भी डिसकशन हुआ था और अब की दफा भी डिसकशन हुआ। लोकसभा में नहीं होता जब-जब केवल एक माह के लिये हो, लेकिन जब आप ३ माह का वोट आन अकाउन्ट ला रहे हैं, तब लोक सभा में भी वाद हो सकता है और यहां विधान सभा में भी हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बजट, दो बजट या तीन बजट हो, इस चक्कर में न आप पड़ें। यह जो स्वतंत्र अनुच्छेद २०६ है उसमें यह दिया हुआ है कि आवश्यकता पड़े तो ऐसा काम करो। क्यों कि सदन का काम चलाना है। यहां की सरकार जब तक बहुमत में है तो उसके बनाये हुए बजट को पास करना है। जो बजट पहले बना हुआ था, बीच में सरकार बदल गयी जिससे वह नहीं आ सका वरना पूरा का पूरा बजट आपके सामने आ जाता और उस पर डिस्कशन शुरू हो जाता। जैसे आप चुनाव के बाद आते हैं और किसी वक्त बजट नहीं बना होता है तो आप यह करते हैं कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये कुछ समय के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करते हैं उसी तरह से जब कोई परिवर्तन गवर्नमेंट में होता है तो वह ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आवश्यकता की बात है। असल बात यह है कि कौन-सी आवश्यकता है, इस वक्त आवश्यकता है कि नहीं इसके लिये मैंने एक कमेटी बना दी है। अब आप यहां ब्रिटिश पार्लियामेंट की पद्धति अपनावें, या लोक सभा की पद्धति अपनावें या अपने यहां की पुरानी पद्धति अपनावें। इसके ऊपर कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया। मेरे दो दफा रूलिंग देने के बाद आपने कई दफा रूलिंग बदलने का जिक्र किया, लेकिन उसका परिवर्तन प्रस्ताव या नियम बना कर नहीं किया। जब परिवर्तन नहीं किया तो सीधी बात है कि आपने मेरी रूलिंग के बाद वही रूल कायम रखा। इसलिये मैंने सोचा कि जब आप रूल नहीं बदलते हैं इसलिये रूल को ही फालो करूं। इसलिये मैंने यह स्वीकार कर लिया। एक दफा मैंने माननीय नेता सदन से भी इस सम्बन्ध में थोड़ा सा डिस्कशन किया कि ऐसी परिस्थिति है इसलिये हमने कमेटी बना दी लेकिन अभी उसने कोई फैसला नहीं किया है। जब तक उसका कोई फसला न हो जाय तब तक वही पुराना फसला कायम रहेगा। लेखानुदान इस तरह से पेश हो सकता है। बजट स्टेटमेंट जो आपने संक्षेप में यहां पर दिया है, चाहे उसके ऊपर डिस्कशन हुआ हो या न हुआ हो लेकिन लेखानुदान की आवश्यकता है इसलिये उसके ऊपर आपका प्रस्ताव आया है इसको मैं बैध करार देता हूं। जो आपने संशोधन पेश किया है वह भी रूल के हिसाब से आप दे सकते हैं। मैंने कहा था कि एक प्रथा जो यहां चालू हुयी थी उसका फालो करूं लेकिन उसके ऊपर कई दफा आपत्ति हुई। इस दफा भी आपत्ति होने के बाद मैंने रूलिंग दी कि अगर इसपर ५–७ मिनट के लिये डिस्कशन हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। जहां तक लेखानुदान का सम्बन्ध है, अगर उसके ऊपर अमेंडमेंट फेल होता है तो पूरे के पूरे लेखा अनुदान पर वोटिंग ले लें या अकेले इसके ऊपर वोटिंग करा लें, दोनों चीज कर सकते हैं। पहले जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर वोट हो जाय और फिर उसके बाद वायस वोट हो जाय। दोनों तरीके से यह हो सकता है। इसलिये मैंने यह फैसला किया है कि वही प्रथा चले जो चलती आयी है। उसके बाद जो आपकी कमेटी बनी है वह अगर अपने रूल्स में कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो कर सकती है। आप लोक सभा की परिपाटी स्वीकार कर लें, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट की परिपाटी स्वीकार कर लें लेकिन लेखानुदान जरूर आयेगा जिससे सदन का काम चले और जो गवर्नमेंट बनी हुई है उस गवर्नमेंट का काम भी चलता रहे अगर उसमें कोई खंडन न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस आबजेक्शन को रूल आउट करता हूं। आप अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करें।

१९७०–७१ का लेखानुदान

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूं। "प्रस्ताव के अन्तिम पंक्ति में उल्लिखित धनराशि १,५३,०९,१२,००० रुपये को निकाल कर उसके स्थान पर १ रुपया कर दिया जाय क्योंकि सरकार द्वारा प्रस्तुत १९७०–७१ के वार्षिक वित्त विवरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार सवा छः एकड़ बिना बचत की जोतों को लगान मुक्त करने का इरादा नहीं रखती है"।

मान्यवर, आज एक बड़ी अनिश्चितावाद की स्थिति है। आज प्रातःकाल प्रश्नोत्तर के उपरान्त ही मैंने एक प्रश्न के जरिये आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। मैं तो चौक गया क्योंकि मैं इसकी आशा नहीं करता था जब हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री ने कहा कि गंजे को भगवान नाखून नहीं देता। मैंने उस वक्त हंसी में उस बात को टाल दिया लेकिन अच्छा होता कि यह रिमार्क न करते हुए वे इस बात को कहते कि यह बात सही है या गलत है।

मैं बड़ी देर तक मनन करता रहा और अब समझ में आया कि यह सरकार गंजी हो रही है। लेखानुदान क्यों प्रस्तुत किया गया ? तीन महीने काम चला लो, हम को तो रहना ही नहीं है और जो दूसरी आयेगी वह प्रस्तुत करेगी।

सवा ६ एकड़ के विषय में हम लोगों ने वाद विवाद दूसरे अवसरों पर भी किया है यह निर्विवाद है कि एक तरह से यह नेशन, राष्ट्र कमिटेड है कि अलाभकर जोतों पर हम मालगुजारी उठा देंगे चाहे वे एस० एस० पी० हो, जनसंघ हो, कम्युनिस्ट हों, पी० एस० पी० हों। हर दल ने इसके महत्व पर बल दिया है और उसमें सब एक मत कि अलाभकर जोतों पर से मालगुजारी उठा देना चाहते हैं। अलाभकर जोतें कहते किसको हैं ? हम सारे दलों ने लिख कर दिया है। पिछली बार डिबेट के दौरान यह तय किया गया था कि सवा ६ एकड़ की भूमि अलाभकर जोतों में है। उस समय एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष माननीय चौधरी साहब थे। कांग्रेस दल के लोग चाहे इधर के हों या उधर के हों उन्होंने भी सन् १९६६ में मुरादाबाद के अधिवेशन में तथा मुजफ्फरनगर के अधिवेशन में यह तय कर लिया था कि सवा ६ एकड़ पर से मालगुजारी हटा दी जाय और उन्होंने यह वचन जनता को दिया था कि यह किया जायगा। किसी भी दल का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने इससे भिन्न अपनी राय व्यक्त की हो। अब सरकार की यह मोरेल ड्यूटी है कि इसको माफ किया जाय।

अब प्रश्न यह है कि अलाभकर जोतें होती कितनी हैं ? इस पर रायल एग्रीकल्चर कमीशन ने यह कहा है कि १० एकड़ तक अलाभकर जोतें होती हैं। श्री विजय राभ जी ने इसको ६ एकड़ माना है परन्तु चौधरी साहब का फार्मूला सब से ज्यादा लेटेस्ट है कि उन्होंने इसमें ३ १/८ एकड़ को अलाभकर जोतें माना है। आवश्यकता इस बात की थी कि वह इस सवा ६ एकड़ को ही अलाभकर जोतें मानते। ऐसा न कर के उन्होंने यहां के निर्धन किसान समुदाय के साथ अहित किया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने लैंड के विषय में एक निश्चित नीति नहीं कायम की और इसी कारण से ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है। आज कोई व्यक्ति नहीं जानता कि कितने पर लगान की माफी होगी और उसके पास कितनी भूमि रह जायगी और कितनी नहीं रहेगी ? इस अनिश्चित वातावरण की पूरी जिम्मेदारी इस सरकार पर है। तो मैं कह रहा था कि यह जो कार्य हुआ है वह बहुत ही हानिकारक हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में यदि सवा ६ एकड़ का लगान माफ कर दिया जाता तो इसका जिक्र नहीं होता। इसलिये यह संशोधन है। इसको तो मैं दुहरा ही चुका हूं कि इस उसूल को एक बार मान लिया गया था कि अलाभकर जोतों से लगान माफ होना चाहिए। सरकार की ओर से दलील दी गयी कि सवा ६ एकड़ की जोत अलाभकर नहीं मानी जा सकती है। उन्होंने सदन के समक्ष कहा कि अब परिस्थितियां बदल गयी हैं, कीमतें बहुत बढ़ गयी हैं और

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

सुविधाएं भी बहुत दे दी गयी हैं। ठीक है, ये तीनों बातें सही हैं। किसी पहलू पर विचार करने से पूर्व उसके दोनों पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। माना कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन खाद की कीमत भी बढ़ गयी है। सब जगहों पर पानी नहीं मिल रहा है। जिसके पास पैसा है वही खाद खरीद सकता है और पानी भी ले सकता है। प्रदेश में चारों ओर सिंचाई की सुविधाएं नहीं पहुंच पायी हैं। तो, श्रीमन्, परिस्थितियां बदल अवश्य गयी हैं, मगर क्या उस लाभ को दृष्टि में रखते हुये यह कहना उचित है कि सवा ६ एकड़ की जोत अलाभकर नहीं है? अलाभकर जोत आंकने का माप दंड यही है कि हम गांव में जायें और वहां के किसानों का रहन सहन देखें। यह देखना जरूरी है कि उसके बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं या नहीं, उनके लिये दवा दारू का क्या प्रबन्ध है और उनके जीवन का क्या स्टेन्डर्ड है? हम उनको और क्या सुविधाएं दिला पाये हैं? उन की स्थिति वही है जो पहले थी या कुछ परिवर्तन हुआ है? सवा ६ एकड़ जो रखता है क्या वह उसकी पैदावार से अपने परिवार वालों का भली प्रकार से पालन पोषण कर सकता है? हम तो इसको लगान माफी का आधार मानते हैं। यदि आप इस आधार को मानेंगे तो पायेंगे कि वह अलाभकर जोत है और लगान माफ होना चाहिए। समझ में नहीं आता है कि इस प्रश्न के दूसरे पहलू को इस सरकार ने क्यों नजर अन्दाज कर दिया और उस पर ख्याल नहीं किया? वे अगर विचार करते तो पाते कि लगान माफी की बात पूरे औचित्य की बात है और लगान माफी कर के गरीब किसान को राहत पहुंचायेंगे।

श्रीमन्, आज कल किसान की भलाई की तो सभी लोग बात कर रहे हैं। हमने अखबार में पढ़ा कि हमारे चौधरी चरण सिंह ने सेन्टर की सरकार को एन्टी किसान की संज्ञा दी है। उन्होंने कोई बात देखी होगी। हमें इसमें कोई दलील नहीं देनी है। सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह किसान के बहुत ही समर्थक रहे हैं। यह फैसला उनकी निगाह से दूर कैसे चला गया, समझ में नहीं आता है। मैं नहीं कहता कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। चौधरी साहब हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं और इस प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति हैं। क्या उनके मस्तिष्क में यह बात तो नहीं है कि अगर लगान की माफी की गयी तो इसका श्रेय जन संघ पार्टी, या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को मिल जायेगा और इस दौड़ में हम पीछे निकल जायेंगे? आप कोई अच्छा काम करें, हम उसका स्वागत करेंगे। आप करप्शन को दूर करने का काम करें, उसके लिए मेरा नतमस्तक है। उसके लिये मैं आपको साधुवाद दूंगा। मेरा आप से निवेदन है कि जो प्रस्ताव छोटे-छोटे किसानों के हित में है उसमें काट-छांट न करें, जिसके लिए हमें आप से कुछ कहने का मौका मिले। आप बजाये सवा ६ एकड़ तक माफ करने के ३ १/८ एकड़ माफ कर रहे हैं। इस विचार को आप छोड़ दें।

दूसरी बात यह है कि आपने "वोट आन एकाउन्ट" का प्रस्ताव कर दिया। मुझे इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पिछली सरकार ने छोटे लोगों के हित में जो-जो घोषणायें की थीं, उन्हें भी यह सरकार भूलती जा रही है। जहां परम्पराओं का आधार है, उन्हें तो यह अपना रही है, जैसे कि "वोट आन एकाउन्ट" पास करना अध्यापकों के नियमित रूप से वेतन दिलाने की बात इस सरकार ने स्वीकार नहीं किया। न उनको समय पर वेतन मिलता है और न ही कुठारी आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि अध्यापकों को वेतन कम से कम १५० रु० मिलना चाहिए। यहां पर आई० सी० एस० अफसर बैठे हुए हैं। यह सरकार उनके चक्कर में फंस गयी। उन्हीं के मस्तिष्क से हमारी सरकार चल रही है। कितना अच्छा होता यदि आप ने कुठारी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया होता? अध्यापक के हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है। उसके हाथ में समाज का निर्माण करना है। मान्यवर, प्राइमरी स्कूलों के बारे में हम कमीशन बिठाते हैं, कमेटीज बिठाते हैं। हम चौधरी साहब की

भावना का आदर करते हैं कि हम को और रुपया चाहिए। अगर रुपया होगा तो सारी चीजों को करेंगे। श्रीमन्, कुछ चीजें आवश्यक भी होती हैं। शरीर की रक्षा के लिए जूते की आवश्यकता। हम मामली जूता पहन कर भी गुजारा कर सकते हैं। तो जो रुपया गैर जरूरी स्कीम्स से बचता है उसको हम और दूसरी जगहों पर लगा सकते हैं। हमको मस्तिष्क की भी रक्षा करनी चाहिए। मस्तिष्क ही सारी चीजों को सांचे में ढालकर मनुष्य को सचरित्र बनाता है। समाज के लिए एक चरित्रवान व्यक्ति की आवश्यकता है। आप किन्हीं और मदों से रुपया काटें मगर कुठारी आयोग की सिफारिशों को अवश्य लागू करा दें। तो, मान्यवर, अध्यापकों के न्यनतम वेतन पर भी सरकार ने कोई विचार नहीं किया।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप भाषण संक्षिप्त कीजिये। बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मुझे और कितना समय मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप ५ मिनट और बोल लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं ५ मिनट में ही समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, आप की आज्ञा को तो मैं सदैव ही मानता हूं। प्रोफेशन टैक्स के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। हम जानते हैं कि यह नीति की बात है। बहुत सी जगहों पर चोर बाजारी होती है। लोग इनकम टैक्स चुरा-रहे हैं। उन पर कोई रोक नहीं है। जितने बड़े-बड़े छिद्र हैं उनको आप प्लग करें। लेकिन एक ईमानदार आदमी जो चार सौ, पांच सौ, आठ सौ रुपया पाता है वह तो चोरी नहीं कर सकता। हर जगह यह दलील मुनासिब नहीं होती कि हम को रुपया चाहिए। हमारे पास खजाने में रुपया होगा तो देंगे। रुपया होने के भी उपाय होते हैं। गैर मुनासिब मदों में से रुपया वापस लिया जाता है। जो प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं हैं उन्हें बन्द किया जा सकता है।

तीसरी बात मैं कह रहा था, मान्यवर, कि हमारे प्रोग्राम में एक चीज थी और हमारे चौधरी साहब भी मेरा ख्याल है कभी उसके विरोध में नहीं होंगे लेकिन मुझे दुख है कि उन्हें उस पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। हमारे प्रोग्राम में था कि हमारे यहां से गोवंश की निकासी न हो। मान्यवर, गोवंश बाहर जाता है और वहां वह मारा जाता है और फिर गोवंश का गोश्त यहां टिन में भर कर आ जाता है। गोवंश की निकासी बंद होनी चाहिए यह मेरी हमेशा से भावना रही है और आगे भी रहेगी।

चौथी बात यह है कि दस दर्जे तक की शिक्षा निःशुल्क होगी। लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया। चौधरी साहब सरकार में हैं और उस सरकार में जो कि अपने को प्रगति-शील सरकार कहती है तो वह उसको करें। रुपये न होने की दलील ही न दें। रुपया निकालने के अनेक तरीके हैं।

एक महत्वपूर्ण बात और है और वह है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में। इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सारा समाज त्राहि-त्राहि कर रहा है। मुझे चौधरी साहब से बड़ी आशा थी। मैं जब सरकार में नहीं था तो मैं भी अपना दुःख कह चुका था कि ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बड़ी गड़बड़ी करते हैं। अध्यापक से नाराज हुए तो उसे बदल दिया। वह बेचारा अध्यापक जो अपने घर के निकट रहता है और स्कूल में पढ़ाकर चला जाता था। लेकिन आज वहां ट्रान्सफर

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

के लिए पैसा लिया जाता है। उसके साथ इतना अन्याय है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है, हो सकता है वह सुझाव गलत है, कि शिक्षा को स्वतंत्र करें और एक अलग निगम बनाकर शिक्षा को उसके सुपुर्द करें। इस नियम में शिक्षाविदों को रखें या जो भी तरीका निकालें लेकिन उन को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चंगुल से बचावें। वहां पर चाहे कांग्रेस का हो, या बी० के० डी० का हो या जनसंघ का हो, जो भी चेयरमैन हो वह इन्साफ नहीं कर सकता। वह अपनी पार्टी की फौज बना लेता है। पिछले चुनाव में यही हुआ और उनका स्तेमाल किया गया।

मैं एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। चौधरी साहब जब खड़े होंगे तो कहेंगे कि रुपये के लिए तो सुझाव दिया नहीं। लेकिन जहां आपने फर्टीलाइजर की कीमतों में रियायत दी है वैसे ही सिंचाई की दरों में कमी करें और सवा छः एकड़ वाली बात को मान लें तो आप किसान के समर्थक हो जायंगे।

श्री भारतसिंह चौहान (जिला इटावा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं जनसंघ दल के नेता, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे उस पक्ष के लोग सवा छः एकड़ का बड़े जोर शोर से नारा लगाते हैं। लेकिन माननीय जनसंघ नेता को स्मरण रखना चाहिए कि सन १९६७ के आम चुनाव के बाद जब संविद की सरकार बनी थी और मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुन कर आया था और वह पार्टी सवा छः एकड़ का लगान माफ कराना चाहती थी तो उस समय सब से ज्यादा विरोध जनसंघ दल के लोग करते थे। आज कहा जा रहा है कि सवा छः एकड़ का लगान माफ कर दिया जाय क्योंकि वह अलाभकर है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

गलत बयानी न करें।

श्री अध्यक्ष---

गलत बयानी है तो है। आप जवाब में गलत बयानी बता दीजियेगा।

श्री भारतसिंह चौहान---

२५ साल पहले सन १९४६ में माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि सवा छः एकड़ की जोत अलाभकर जोत है। लेकिन तब से आज की स्थिति बदली है। उस समय की स्थिति और आज की किसान की स्थिति में फर्क है। तब से सिंचाई के साधन बढ़े हैं और उसके साथ साथ जमीन का उत्पादन बढ़ा है और आज इस सूबे में जमीन का जो एवरेज है वह साढ़े तीन एकड़ आता है। इसलिये इस सरकार ने ३ १/८ एकड़ तक की जोतों को अलाभकर जोतें मान कर उनका लगान माफ किया है। हमारे साथी किसानों की बात कहते हैं लेकिन इस सूबे के सवा ६ एकड़ के किसान नहीं चाहते कि उनका लगान माफ हो। हम तो देहात के उस इलाके से आते हैं जहां कोई भी किसान इस बात के लिये तैयार नहीं है कि उसका लगान माफ हो। किसान चाहता है सस्ता न्याय, कुशल प्रशासन, वक्त पर पानी और फसल के लिए उर्वरक। जो पिछली सरकार ने उर्वरक पर ३ परसेंट का टैक्स लगाया था उसको इस सरकार ने समाप्त कर दिया और केन्द्र से भी सिफारिश की है कि वह भी १० परसेंट जो टैक्स लगाये हुये हैं उस को खत्म कर दें। इस सरकार का इरादा है कि किसानों को वक्त पर पानी दे और जो पिछले २२ साल में इस सूबे को करप्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन दिया है उसको साफ करे।

(व्यवधान)

जिला परिषदों को समाप्त करने और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की बात कही गयी। लेकिन उसकी जिम्मेदारी इस प्रशासन पर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी उनकी है जिन लोगों के साथ वह बैठे हैं। उन्होंने ही जिला परिषदों का चुनाव अभी तक नहीं कराया। यह

सरकार बड़ी गम्भीरता से जिला परिषदों को समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है। इस सूबे के किसान को अगर कुशल और ईमानदार प्रशासन मिले तो मैं कहना चाहता हूं कि किसान नहीं चाहता कि सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ हो।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

२ साल में जो प्रशासन भ्रष्ट हुआ है उसमें माननीय चौधरी साहब का कितना हिस्सा है, चौहान साहब जरा बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

यह मजाक में प्रश्न है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, आज जो यह बहस सदन के सामने चल रही है इसका दायरा बहुत महदूद सा हो गया है। हम लोग चाहते थे, चूंकि बजट की छोटी प्रति आयी सदन के सामने तो इस पर कुछ लम्बी चर्चा करते, लेकिन यह जो सवा ६ एकड़ की बात आ गई है तो इसमें पहले भी यहां सदन के सामने कुछ चर्चायें हुई हैं और आज भी कुछ चर्चायें हुई हैं। हमारे मित्र इस समय हैं नहीं, श्री नरायणदत्त जी, वह सवा ६ एकड़ के बारे में बड़ी विचित्र चर्चायें यहां पर कर गये। यह कि किसान को लगान देना पड़े यह हमारी भावना से संबंधित एक चीज है। इस माननीय सदन को शायद इस चीज का ज्ञान है कि १९३० में कराची कांग्रेस के अवसर पर कांग्रेस ने इसके सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद जब जब कांग्रेस के अधिवेशन हुये, भुवनेश्वर में भी और उसके पहले और बाद में भी अनएकोनामिक होल्डिंग्स पर मालगुजारी न रहे ऐसी चर्चा कांग्रेस के प्रस्तावों में हुई। यही नहीं, मुजफ्फरनगर के जिस प्रस्ताव की चर्चा की जाती है उसमें भी यह प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जिसके कि अध्यक्ष उस समय माननीय श्री कमलापति त्रिपाठी थे, एक पूरक चुनाव घोषणापत्र यहां पर शाया किया और उसमें भी इस चीज को दोहराया गया। यही नहीं जहां जहां तक मुझे स्मरण है उस पूरक चुनाव घोषणा पत्र में सवा ६ एकड़ का जिक्र भी आया। प्रश्न क्या केवल इतना सा है कि हम किसानों की मालगुजारी माफ करना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो ऐसा क्यों चाहते हैं? हमारी भावनाओं का सवाल तो अलग है लेकिन इस संबंध में मैं सदन की सेवा में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिस से कि यह स्पष्ट होगा कि आखिर हम इस चीज के पीछे क्यों पड़े हैं? हमारे यहां १ करोड़ ८४ लाख किसान परिवार हैं जिनमें से ३१ लाख ६१ हजार किसान ऐसे हैं जोकि किसान तो हैं लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है और १८ लाख ४८ हजार ऐसे व्यक्ति हैं जो भूमिहीन किसान हैं और साथ ही हरिजन भी हैं। मुझे नहीं मालूम कि हमारे इधर के मित्रों को इस चीज का अहसास है या नहीं कि यह.....

श्री हबीबुर्रहमान ('जिला आजमगढ़)—

मेहरबानी कर के यह बता दें कि इन भूमिहीनों में से कितने ऐसे किसान हैं जो ५० पैसे या उससे कम के खातों के मालिक हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं नहीं जानता कि ५० पैसे या उससे कम के कितने हैं,यह आंकड़े तो मेरे पास इस वक्त नहीं हैं, मेरे मित्र को जानकारी होगी और वह सदन में उन को रखेंगे। मैं यह कहना चाहता था कि यह १ करोड़ ८४ लाख किसान परिवार है और इनमें से ८० प्रतिशत के करीब ऐसे किसान हैं जिनके पास अलाभकर जोतें हैं आज के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार। यह बात भी

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

सही है, चौधरी साहब यहां नहीं हैं वह होते तो मैं उनसे भी कहता, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैं किसी प्रकार की भी मालगुजारी माफ हो इसके पक्ष में नहीं हूं लेकिन इस माननीय सदन के बहुत से सदस्य हैं जो इस पक्ष में हैं कि मालगुजारी में रियायत होना चाहिये। मैं चौहान साहब से कहूंगा कि वह किसान हैं और पश्चिम के किसान हैं, मैं भी पश्चिम का ही रहने वाला हूं और मैं भी एक छोटा मोटा किसान हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस में पूर्व या पश्चिम की बात नहीं उठायी जानी चाहिये और यदि यह बात उठायी जायगी तो यह सही है कि पूर्व में ही अलाभकर जोतों वाले किसानों की संख्या अधिक है और पश्चिम में काम है। मुझे तो इस बात का भी ज्ञान है कि जब यह सवा ६ एकड़ की बात चली थी तो रजिस्ट्री के दफ्तरों में लोग इस बात की कोशिश करते थे कि बंटवारे हों और उनकी होलडिंग छोटी रह जायं और अगर रजिस्टरी कार्यालयों से ऐसे आंकड़े आयेंगे तो उनसे यह जाहिर होगा। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे या नहीं लेकिन यह ३ १ ८ एकड़ करके उन्होंने इतिहास के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। इससे तो और छोटी होलडिंग्ज करने का प्रयास किया जायगा। आज आप इनको छोड़ कर ५ करोड़ ८४ लाख रुपये के राजस्व की हानि होगी और सवा ६ एकड़ में करीब दस बारह करोड़ की होती। जो सवा ६ एकड़ की होलडिंग सम्भव था कि आगे एकनामिक हो जातीं लेकिन आपने कृपा करके उनको ३ १/८ एकड़ का कर दिया। कौन सा ऐसा किसान है, मेम्बरान जानते हैं कि जिसके आज नहीं तो कल २–४ बालिग बच्चे नहीं होंगे और आज भी किस के नहीं हैं वह अगर बटवारा करेंगे तो क्या होगा? वह ३ १/८ एकड़ का बटवारा करेंगे, सवा ६ एकड़ का भी करेंगे। लेकिन जो भी हो, यह बिल्कुल सही है कि इस देश में इस चीज को खातों से सम्बद्ध करके रखा गया है। मनु के जमाने में की बात मैं नहीं कहना चाहता हूं कि जिसमें पैदावार का १/५ भाग किसान से ले लिया जाता था लेकिन उसके बाद मुगल शासन काल में उसमें काफी कमी हुयी परन्तु जैसे ही ब्रिटिश शासन आया उसमें रैयतवारी की प्रथा मद्रास में कायम हुई और बंगाल में परमानेंट सेटिलमेंट की प्रथा हुयी। फिर एक प्रथा आयी जो १८७५ तक चलती रही बन्दोबस्त की। उसमें यह हुआ कि जमीन का मालिक एक और दूसरा उस व्यक्ति को किराया दे, उसका जो मालिक करार दिया गया। तब से यह रैयतवारी नाम पड़ा। अगर आप आज भी ग्रामों में जायं तो पायेंगे कि ए.. ओर जमींदार है तो दूसरी ओर रैयत है। क्या अभी तक इस देश में राजा, रइयत और जमींदार की प्रथा को समाप्त नहीं किया जायगा? तामिलनाडू में क्या हुआ? श्री कामराज के जमाने में उन्होंने अपने यहां पर लैंड रेवेन्यू समाप्त कर दिया। बिहार में भी क्यों हुआ? वहां पर भी हमारे ही लोग हैं। उस ओर बैठने वाले कांग्रेस के श्री राय साहब हैं, उन्होंने आखिर क्यों यह किया? उन्होंने ५ एकड़ अनइर्रीगेटेड पर और २ १ २ एकड़ इर्रीगेटेड पर मालगुजारी क्यों समाप्त की? एकमात्र भावना जिसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं वह निश्चित रूप से यह है कि इस देश में रइयत और जमींदार वाली बात को जिसे अंग्रेजों ने चलाया और जो हमारी दासता से सम्बद्ध है, उसको समाप्त किया जाना चाहिए था।

जहां तक पैसे का प्रश्न है कि कितना रुपया आयेगा और कहां से आयेगा, मैं अपने वित्त मंत्री जी का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में थोड़ा-सा जिक्र कर दिया और मैं यह खयाल करता हूं कि उन्होंने यह जिक्र ठीक ही किया है। श्रीमन्, आप देखें पिछले वर्ष क्या हुआ। पिछले वर्ष ८ करोड़ से अधिक रुपया नये वेतन मान, जो कि अध्यापकों के लिए मुकरर किया गया, में और उनको महंगाई भत्ता देने में इस स्टेट को वहन करना पड़ा। और ८ १/२ करोड़ रुपये के लगभग सरकारी मुलाजिमों को भत्ते के रूप में दिया गया। गत वर्ष जब मैंने यहां पर बजट प्रस्तुत किया तो ७४ करोड़ रुपये का घाटा बजट में था। यह लगभग ७३ प्वाइन्ट कुछ था और उसी समय यह भी आशा व्यक्त थी कि शायद यह घाटा नहीं रहेगा। मेरे मित्र ने अपने भाषण में इस चीज का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि "इसमें से वस्तुतः पूर्वी पक्ष की ओर २९ करोड़ ६ लाख रुपए तक का घाटा वास्तविक नहीं है

क्योंकि यह १९६८–६९ के दौरान राज्य के आंकड़े शेष में कमी हो जाने के सम्बन्ध में समायोजन प्रविष्टि करने के कारण हुआ है। कुल घाटे को लोक लेखे के अन्तर्गत होने वाली शुद्ध आय से पूरा करने का विचार है, जिसमें रिजर्व से निकाली जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है।"

मान्यवर, एक पैसा भी घाटे का नहीं है बावजूद इसके कि एक घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया था, बावजूद इसके कि राज्य में बहुत कठिनाई थी, उस समय, लेकिन फिर भी घाटा समाप्त हो गया।

इस प्रदेश की विशेष परिस्थिति थी। मैं चाहता था कि माननीय मंत्री जी का भाषण विस्तृत होता, और यदि वे मुझे क्षमा करें, तो मैंने ऐसा भाषण कभी मंत्री जी का देखा नहीं है। कभी रिकार्ड में भी नहीं आया। जो हमारे राज्यपाल जी का भी भाषण था वह तो और भी छोटा था। मैं उसकी कोई ऐसी तो चर्चा नहीं करना चाहता हूं जिसका कुछ अर्थ हो। इस पूरे भाषण में एक चीज थी और वह यह थी कि स्वच्छ प्रशासन का नारा लगाया गया था।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

आपको शुद्ध प्रशासन क्या नहीं चाहिये?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं जानता हूं, शुद्ध प्रशासन का मतलब कुछ लोगों को दंड देना मात्र ही नहीं होता है। मान्यवर, इस पर तो जब अवसर आयेगा मैं बोलूंगा। इस समय उसका जिक्र नहीं करूंगा।

मैं यह कह रहा था कि माननीय वित्त मंत्री ने भी माननीय राज्यपाल की परम्पराओं का पालन किया है। यदि उन्होंने ३ पृष्ठ का अपना अभिभाषण दिया तो माननीय वित्त मंत्री ने ४ पृष्ठ का बजट भाषण दे दिया जिसमें कुछ नहीं लिखा सिवाय एक चीज के और वह यह लिखी कि "...यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिये किये गये उपायों से लगभग ८० करोड़ रुपये उपलब्ध हो जायेंगे। इसलिये शेष ९५ करोड़ रुपये की धनराशि आयोजना के बाकी ४ वर्षों में जुटानी पड़ेगी।..." मान्यवर, बावजूद इसके कि हमारे प्रदेश पर बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का बोझ रहा है, घाटे का बजट रखा गया है, मगर कोई हम लोगों ने प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया। कुछ इर्रीगेशन के रेटस आदि बढ़े जिनके बारे में यहां चर्चा हुई। मैं जानता हूं कोई भी व्यक्ति जो वित्तीय कार्यों को लेकर बैठेगा उसके सामने कुछ कठिनाइयां आयेंगी। उसके सामने सारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति होगी, एक वित्तीय मापदण्ड भी होगा और उस सब को देख कर उसे फैसला लेना होगा। (लाल बत्ती होने पर) मैं अभी समाप्त करता हूं—एक दो मिनट श्रीमन, और दे दें। हमारे मित्र माननीय नारायणदत्त जी ने कहा था कि सवा छः एकड़ तक लगान समाप्त करके दोबारा बन्दोबस्त की बात करना गलत है। मान्यवर, बहुत से जिलों में १८७५ का बन्दोबस्त लागू है। जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी थी उसने अपनी यह सिफारिश की है कि अगर १८७५ के बन्दोबस्त को दोबारा कर दिया जाय तो केवल इसी से बहुत सा धन उपलब्ध हो जायेगा। और भी बहुत से साधन हैं जिनसे पैसा निकाला जा सकता है। जो साधन सम्पन्न हैं, जिनके पास अपने ट्रैक्टर हैं, अपना नलकूप है, वे आज इस स्थिति में हैं कि अधिक धन दे सकें। समाजवाद का मतलब भी यही है कि छोटे लोगों को राहत देकर साधन सम्पन्न लोगों से कुछ अधिक धन लिया जाय। अगर इस बन्दोबस्त वाली बात को ही स्वीकार कर लिया गया होता तो काफी धन जुटाया जा सकता था। इन शब्दों (व्यवधान) के साथ मैं अपने मित्र के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चंचल सिंह (जिला रामपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त मंत्री के इस बजट की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो कि यहां पर पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कान तो इस बात को सुनते सुनते पक गया है कि सवा छः एकड़ की जोतें अनएकोनामिक होल्डिंग हैं। यह 'बाल हठ' के सिवाय कुछ नहीं है। वह भले ही राजनीतिक कारणों से ऐसा नारा लगा लें, लेकिन आज सवा

[श्री चंचल सिंह]

छः एकड़ की जोतें ही अनएकोनामिक नहीं हैं। मैं आप से कहता हूं आप इंसाफ से देखें तो इन्कम टैक्स शहर में जो लगता है, उस पर पांच हजार की छूट हो गई है। माननीय सदस्य भानुप्रताप सिंह जी ने बताया है कि हिसाब लगाने से कृषकों की आय को २ सौ रुपया प्रति एकड़ माना जा सकता है। इस नाते से यदि आप कहते हैं तो खेती के काम करने वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए और आज इनको भी ५ हजार की आमदनी तक छूट होना चाहिए। उपरोक्त सदस्य द्वारा दिये गये हिसाब से २५ एकड़ वाली जोतों को एकोनामिक समझा जाना चाहिए और उससे नीचे वालों को लगाने छोड़ देना चाहिए। यदि आप यह नहीं करेंगे तो आप किसानों के साथ न्याय नहीं करेंगे। (शोर होने पर) आप लोग भाई शान्त रहिए, मेरी बात सुनिये। किसानों को आज अपनी जमीन पर इतना कम अन्न पैदा होता है कि वह अपने परिवार का ही मुश्किल से गुजारा कर पाता है। उसको इतना बचता ही कहां है, जो खर्च तमाम निकालने के बाद ही वह आपको टैक्स दे सके। बुन्देलखंड में अगर ५० एकड़ में १०० मन चना खेत में पैदा हो गया तो वह उसमें क्या क्या करेगा? तो वह कैसे एकोनाकेक जोत हो गई। इसके अलावा तराई में यदि आप ट्रैक्टर्स से खेती करते हैं तो १०० एकड़ जमीन पर जो लागत आती है—और ६ महीने बाद यदि जमीन ट्रैक्टर्स से न जोती जाए तो वह बेकार हो जाती है, जंगल बन जाती है, उस जमीन पर हल से खेती नहीं हो पाती। इसको देखते हुए उसमें जो पैदावार होती है, उसमें उसकी लागत ही मुश्किल से निकलती है, लाभ कम होता है। तो इस हिसाब से वहां पर १०० एकड़ की काश्त कैसे एकनामिक मानी जा सकती है। तो इस सवा छः एकड़ को ही अन एकोनामिक कहना ही क्या इलहाम की बात है? जिस पर इतनी जिद से ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अभी इसी सम्बन्ध में बिहार सरकार ने भी अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने ढाई एकड़ की इर्रीगेशन लैण्ड और पांच एकड़ असिंचित भूमि पर छूट देने का इरादा किया है। तो इसमें आप को क्या आपत्ति हो गई है कि सवा छः एकड़ का ही ढिंढोरा पीट रहे हैं और कह रहे हैं समाजवादी कार्य नहीं करते। आप किसानों के हितैषी हैं, लेकिन किसान को लूट रहे हैं। उसे कौन लूट रहा है, कहां लूट रहा है, इसे आप नहीं देखते और केवल सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हैं।

आपके सूबे में सूदखोरों की बहुत बड़ी गिनती है। वह किसान से कितना ज्यादा सूद लेते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। आप का किसान आज कितने ज्यादा कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, इसे आपको देखना है। आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं चाहता हूं इस सूबे में पंजाब की तरह मनी लैन्डर्स के बारे में एक ऐक्ट आपको बनाना चाहिए कि २० साल से ऊपर के जितने कर्ज हैं, जो अब ५०–५० और १००–१०० गुना बढ़ चुके हैं, उन सब को माफ किया जाता है। किसानों के सम्बन्ध में आपको यह करना चाहिए। जो किसान गन्ना सोसाइटी से एडवांस लेते हैं, जब गन्ना सप्लाई करते हैं तो वह रकम उसे पहिले ही कटवा देते हैं, लेकिन सूद पूरे साल का लिया जाता है वह कटता नहीं है और उनसे फिर पूरा का पूरा सूद वसूला जाता है। इस बेईमानी को आपने कभी सोचा नहीं है। किसान सीड स्टोर में से जो बीज लेते हैं उसका सवाया (एक फसल के बाद ही उन्हें देना पड़ता है, इस प्रकार एक वर्ष में ५० प्रतिशत अधिक देना पड़ता है। यह बात अपोजीशन की नजर में नहीं आती है। किसान का हमदर्द होना और बात है और सवा छः एकड़ का नारा लगाना दूसरी बात है। आप किसान के हमदर्द नहीं हैं आप उनका नाम लेकर अपना काम बनाना चाहते हैं। यदि आपको वास्तव में किसानों से हमदर्दी है तो जो गेहूं निकले, तो उस गेहूं की परचेज सरकार को शुरू से ही शुरू कर देनी चाहिए। सरकार को यह जरूर करना चाहिए। नहीं तो, ऐसा होता है जब गेहूं मंडियों में पहुंच जाता है तब सरकार उसकी खरीद शुरू करती है। जिसका नतीजा यह होता कि किसान को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। और जब फसल किसान को बेचना होती है उसका रेट गिर जाता है किन्तु जब वह बाजार में पहुंच जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है क्योंकि सरकार उसकी खरीद शुरू कर देती है। इसका लाभ दुकानदारों को होता है और किसान को बड़ा नुकसान होता है।

सब लोग नारा लगाते हैं कि जो फालतू जमीन है उसे भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाए। आज अपोजीशन वाले जो सवा छः एकड़ का नारा लगाते हैं वह यह नहीं समझते। यह कहा जाता है कि जमीन पर जितने व्यक्तियों का अधिक बोझ होगा उतनी ही गरीबी बढ़ेगी और जमीन पर से बोझ कम करके लोगों को उद्योग धंधों की तरफ लगाना चाहिये ताकि लोग समृद्ध हों और देश की समृद्धि बढ़े फिर मैं यह नहीं समझ पाता कि जमीन को किसानों से छीन कर दो दो तीन तीन एकड़ दूसरे लोगों को बांट देने से ही देश किस तरह समृद्ध होगा। क्या ऐसा करने से गरीबी और नहीं बढ़ेगी? आप दो एकड़ देकर, चार एकड़ दे कर गलती करते हैं। आप उसको गरीब बनाने का इन्तजाम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि खेतीबाड़ी पर ज्यादा बोझ न बढ़ाएं, ज्यादातर लोग इंडस्ट्री में जायं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चंचल सिंह—

दो मिनट। आपको सवा छः एकड़ नजर आता है लेकिन चौधरी चरण सिंह गन्ने की कीमत बढ़वाने के लिए रोज दौड़ते हैं, गुड़ को बाहर निकलवाने की कोशिश में हैं, सिक चीनी मिल्स को ले लिया है, फर्टिलाइजर पर बढ़ा हुआ ३% सेल्स टैक्स वापस ले लिया है। बजट आने तक कितनी रियायतें मिलती हुई नजर आएंगी। आप नारे लगाते रह जायं और चौधरी चरण सिंह बैठ रहेंगे और चौधरी चरण सिंह भलाई में मैदान मार जायेंगे?

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं, पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी ने सदन के समक्ष जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस सवा छः एकड़ मालगुजारी के दो तीन पहलू हैं। सब से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अलाभकर जोत है क्या। अंग्रेजों के समय में १९२९ में रायल ऐग्रीकचरल कमीशन बैठा था। उसने निश्चय किया कि दस एकड़ तक की जमीन अलाभकर होल्डिंग है। उसके बाद १९३१ में अखिल भारतीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि सवा छः एकड़ से कम की जो जोतें हैं वे अलाभकर हैं। उसने फैसला किया कि अलाभकर जोतों से मालगुजारी का खात्मा आवश्यक अंग है। उसके बाद १९६६ में—संयोग से उस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित कमलापति त्रिपाठी थे, उनकी अध्यक्षता में प्रस्ताव पास हुआ। उसको मैं पढ़ कर सुना दूंगा, चतुर्भुज शर्मा जी के शब्दों में जो इस सदन में उस समय थे। १४ जुलाई, १९६७ की कार्यवाही है, जब माननीय चतुर्भुज शर्मा इस पक्ष की ओर बैठ हुए थे और संविद की सरकार थी। उन्होंने कहा "और अब हम इस बात पर आ गये थे कि अलाभकर जोतों का लगान माफ करेंगे। इसके लिए हमने मुजफ्फनगर में एक प्रस्ताव भी पास किया कि सवा छः एकड़ तक पूरा लगान माफ करेंगे और बजट पेश करने का मौका मिलते ही यह पहली चीज होती। हमने सवाया लगान बढ़ाया था, उसको हमने छोड़ दिया। पहली कलम उस पर लगायी। महालनोबिस साहब की रिपोर्ट है कि पांच एकड़ तक जो किसान हैं उनको योजनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ है। जो स्कीमें चलती हैं उनका लाभ ऊपर तक ही रह जाता है। अलाभकर जोत का लगान माफ करने से सीधे गरीब छोटे किसान को सहायता मिलती है। अलाभकर जोतों के मानी यह होते हैं—वह जोत जिससे एक परिवार का भरण-पोषण हो जो चार पांच आदमियों का परिवार हो, और उसमें एक बैल की जोड़ी रखी जा सके और दूसरे ऐसा उत्पादन करे जिससे आम तौर पर सारा उत्पादन बढ़े—लाभकर जोत होता है। इससे नीचे की जोत अलाभकर जोत कहलाती है। जो जमींदारी उन्मूलन समिति बनी थी उसने छानबीन की और सिर्फ चरण सिंह जी को छोड़कर, वह मजबूत आदमी हैं लेकिन हमेशा पीछे खिसकते हैं, उनको छोड़ कर.....

श्री अध्यक्ष—

यह भाषण का हिस्सा है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो शास्त्री जी ने पढ़ा है वह अपनी बात कही है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

१४ जुलाई, १९६७ का श्री चतुर्भुज शर्मा का भाषण है । कार्यवाही में बर्ज है । "वह मजबूत आदमी हैं । लेकिन हमेशा पीछे खिसकते हैं उनको छोड़कर उस कमेटी ने माना कि दस एकड़ तक अलाभकर जोत है। लेकिन चरण सिंह जी ने सवा ६ एकड़ तक ही अलाभकर जोत माना । हम लोग यह समझ रहे थे कि चूंकि मुख्य मंत्री चरण सिंह हैं अपनी बात को पूरा करने का मौका सरकार में मिलेगा तो सरकार पहला काम यह करेगी कि अलाभकर जोतों का लगान माफ कर देगी । इसी वजह से हमने सवा ६ एकड़ रखा । और जगह का सवा छः एकड़ हमारे बुन्देलखंड में १२, १५ एकड़ तक होता है ।"

अलाभकर जोत का मतलब क्या है यह चौधरी साहब ने बतलाया था जो आज मुख्य मंत्री जी हैं । चौधरी साहब भी उस कमेटी में थे। उनकी यह राय थी कि सवा ६ एकड़ की अलाभकर जोत है। और लोगों की राय दस एकड़ तक अलाभकर जोत मानने की थी।

मालगुजारी के सिलसिले में मुख्य मंत्री जी की क्या राय थी इसको मैं सदन के समक्ष पढ़ देना चाहता हूं। यह कार्यवाही २७ जून, १९६७ की है । आपने कहा कि "जहां तक मालगुजारी समाप्त करने की बात है मेरे कुछ मित्र बाहर भी और यहां भी इस सिलसिले में कुछ कह चुके हैं। अब मैं उनमें थोड़ा सा और इजाफा करना चाहता हूं। लेकिन बात वही है। मेरा और मेरे साथियों का विश्वास है कि लैंड रेवेन्यू एक रिग्रेसिव टैक्स है। (बैकवर्ड लुकिंग) प्रोग्रेसिव टैक्स वह होता है कि जैसे लोगों की आमदनी या उनकी प्रापर्टी बढ़ती जाय तो वैसे ही टैक्स का इन्सिडेन्स भी बढ़ता जाय लेकिन मालगुजारी में यह बात नहीं है। किसी आदमी के पास कितनी जमीन है उसके हिसाब से मालगुजारी का रेट नहीं घटता बढ़ता है। वह जमीन खेत विशेष के ऊपर होती है चाहे गरीब आदमी के पास हो और चाहे करोड़पति के पास हो। इसलिये अर्थशास्त्रियों की राय यह है कि मालगुजारी किसी विकासशील देश में नहीं रहनी चाहिये।" अब मैं पूछता हूं कि यहां पर कब खतम करेंगे? औचित्य और उसूल का तकाजा है कि उसको फौरन ही खतम कर दिया जाय।

दूसरे एक वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने यहां पर गवर्नर साहब के भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा था, माननीय गेंदा सिंह, उनकी राय भी इसी सदन के सामने पढ़ देना चाहता हूं। यह कार्यवाही १४ जुलाई, ६७ की है उसमें गेंदा सिंह जी ने कहा है कि सवा ६ एकड़ तक की मालगुजारी अगर आप पूरी की पूरी माफ नहीं करेंगे तो जवाब देते देते नाक में दम आ जायगा और १५ जुलाई ६७ में आपने कहा कि "मैं उदित नारायण जी से भी कहना चाहता हूं कि क्या कभी भी जनता के हित में डिसिप्लिन नहीं तोड़ियेगा। इस समय खड़े होकर आप एलान कीजिये कि सवा छः एकड़ तक हम माफ करते हैं—पूरा लगान, भले ही ये लोग आपको निकाल दें लेकिन जनता आपको वहां पर बिठायेगी।" मैं गेंदा सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वे आज भी इस बात को कहें। जनता फिर उनको वही इज्जत देगी। उनको इस पर दृढ़ रहना चाहिये। मैं समझता हूं इस सिद्धान्त के सामने अपनी अन्तर्रात्मा की तरफ उनको ध्यान नहीं देना चाहिये और अपने बचनों पर दृढ़ रहना चाहिये। यह एक पुराना इतिहास है। इस सदन की कार्यवाही है जिस पर माननीय गेंदा सिंह जी ने अपनी राय जाहिर की है। इसी सिलसिले में मैं सिद्धान्त का पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं । आप सेल्स टैक्स लगाते हैं। उसके लिये नियम बना रखा है और एक सीमा बना रखी है कि १२ हजार से कम बिक्री पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ५ हजार से कम जिनकी आमदनी होगी उनसे इन्कम टैक्स नहीं लिया जायगा। मैं कहता हूं कि यह किसान ही अभागा ऐसा है कि न जाने किस जमाने से थोड़ी सी जमीन के ऊपर भी उसको लगान देना पड़ रहा है। मुख्य मंत्री जी की राय है कि इन पर से मालगुजारी जल्द खतम नहीं हो सकती। आपने जमींदारी तोड़ दी जिसकी बड़ी डींग मारी

जाती है लेकिन जमींदारी के तोड़ने से किसी भी किसान को एक इंच भी जमीन नहीं मिल पाई है। उसकी कानून के अन्दर गुंजायश थी लेकिन किसी को भी उससे फायदा नहीं हुआ है। जमींदारी समाप्त हो गयी। जो बेगार ली जाती थी किसानों से वह समाप्त हो गयी। लगान की बकाया वसूली में १०० में ५ की गिरफ्तारी लाभकर जोत वालों की ओर ९५ की अलाभकर जोत वालों की होती है। अलाभकर जोत पर से लगान माफ होने पर अमीन उसके दरवाजे नहीं जायगा जो गरीब है, उस गरीब की औरत की नथनी और हंसली नहीं उतरेगी, उस गरीब की बकरी अथवा भेड़ पकड़कर कुर्क नहीं होगी।

इधर कुछ दिन पहले यह लगता था कि चौधरी साहब मुख्य मंत्री नहीं होंगे। मोटरें दौड़ रही थीं। लगता था कोई इंडीकेट वाला मुख्य मंत्री होगा लेकिन मुख्य मंत्री चौधरी साहब हो गये। उन्होंने कहा कि हम सिद्धान्ततः सवा ६ एकड़ की लगान माफी के विरोधी हैं। मैं एक पैसा भी सरकार का नहीं जाने दूंगा। लेकिन आपने देखा कि सरकार खिसक सकती है। उन्होंने रात भर में दो, तीन समझौते किये और तोड़े और अपना सिद्धान्त, अपनी नैतिकता का उन्होंने त्याग कर दिया और फिर यह ऐलान किया कि ३.१२५ एकड़ जमीन की मालगुजारी वह माफ कर देंगे और साढ़े १२ एकड़ तक भी जिसकी जोत होगी उनकी भी ३.१२५ एकड़ जमीन की मालगुजारी माफ कर देंगे। पहले १० करोड़ रुपया सवा ६ एकड़ पर सरकार के खजाने से निकल रहा था और अब १० करोड़ के जाय १४ करोड़ रुपया माफ हो जायगा। तो उनका अर्थ शास्त्र फेल हो गया, उसका खोखलापन साबित हो गया और यह सिद्ध हो गया कि यह सब दांवबाजी कुर्सी के लिये वह कर रहे थे, किसी उसूल पर नहीं और निश्चित रूप से उन्होंने अवसरवादिता का अनुसरण किया। इन शब्दों के साथ में त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह सवा ६ एकड़ की लगान माफी का जो संशोधन आया है उसका मैं कड़े से कड़ा विरोध करता हूं। (शोर) हमारे साथी रामधारी जी ने कुछ दलीलें माफी के पक्ष में पेश की हैं लेकिन यह बात वह भूल गये कि जब कराची रिजोल्यूशन पास हुआ था तो १ रुपये का २० सेर गेहूं मिलता था (शोरगुल) आज समाजवाद का बहुत नारा लगाया जाता है लेकिन उसके लिये साधन चाहिये। सवाल यह पैदा होता है कि लगान माफ करो, प्रोफेशन टैक्स माफ करो तो पैसा सरकार चलाने के लिये आयेगा कहां से, समाजवाद की रूपरेखा किस बल पर बनेगी? समाजवाद की लोग बहुत बातें करते हैं व समाजवाद का पोस्टमार्टम करते हैं न कि समाजवाद लाने की कोशिश करते हैं। सस्ती लोकप्रियता की बात वह इस प्रकार से करते हैं। कोई किसान नहीं चाहता कि उसका लगान माफ हो। हमारे आचार्य जी, गिरधारीलाल जी तथा अन्य दलों के नेता बैठे हुए हैं। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां पर ९५ फीसदी काश्तकार सवा छै एकड़ से कम वाले हैं। मैं उस क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं कि जो नेता लोग यहां पर बैठे हुये हैं और सवा छै एकड़ पर लगान की माफी की बात कहते हैं वह मेरे साथ चलें और देखें कि कितने किसान लगान की माफी चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आज किसान लगान की माफी नहीं चाहते हैं। मैं इस नारे पर आज उनसे चुनाव लड़ने के लिये तैयार हूं। पिछली मर्तबा मैं २० हजार वोटों से जीत कर आया हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

शान्ति, शान्त शान्ति रखिये।

श्री मंगल उपाध्याय—

आज सवा छै एकड़ वाले किसान लगान माफी नहीं चाहते हैं। किसान, अपनी तरक्की की बात हम से ज्यादा सोचता है। आज वह चाहता है कि सरकार एक दो रुपये प्रति बीघा

[श्री मंगल उपाध्याय]

लगान भले ही बढ़ा ले लेकिन उसके लिये अस्पताल, स्कूल और सिंचाई वगैरा की व्यवस्था होनी चाहिये। वह आज बड़ी खुशी के साथ लगान देने के लिये तैयार है। यह तो एक फैशन की बात हो गई है, कि लगान माफ हो। मैंने इनकी बता दिया। यदि इनकी बात सही है तो चलिये मेरे साथ। मैं आपको पुनः दावत देता हूं, चुनाव लड़ लिया जाय। मैं तो इसका भी विरोधी हूं कि सवा तीन एकड़ पर भी लगान माफ नहीं होना चाहिये। जो इस तरह की बात करते हैं वे किसानों से शत्रुता की बात करते हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। माननीय नेता सदन अब बोलेंगे।

श्री राजितराम पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, ये चापलूसी कर रहे हैं। उनकी वजह से चौधरी साहब लगान माफ करना नहीं चाहते हैं। वे पश्चिमी जिलों में रहते हैं और पूर्वी जिलों की गरीबी के बारे में उनको अभी मालूम नहीं है। मैं भुक्तभोगी हूं। अगर वे मेरे साथ चलें तो हालात मालूम होने पर वह जरूर लगान माफ कर देंगे। जैसे मैंने पंडित जवाहरलाल जी से सादाबाद में कहा था कि आपके क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है इन खुशामदियों की वजह से। मेरी बात सुन कर वे गये और वहां की हालत देखकर उन्होंने महसूस किया कि मैं ठीक कहता था। उन्होंने वहां एक सड़क का निर्माण कराया और अपनी स्पीच में कहा कि मैंने सत्य बात कही थी।

श्री अध्यक्ष—

जब नेता सदन उठें तो हमेशा आपको बैठ जाना चाहिये। समय थोड़ा है इसलिये नेता सदन से कहूंगा कि वे चार बजे तक बोलें। १५ मिनट मैं आपको दूंगा। साढ़े चार बजे वोटिंग होना है। १५ मिनट में आपको दूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

यह तो बहुत नाकाफी है।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि जिन्होंने इसको उपस्थित किया है वे भी बोलेंगे। अगर आप बीच में इंटरवीन करना चाहें तो १५ मिनट बोल लें।

श्री चरण सिंह—

फिर मैं चार बजे बोलूंगा।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

(श्री रामचन्द्र विकाल का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, १५३ करोड़ का बजट है और हमको बोलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। आपने स्वयं ही कहा कि इस पर डिसकशन होना चाहिये, इसलिये हर सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और यह आपके सामने आ गया है तो फिर उस पर आप व्यवस्था दीजिये।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय रामधारी शास्त्री ने बताया कि माननीय मुख्य मंत्री, माननीय चतुर्भुज शर्मा, माननीय गेंदासिंह आदि जो उधर सदस्यगण बैठे हैं, उनकी इस सम्बन्ध में पहले क्या राय थी। अभी चौहान साहब ने कहा कि जनसंघ के लोग तो इसके खिलाफ थे वे भी उसका समर्थन करने लगे हैं। जब आप इधर आ जायेंगे तो आप भी समर्थन करने लगेंगे। यही नहीं आप यह प्रयास करेंगे कि लगान हटा दिया जाय। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरदार चंचलसिंह जी से पूरे अदब के साथ कह देना चाहता हूं कि चंचल जी ने कहा कि किसानों पर कर्ज का बहुत बोझ है और बहुत गरीब हैं। उन्हीं चीजों से तो हम किसानों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। इसीलिये हम किसानों को लगान की छूट दे रहे थे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि संविद सरकार के वक्त में किसानों को उनके गन्ने का बहुत अच्छा भाव मिल गया था और सौभाग्य से उस साल गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी हुई और उसका सारा श्रेय चौधरी साहब ने ले लिया। चौधरी साहब ने अपने भाषण में कहा था कि अगर १२ फरवरी को हमारी गवर्नमेंट हो गयी तो फिर गन्ने का भाव देखना। सौभाग्य से १२ फरवरी को तो नहीं लेकिन १७ फरवरी को उनकी गवर्नमेंट बन गयी, किसी की ज्योतिष थोड़ी गलत निकल गयी होगी। लेकिन किसानों के गन्ने का भाव नहीं बढ़ा। मैं जब २–३ जिलों में गया तो किसानों ने कहा कि आज चौधरी साहब को क्या हो गया है। चौधरी साहब की सरकार है लेकिन गन्ने का वही भाव है। मैंने कहा कि उस समय तो मिली जुली सरकार थी, लेकिन आज चौधरी साहब की अकेले की सरकार है। आज चौधरी साहब ने २४ मिले ले रखी हैं। २४ न सही, १९–२० हो सकती हैं। जिन मिलों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है वहां सरकार ने गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़या है। केन्द्रीय सरकार से भी चौधरी साहब का वास्ता है और मिलें भी आपके कब्जे में हैं लेकिन किसानों के गन्ने का दाम अब भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। जरा देखिये कि गन्ने का क्या भाव है गुड़ का क्या भाव है। अगर आप उनकी उपज का भाव नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर उनका लगान आप माफ क्यों नहीं करते। गुड़ १५ रुपया बिक रहा है और उससे भी बराबर नीचे को जा रहा है। जब किसानों को उनकी उपज का उचित भाव नहीं मिल रहा है तो या तो उनका उचित भाव दिलाइये अथवा उनका लगान माफ कीजिये।

माननीय सदस्यों ने कराची कांग्रेस के प्रस्ताव का हवाला दिया। मैं कहना चाहता हूं कि कोई चीज हो, खाद, बीज, कपड़ा, मसाले वगैरह उसके भाव क्या हैं और किसानों की जिस के भाव क्या हैं। तो जो किसानों को सामान खरीदना पड़ता है वह बड़ा मंहगा है। इसलिये मेरी चौधरी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि ६ १/४ एकड़ की लगान माफी को आप स्वीकार कर लें और आज मैं कहना हूं कि यह जनता की मांग है। जब सरकार डावांडोल हो उस समय छोड़ने के बजाय आप पहले ही मान लें तो अच्छा होगा। आज इस सवाल को रखकर उत्तर प्रदेश में या देश में कोई सरकार रह नहीं सकती है और आज नहीं तो इस बात पर आना ही पड़ेगा। मैं त्रिपाठी जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी अध्यक्षता का हवाला-दिया जाता है। आज जो सरकार है उसके भी आप अध्यक्ष हैं क्योंकि जिस दिन आप हाथ हटा लेंगे सरकार खतम हो जावेगी। तो आपकी अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ उसको लागू कर दिया जाय। त्रिपाठीजी से मैं यह कहना चहता हूं कि वह हमारी हिमायत न करें लेकिन यह कह दें कि किसान के साथ गजब हो रहा है। किसान की लगान माफी का प्रस्ताव मुजफ्फरनगर कांग्रेस में पास हुआ था। विधान सभा के उद्धरण शास्त्रीजी ने पढ़कर सुनाये। दिल्ली में भी लगान माफी का मसला मान लिया गया है। अब केन्द्रीय सरकार भी सोच रही है कि किसानों के नाम पर बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हैं जब तक कि कोई व्यापक कार्य न करें। इसलिये मेरा कहना है कि आप पहले ही यश ले लीजिये क्योंकि यह सवाल टाला नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

जा सकता है । चौधरी साहब ने व्यंग किया है कि मैं अकेला ही अपनी पार्टी से आया हूं । अरंड का पेड़ एक साल में पेड़ बन जाता है लेकिन उसकी उपयोगिता क्या होती है और साल का पेड़ १०० साल में बढ़ता है, उसकी उपयोगिता क्या होती है । तो मैं बतला दूं कि भारतीय क्रान्ति दल का कोई भविष्य नहीं है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब जब आप कांग्रेस में थे और जब आप लगान बढ़ा रहे थे तब भी मैं अकेला ही था और इस सारे हाउस में सारे लोगों ने उसका समर्थन किया था । तो लगान बढ़ाने वालों की कुर्सी कायम नहीं रह सकी । आप ३१ ४ एकड़ पर आ गये हैं ६ १ ४ एकड़ पर आ जाइये तो अच्छा होगा । इस पर चौधरी जी कहेंगे कि सरकार कैसे चलगी, प्रदेश कैसे चलेगा । एक धुना बम्बई के बन्दरगाह पर पहुंच गया । वहां पर रुई की गांठों से लदा हुआ जहाज आया तो उसने सोचा कि सब उसीको धुनना पड़ेगी और बीमार हो गया । तो उससे कहना पड़ा कि वह तो जल गई तब कहीं ठीक हुआ । तो यह सरकार चन्दरोज है । इसमें आपको नहीं रहना है इसलिये प्रदेश के किसानों का आप भला करें । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वह ६ १/४ एकड़ को मान ले तो मैं उनका समर्थन कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक प्रार्थना मेरी है जो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि जब आप किसी सदस्य से यह कहते हैं कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया तो मुझे बड़ी चोट लगती है । (हंसी) इसलिये जब आप कहेंगे तब ही मैं बैठ जाऊंगा । श्रीमन्, मैं खड़ा हुआ हूं, कोई इरादा मेरा नहीं था इस मामले में बोलने का क्योंकि यह बड़ा मामला नाजुक है और इससे गला फंसता है । क्योंकि इसके पहले हमारे शास्त्री जी ने हमारे भाई चतुर्भुज शर्मा जी के गले को फंसाना चाहा था और माननीय गेंदा सिंह जी इस वक्त दिखलाई नहीं देते हैं, उनकी बात भी वे कह रहे थे । हमारा गला भी फंसा ही है क्योंकि मुजफ्फरनगर कांग्रेस की चर्चा की गयी है । मान्यवर, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसम दो राय हो सकती है परन्तु यह एक मानी हुई बात रही है कि हमारे प्रदेश का किसान बहुत गरीब है, और उसके ऊपर बोझ बहुत जबरदस्त है और जहां तक हो सके उसे लगान से राहत मिले । यह प्रस्ताव चाहे रायल कमीशन ने कहा हो, या कराची कांग्रेस में पास हुआ हो, या बार-बार भुवनेश्वर कांग्रेस या और जगह-जगह इसकी मांग की गयी हो । हमारे प्रदेश म मुजफ्फरनगर में जो कांफ्रेस हुई उसमें भी इसकी मांग की गयी । मैं जानता हूं क्योंकि मैं स्वयं वहां गया था, मैं अध्यक्ष था, स्वयं प्रधान मंत्री भी उस सम्मेलन मे आयी हुई थीं । श्री कामराज जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वह भी आये हुए थे, और इन्दिरा जी जो उस समय प्रधान मंत्री थीं वह भी आयी हुई थीं । चौधरी साहब भी वहां थे और श्री चन्द्रभानु गुप्त भी उस कांफ्रेस में गये हुए थे । मुझे यह भी मालूम है कि वे दोनों सज्जन श्री गुप्ता जी और चौधरी साहब ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कह रहे थे कि यह बेवकूफी का प्रस्ताव हो रहा है । अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो चौधरी साहब की ऐसी राय थी । (व्यवधान)

विकल जी जरा अपनी विकलता को कम रखें, मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि मेरी अध्यक्षता में प्रस्ताव पेश हुआ और काफी गरमागरम बहस हुई वहां विषय समिति में । तो इन दोनों बड़े नेताओं की जिनमें एक स्वयं भूमि सम्बन्धी परिस्थितियों से बहुत परिचित हैं और विशेषज्ञ हैं और दूसरे गुप्ता जी, इन दोनों की राय थी कि यह प्रस्ताव गलत हो रहा है । ये कर नहीं सकते हैं । वहां पर सवा ६ एकड़ की बात नहीं थी । जहां तक मुझे स्मरण है, अगर मैं भूल करता हूं तो उसे आप सुधार देंगे कि उसमें अलाभकर जोत का प्रश्न था । वहां यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी चर्चा हुई कि अलाभकर जोत क्या है। आपको स्मरण होगा कि विषय समिति में इस विषय पर बहुत देर तक वाद विवाद हुआ और अलाभकर जोतों पर से लगान माफी की बात स्वीकार कर ली गयी। उसके बाद सन् ६७ का चुनाव आया। मैं माननीय लक्ष्मीरमण जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सन् ६७ के चुनाव के समय जो घोषणा-पत्र बना उस घोषणा-पत्र में से अलाभकर जोत वाली बात निकाल दी गयी। इसके बाद फिर एक पूरक घोषणा-पत्र निकला। अब आप देख लें कि किस तरह से दो रायें होती हैं। जो घोषणा पत्र सन् ६७ में छपा उस में अलाभकर जोतों पर से लगान माफी की बात नहीं थी, फिर लड़े हम लोग और उसके बाद एक पूरक घोषणा-पत्र निकला जिसमें लिखा गया कि अलाभकर जोतों पर से लगान माफी करेंगे। सन् ६७ में १८ दिन के लिये ही कांग्रेस की सरकार बनी रही। मैं तो सौभाग्य से उस वक्त हार गया था और करीब एक महीने तक इस आदरणीय सदन की सदस्यता से वंचित रहा। फिर जौनपुर से जीत कर आया। जब कोई हार जाता है तो मैं सौभाग्य की बात उसके लिये इसलिये कहता हूं कि कुछ दिनों के लिये उसे छुट्टी मिल जाती है।

उस वक्त श्रीमन्, चवन्नियां रखी थीं जो ली जा रही थीं जब लड़ाई के समय में यह था। उस समय की सरकार में काफी इस बात का विरोध था कि चवन्नियां रखें और न हटायें। स्वयं गुप्ता जी ने इस बात को स्वीकार किया कि वह हटें लेकिन जो अलाभकर जोतों वाली बात थी और जो हमने दी थी वह श्रीमन, १८ दिन में क्या हो सकता था। जब संविद बनी तो जो आज इधर बैठे हैं धर बैठे हैं तो श्रीमन्, श्रीमान विकल जी भरत बन कर बैठे। उस सरकार में, भाई माधो प्रसाद त्रिपाठी जी तो चले गये जनसंघ भी थी, कम्युनिस्ट भी थे। एक हम ही थे इधर बैठते थे। उनके सिर पर क्षत्र तो था ही, यह वही मण्डली थी जो प्रस्ताव पेश करती है। जब बजट पेश किया गया तो हम लोगों ने एक संशोधन पेश कर दिया जिसमें अलाभकर जोत म सवा ६ एकड़ कर दिया और संशोधन हमने संविद की सरकार पर ठोक दिया। मैं भाई अनन्त राम जायसवाल से बहुत डरता हूं। सारा मामला टिलटिला उठा। बड़ी बहस हुई और विरोध हुआ उधर से। इधर बैठे हुए हमारे भाई श्री झारखण्डे राय, जो कम्युनिस्ट थे और भाई प्रभु नारायण सिंह ने विरोध किया। उस पर व्हायसवोटिंग हुई, हाथ वोटिंग हुई और वह हो गया।

सन १९६९ का चुनाव आया। हमने यह अलाभकर जोतों वाली बात को घोषणा पत्र से निकाल दिया।

(व्यवधान)

मैं आदरणीय सदन के समक्ष अपने पाप को स्वीकार करता हूं तो इसके अर्थ हैं मेरे सारे पाप मिट गये। जब १९६९ का समय आया तो यह सिलसिला आया कि यह चलने वाली चीज नहीं है। अबकी सरकार हमारी बनेगी तो धीरे से उसको गोल कर दो। वह हमारे घोषणा पत्र से गोल हो गया। उसमें कोई जिक्र नहीं है। सरकार बन गई। ९,१० महीने हमारी सरकार रही। हमारे उस समय के वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कभी हमारे मस्तिष्क में यह चीज नहीं आई कि अलाभकर जोत १, २, ३, ४, ५ एकड़ को जो है उसके चलने वाली बात कभी मस्तिष्क में नहीं आई। कभी वह बात हमारे दिमाग में नहीं आई। इतना ही नहीं, मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहता हूं, ये भी विचार आए कि अगर टैक्सेशन कहीं हो सकता है तो वह रूरल सेक्टर ही है, क्योंकि अरबन सेक्टर में तो बहुत टैक्स लग चुके हैं।

(शेम, शेम)

हम वहां पर मौजद थे। मान्यवर, वहां यह भी था कि लगान की माफी किसान चाहता ही नहीं है। हमारी भी किसानों से बात हुई। हर जगह किसानों ने यही सवाल रखा कि जब लगान माफ कर दोगे तो फिर हमारे कब्जे का सही इन्दराज कैसे होगा?· उन्होंने कहा कि जब हम लगान देते हैं तब भी फर्जी इन्दराज हो जाता है, तो लगान माफी के बाद तो बिलकुल ही फर्जी इन्दराज होंगे और हमारी जमीन चली जायेगी। श्रीमन्, यह बड़ा ही पर्टीनेंन्ट सवाल था जो

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उन्होंने किया। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे पास जमीन नहीं रह जायेगी। बस, मैं, दो-तीन मिनट में ही समाप्त कर देता हूं। उन्होंने कहा कि लगान माफ करने के बजाय आप हमारे पानी का रेट कम करो, बिजली की जो दर बढ़ गई है, उसे कम करो। हमको रिश्वत देनी पड़ती है, नजरानां देना पड़ता है और घूस देनी पड़ती है। आप उसे क्यों नहीं रोकते हैं। उससे हमको छुट्टी दिलाइए। लगान माफ हो जाने से हमारी जमीन को खतरा पैदा हो जायेगा। इस प्रकार की बातें हमसे किसानों ने कहीं। १०–११ महीने या १ साल हमारी कांग्रेस की भी सरकार रही थी। १६ फरवरी, १९७० तक कांग्रेस की सरकार रही। कहीं पर अलाभकर जोत का नामोनिशान नहीं था। जब चौधरी साहब इधर बैठे, तो मैंने उनसे कहा कि बड़ा बढ़िया हैंडिल है अलाभकर जोत का। अलाभकर जोत का मामला उठा दो। अगर सवा ६ एकड़ तक लगान सरकार माफ कर दे, तो मुझे स्वयं बड़ी प्रसन्नता होगी।

(मेजें थपथपाई गयीं)

मैं अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि काश वह दिन आए जब न सवा ६ एकड़ जोत अलाभकर रहे और न ३ १/८ एकड़ ही। तो सरकार की यह नीति, पालिसी और प्रयास होना चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिसमें ३ एकड़ की जोत भी अलाभकर न रहे। अलाभकर जोत क्यों बनी रहे, इस पर सरकार को सोचना चाहिये। कहीं पर १० एकड़, कहीं पर ५० एकड़ तक जोत अलाभकर है और कहीं पर साढ़े ३ एकड़ भी अलाभकर नहीं है। यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको नारों के जरिये से हल किया जाय। इस विषय में मेरी राय मुख्य मंत्री जी से है और तमाम विरोधी दलों से प्रार्थना है कि आप एक छोटी-मोटी हाउस की कमेटी बना दें जो इस सारे मसले पर विचार करे। वह कमेटी मेरठ से लेकर गाजीपुर तक का अध्ययन करे और देखे कि कहां पर जोत अलाभकर है। जहां रियायत देने की जरूरत है वहां वे सब सहूलियतें दिलाई जाएं। मेरा यह निवेदन सरकार से और इस सदन से है।

श्री अध्यक्ष—

अब श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी बोलेंगे। वे कृपया ५ मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)

श्रीमन, मुझे केवल २ मिनट चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमान, मेरे समय में से श्री अनन्तराम जायसवाल को दे दें। मुझे तो केवल २ मिनट ही चाहियें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको दो मिनट ही दूंगा। आप तीसरा मिनट नहीं लेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, खुशी की बात है कि इस सदन में बैठे हुए प्रायः सभी दलों के नेताओं ने यह बात स्वीकार की कि बिना मुनाफे की या वगैर बचत की जोतों से लगान माफ होना चाहिये। इस तरह की बातें पिछले ४०–५० सालों से होती रही है। बातें भी होती रही हैं और प्रस्ताव भी आते रहे हैं। लेकिन मान्यवर, कमजोर प्रस्ताव पास करना एक बात है और उनको अमल में लाना, उनके मुताबिक कानून बनाना और उन पर काम करना दूसरी बात है। मेरी शिकायत श्री चन्द्रभानु गुप्ता जी से, श्री त्रिपाठी जी से और चौधरी चरण सिंह जी से यह है कि ये केवल बातें करते रहे हैं। मान्यवर, इसी चीज के लिये हम सन् १९५७, १९६०, १९६४, १९६८ में जब राष्ट्रपति शासन हुआ, जेल गये।

इसी सवाल को लेकर हमें जेल भी भेजा। मान्यवर, एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं त्रिपाठी जी को कि आपने कोआपरेटिव फार्मिंग का प्रस्ताव भी पास किया। देश में ३२ करोड़ एकड़ पर या उसके आसपास खेती होती है। वह प्रस्ताव भी अखिल भारतीय कांग्रेस का था, प्रदेशीय कांग्रेस का नहीं। लेकिन मान्यवर कहां तक पहुंचे पांच सालों में केवल ३ लाख एकड़ जमीन पर कोआपरेटिव फार्मिंग कर पाये। वह भी नहीं मालूम कि सही या गलत। मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि कभी यह भी सोचा आपने कि घोषणा-पत्र में जो एलान करते हैं और अगर पूर्ति की यही रफ्तार रही तो क्या वह कभी पूरा हो पायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि वह एक तरह से बड़ा असत्य बन जाता है जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। त्रिपाठी जी ने कहा कि हाउस की एक कमेटी बना दें। कमेटी बनाने का मतलब हम सभी जानते हैं कि कमेटी बनाकर किसी मसले को अनिश्चित काल तक टालते रहें। मैं तो कहता हूं कि जब आप इस राय के हैं कि अलाभकर जोत से लगान खत्म होना चाहिये तो क्यों न वह अभी हो जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारे त्रिपाठी जी ने कहा कि अलाभकर जोत पर लगान माफ करने का विरोध जनसंघ ने किया। मैं यहां उस समय नहीं था लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो वह गलत था। हमारे साहित्य को आप देखें तो हम शुरू से ही अलाभकर जोत पर लगान माफी के पक्ष में रहे हैं। पता नहीं उन्होंने किन परिस्थितियों में ऐसा कहा। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस सरकार, जिसमें कुछ इधर के भी शामिल हैं और उधर के तो सभी शामिल हैं, छः एकड़ तक की अलाभकर जोत को लाभकर नहीं बना पाई तो यह उसके लिये लज्जा की बात है। दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि जहां और विचार प्रकट करते हैं तो यह कहीं नहीं देखा कि जो अनएम्प्लायमेंट का प्रश्न है उसको भी हल करें। इस पर भी बिचार होना चाहिये था। मुझे इतना ही कहना है।

*श्री चरण सिंह—

मैं दस मिनट का ही समय लूंगा। वैसे अध्यक्ष महोदय, यह मजमून ऐसा है कि जिस पर पूरी बात कहने के लिये बहुत समय चाहिये। जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही थी तो पूरी बात तो नहीं रख सका था लेकिन कुछ बातें रखी थीं और मैं यह उम्मीद करता था कि जब उस पर बहस होगी तो मेरे दोस्त मेरी उन बातों का एक-एक करके उत्तर देंगे और बहस का मतलब भी यही है। लेकिन अगर आवेश म या भावुकतापूर्ण ढंग से या विषयान्तर करके बात कह दी जाय तो उससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। उस दिन जो बातें मैंने कही थी उसमें से दो तीन का जिक्र करूंगा और बाकी और बातों का।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता था कि मैंने उस रोज यह कहा था कि अन-एकोनामिक होल्डिंग किसे कहते हैं इसकी आज तक कहीं परिभाषा नहीं हुई है, विशेषज्ञों का इसमें मतभेद है। एक एकड़ जमीन भी लाभकर हो सकती है और दस एकड़ जमीन अगर खराब है और किसान के पा साधन न हों तो वह अलाभकर हो सकती है। और जहां तक जमींदारी एबालिशन कमेटी की बात है, तो डायरेक्टर, एग्रीकल्चर की राय यह थी कि १० एकड़ से कम जोत अलाभकर होती है। मेरी राय यह थी कि सवा ६ एकड़ से साढ़े १२ एकड़ तक जमीन की क्वालिटी देखकर वह अलाभकर होती है, केवल सवा ६ एकड़ नहीं। मैंने तो साढ़े १२ एकड़ तक कहा है अगर आप उस कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ कर देखें। मैंने उस रो ज यही कहा था कि छोटे किसानों की मालगुजारी माफ की जाय। मैंने यह बतलाया था कि १ करोड़ १८ लाख खानदान किसानों के उत्तर प्रदेश में हैं। मैं उस वक्त मौजूद नहीं था लेकिन लाबी में सुन रहा था, लक्ष्मीरमण जी ने यह कहा था कि १ करोड़ ८४ लाख है, मालूम नहीं वह कहां से यह फीगर ले आये, लेकिन मैंने कहा था कि १ करोड़ १८ लाख परिवार हैं। एकोनामिक्स का यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

उसूल कि औसत से कम अगर जमीन है तो वह छोटा और गरीब माना जायगा और जिसके पास बड़ी जमीन हो तो वह बड़ा माना जायगा। तो सवा ६ एकड़ के बजाय ३.१२५ एकड़ तक की मालगुजारी माफ कर दी। मतलब यह हुआ कि छोटे किसानों की मालगुजारी माफ कर दी। अब छोटा और बड़ा किसको कहते हैं यह वैसे अपेक्षा से बात कही जाती है। आज हमारे यहां सवा ३ एकड़ से ज्यादा जमीन जिसके पास है वह बड़ा किसान माना गया है और ६ एकड़ जिसके पास है वह बहुत बड़ा किसान माना जायगा।

दूसरी बात यह है, जैसा कि एक आध मित्र ने इधर से कहा भी कि आज वह बर्डेन नहीं है किसान के ऊपर। सवा ६ एकड़ की आप बात करते हैं, अगर इतने तक की मालगुजारी माफ की जाय तो १२ करोड़ रुपये की मालगुजारी माफी हो जाती है। वैसे जब जमीन तकसीम हो कर सवा ६ एकड़ से कम हो जायेगी साल भर में तो यह रकम १८ करोड़ आयेगी। लेकिन आज ८५ फीसदी किसान की मालगुजारी अगर माफ कर दें तो १२ करोड़ आयेंगी। एक करोड़ परिवार इसमें आयेंगे यानी १२ रुपये प्रति परिवार औसत आयेगा, यानी एक रुपया महीना प्रति परिवार औसत आयेगा। तो इससे एक रुपया माहवार की मुक्ति मिलेगी। तो बड़ी भारी हमने सेवा कर दी यह नहीं कहा जा सकता। और उधर दूसरी तरफ साल भर के अन्दर १८ करोड़ रुपया एक्सचेकर का चला जायगा। इसलिये अगर हम इतने रुपये से सिंचाई के साधन उसे उपलब्ध करा दें तो वह कहीं ज्यादा सेवा होगी उस किसान की और जनता की बजाय इसके कि एक रुपया महीना हम मालगुजारी माफ करें।

तीसरी बात, जिसकी तरफ माननीय त्रिपाठी जी ने काफी इशारा कर दिया कि किसान की मांग यह नहीं है। किसान को तो यह डर है कि अन्ततोगत्वा जमीन प्रकृति की बनाई हुई है इसलिये गवर्नमेंट की जमीन है। अब अगर किसान जमीन का लगान देता है तो वह समझता है कि उसका उस पर कुछ अधिकार है, गवर्नमेंट यों ही आसानी से उसे ले नहीं सकेगी। लेकिन अगर वह कोई लगान नहीं देगा, कोई जिम्मेदारी उसकी नहीं है तो उसका हक भी जमीन पर कुछ नहीं है और गवर्नमेंट जब चाहे आसानी से सारी जमीन ले सकती है। उसके मन में यह आशंका पड़ी हुई है। वह निर्मूल हो, लेकिन यह आशंका है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

३ १/८ एकड़ पर वह उसूल लगेगा या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें वह ईल्ड नहीं कर रहे है।

श्री बांकेलाल—

वह क्यों नहीं सुनेंगे उनको सुनना पड़ेगा..... (व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ नहीं रहा हूं।

श्री बांकेलाल—

मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सी जमीन बाग वगैरह ऐसे हैं कि जिन पर लगान नहीं है तो क्या कोई हुकूमत उनके बाग जमीनें ले सकती है ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी बात का उत्तर देने से कोई गुरेज नहीं करता, अगर्चे मैंने उनको सुना नहीं कि वह क्या कह गये वह चाहें तो मैं उनके कमरे में आकर उनको बता सकता हूं और उनकी शंका दूर कर सकता हूं लेकिन इस तरीके से मैं बैठने वाला नहीं हूं ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इस तरह से वातावरण गरम न करें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आप हमेशा प्वाइंट आफ इन्फर्मेशन पर अगर कोई सूचना चाहता है तो अवसर दे देते हैं । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे और वह अगर कोई जानकारी चाहते थे तो.....

श्री अध्यक्ष—

लेकिन वह नहीं बैठ रहे हैं तो वह नहीं होगा, आप कृपा कर के बैठें ।

श्री चरण सिंह—

ऐसी हालत में अब क्या बोला जाय ।

श्री अध्यक्ष—

तो अब मैं वोट लेता हूं पहले संशोधन पर मत लूंगा ।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव की अंतिम पंक्ति में उल्लिखित धनराशि १,५३,०९,१२,००० रुपए को निकाल कर उसके स्थान पर १ रुपया कर दिया जाय क्योंकि सरकार द्वारा प्रस्तुत १९७०–७१ के वार्षिक वित्त विवरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार सवा ६ एकड़ बिना सिंचित की जोतों को लगान मुक्त करने का इरादा नहीं रखती है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७१, को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम ३ महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो १,५३,०९,१२,००० रुपये से अधिक न हो ।

[अनुसूची "१९७०–७१ में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान" के विवरण में पृष्ठ १–३ पर दी हुई है जो सदन में ५ मार्च, १९७० को प्रस्तुत किया गया ।]

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७०

वित्त मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब जो विधेयक है उसको पढ़ दें । वह बट गया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

हमें सदन में यह नहीं मिला है । तो आप कैसे कहते हैं कि यह बंट गया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह पिजन होल में रख दिया गया है ।

श्री मैनेजर सिंह—

कैसे आप कहते हैं कि पिजन होल में डाल दिया गया है । यह बहुत गलत बात है । आपका सचिवालय बिलकुल निकम्मा हो गया है जिम्मेदारी से काम नहीं करता है और रोज हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

वह पिजन होल में है और मैं ५ मिनट का समय देता हूं । आप इस समय में अपने-अपने पिजन होल से ले आएं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आप इसे यहां पर ही बटवाने की व्यवस्था करें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, कल १३ तारीख है और हम अपने-अपने क्षेत्रों में चले जायेंगे क्योंकि सदन उठ जायेगा । मेरा जो प्रश्न था वह यह है कि सदन में भिन्न दलों की क्या संख्या है । मैंने यह प्रश्न शुरु में किया था लेकिन आपने कहा था कि इस सूचना की मालूमात करके कि भिन्न २ दलों की क्या संख्या है बता दूंगा । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कल सवेरे मैं इसे सुना दूंगा । जो मेरे पास सूचना रखी है, उसको मैं सुना दूंगा ।

(व्यवधान)

मैंने ५ मिनट का समय दिया है । वे ले आएं ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । पहले जब माननीय चरण सिंह जी नेता, विरोधी दल थे तो उन्होंने यह कहा था कि बजट की बारीकियां इतनी जटिल होती हैं कि वे खुद भी नहीं समझ पाते और उन्होंने मांग की थी कि उसको समझाने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि वित्त विभाग के सचिव या और कोई विशेषज्ञ बजट को माननीय सदस्यों को समझा दिया करें । अब चूंकि वे नेता सदन हैं, मुख्य मन्त्री हैं, मैं चाहूंगा कि वे अगला बजट आने के ४–६ दिन पूर्व ऐसी व्यवस्था करा दें कि वित्त विभाग के अधिकारी लोग बजट की मुख्य-मुख्य बातों को हमें समझा सकें ।

श्री चरणसिंह—

मुझे मंजूर है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जब इधर विरोध पक्ष में बैठते हैं तो दूसरी बात करते हैं, सरकारी पक्ष में बैठ कर दूसरी बात करने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जब इधर विरोध पक्ष में बैठते हैं तो दो आखें होती हैं, जब सरकारी पक्ष में बैठते हैं तो ४ आंखें हो जाती हैं यह फर्क है।

(हंसी)

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २, ३, १, (अनुसूची) प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७०

१ अप्रैल, १९७० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

अतएव, भारतीय गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम १९७० कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९७०–७१ के लिये २,०७,२३,३१,००० रु० का विया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो १ अप्रैल, १९७० को प्रारंभ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तंभ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सबका कुल योग २,०७,२३,३१,००० (दो अरब सात करोड़ तेइस लाख इक्तीस हजार रुपए) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के संबंध में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धाराएं २ और ३ देखें)

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोत कर ..	९९,०००	१,०००	१,००,०००
२	भू-राजस्व ..	३,२२,५२,०००	४,०००	३,२२,५६,०००
३	राज्य-आबकारी ..	१३,३६,०००	१,०००	१३,३७,०००
४	बिक्री-कर ..	३१,८९,०००	१,०००	३१,९०,०००
५	अन्य कर और शुल्क ..	७,३३,०००	१,०००	७,३४,०००
६	स्टाम्प ..	५,४१,०००	१,०००	५,४२,०००
७	निबन्धन ..	९,१९,०००	१,०००	९,२०,०००
८	राज्य विधान मण्डल ..	१८,३२,०००	२१,०००	१८,५३,०००
९	निर्वाचन ..	५,०३,०००	..	५,०३,०००
१०	सामान्य प्रशासन ..	८५,२९,०००	५,०३,०००	९०,३२,०००
११	आयुक्त और जिला प्रशासन	३,१०,१७,०००	५,०००	३,१०,२२,०००
१२	गांव सभाएं और पंचायतें	५४,३९,०००	१,०००	५४,४०,०००
१३	न्याय प्रशासन ..	८५,६७,०००	१६,६८,०००	१,०२,३५,०००
१४	कारागार ..	८५,८६,०००	१,०००	८५,८७,०००
१५	पुलिस ..	६,४५,५९,०००	१,०००	६,४५,६०,०००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	३८,०७,०००	१८,०००	३८,२५,०००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	८,६२,०००	१,०००	८,६३,०००
१८	शिक्षा ..	१८,६२,८८,०००	१,०००	१८,६२,८९,०००
१९	चिकित्सा ..	४,०७,३४,०००	३,०००	४,०७,३७,०००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	४,५८,८२,०००	१,०००	४,५८,८३,०००
२१	कृषि संबंधी विकास ..	३,९९,८५,०००	२५,०००	४,००,१०,०००
२२	उपनिवेशन ..	१६,०००	१,०००	१७,०००
२३	पशुपालन और मत्स्यपालन	१,६३,५५,०००	१,०००	१,६३,५६,०००
२४	सहकारिता ..	५८,५५,०००	१,०००	५८,५६,०००

१	२	३		
मतदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२५	उद्योग ..	४,१२,८६,०००	२,०००	४,१२,८८,०००
२६	नियोजन और समन्वय ..	३,३८,८३,०००	१,०००	३,३८,८४,०००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	१,०६,६२,०००	२,०००	१,०६,६४,०००
२८	सूचना निदेशालय ..	६,२८,०००	१,०००	६,२६,०००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	१,६६,६२,०००	१,०००	१,६६,६३,०००
३०	समाज कल्याण ..	१४,७६,०००	१,०००	१४,७७,०००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	७,६१,६३,०००	१,०००	७,६१,६४,०००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	३,१२,२८,०००	१,०००	३,१२,२६,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	४,२३,१७,०००	१,७६,०००	४,२४,६३,०००
३४	संचार साधनों का सुधार	२६,२३,०००	..	२६,२३,०००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान ..	१,२५,२३,०००	१,०००	१,२५,२४,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्य के लिए सहायक अनुदान	५२,२३,०००	..	५२,२३,०००
३७	परिवहन ..	६,८७,६६,०००	८६,०००	६,८८,५५,०००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	२५,००,०००	२५,००,०००	५०,००,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें	१,१८,४०,०००	५७,०००	१,१८,९७,०००
४०	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	१०,४४,०००	..	१०,४४,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण	६४,५३,०००	..	६४,५३,०००
४२	वन ..	१,६१,४६,०००	१०,०००	१,६१,५६,०००
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	१,८३,७६,०००	२,०००	१,८३,७८,०००
४५	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन ..	५७,६२,०००	१,०००	५७,६३,०००
	*ऋण और दायित्वों पर ब्याज ..		११,३८,६८,०००	११,३८,६८,०००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	४२,२२,७६,०००	४२,२२,७६,०००

*भारित विनियोग।

१	२	३		
अनुदान सेवायें और प्रयोजन संख्या		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४७	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	४,४९,९१,०००	१,०००	४,४९,९२,०००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	२,५२,००,०००	५१,०००	२,५२,५१,०००
४९	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	४,२८,५८,०००	..	४,२८,५८,०००
५०	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	५,८१,९२,०००	१,०००	५,८१,९३,०००
५१	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	५,५७,०९,०००	७५,०००	५,५७,८४,०००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	६८,८६,०००	२५,०००	६९,११,०००
५३	पेंशनों का राशिमूल्य ..	१,८५,०००	१०,०००	१,९५,०००
५४	राज्य व्यापार की योजनायें	१०,४१,८२,०००	१,०००	१०,४१,८३,०००
५५	व्यापार वाले ऋण और अग्रिम ..	२४,२०,००,०००	..	२४,२०,००,०००
	योग ..	१,५३,०९,१२,०००	५४,१४,१९,०००	२,०७,२३,३१,०००

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७०

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० को पुर: स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवराज सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७० को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ १२७८–१२७९ पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

यह विषय एजेन्डा में नहीं है, इसलिये नहीं आ सकता। इस पर हमें एतराज है।

श्री अध्यक्ष—

इसे मंत्री जी सिर्फ प्रस्तुत कर रहे हैं, विचार इस पर नहीं होगा।

सीतापुर की तहसील, मिश्रिख के तहसीलदार द्वारा एक ही दिन एक ही मुकदमें में दो निर्णय देने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब यह है—सीतापुर जिले की तहसील मिश्रिख में तहसीलदार द्वारा एक ही मुकदमें में एक ही दिन दो निर्णय दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार सिन्हा द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मन्त्री का वक्तव्य।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैंने एक नियम ५१ में दिया था, उस पर क्या हो रहा है?

एक सदस्य—

मेरी एक सूचना पर उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि कल शिक्षा मंत्री वक्तव्य देंगे, तो क्या आज वह वक्तव्य दे रहे हैं?

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। उस पर क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—

पहले इस पर राजस्व मंत्री को वक्तव्य देने दो। यदि आप को हल्ला-गुल्ला करना है तो वह बारों ही लेने दीजिये तब पूछ लीजियेगा।

खाद्य तथा रसद उप मन्त्री (श्री राम किंकर)—

सुपरवाइजर कानूनगो, परगना महोली, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर ने दिनांक २ नवम्बर, १९६७ को नियम ११५—सी० ज० दि० नियम के अन्तर्गत तहसीलदार मिश्रिख को यह रिपोर्ट दी कि श्री रामगुलाम, पुत्र श्री मुन्नू, निवासी ग्राम महुवा कोला ने गांव सभा की भूमि जो कागजात के अनुसार जंगल है, पर एक साल से कब्जा कर रखा है। इस पर तहसीलदार, मिश्रिख ने मुकदमा नं० २०१/५२३ ग्राम सभा बनाम राम गुलाम दर्ज करके श्री राम गुलाम को जमींदारी विनाश-पत्र ४९—ख की नोटिस दी। श्री राम गुलाम ने दिनांक २२—९—१९६९ को तहसीलदार के न्यायालय में अपना लिखित उत्तर दिया कि उक्त रिपोर्ट सही नहीं है और यदि कोई ऐसी भूमि हो तो उसे वापस ले ली जावे। इसके उपरान्त दिनांक १६ जनवरी, १९७० को श्री मथुरा प्रसाद, लेखपाल, क्षेत्र भगवानपुर ग्रांट ने अपना लिखित बयान दिया कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। तदुपरान्त २२ जनवरी, १९७० को वाद की पत्रावली के फर्दकाम पर तहसीलदार मिश्रिख (श्री त्रिभुवन नाथ शुक्ला) ने यह आदेश दिये कि उपरोक्त स्थिति में श्री रामगुलाम को दिया गया उक्त नोटिस निरस्त किया जाता है और पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय। ३ फरवरी, १९७० को परगनाधिकारी, मिश्रिख ने तहसीलदार के न्यायालय का मुआइना किया और उस समय उन्हें तहसीलदार की अलमारी से दो और कागजात प्राप्त हुए। एक में दिनांक १६ जनवरी, १९७० को ही श्री मथुरा प्रसाद, लेखपाल का बयान था कि प्रतिवादी ने गांव सभा की भूमि पर १३७५ व १३७६ फसली में अनाधिकार कब्जा कर लिया है। जिसमें गांव सभा को ५६३ रुपये की हानि हुयी और दूसरे में तहसीलदार, श्री शुक्ला का टाइप किया हुआ इसी मुकदमें का आदेश है कि प्रतिवादी विवादग्रस्त भूमि से बेदखल हो तथा ५६३ रुपये नुकसान ग्राम सभा को अदा करे तथा उसे नोटिस ४९—ख जारी किया जाय।

इस बात की रिपोर्ट परगनाधिकारी, मिश्रिख ने जिलाधिकारी को की। इस पर जिलाधिकारी, सीतापुर ने संबंधित तहसीलदार, श्री त्रिभुवन नाथ शुक्ला को तत्काल मिश्रिख से बिसवां तहसील में स्थानान्तरण करने के आदेश दे दिये और आयुक्त, लखनऊ मण्डल को २० फरवरी, १९७० को संस्तुति की कि उन्हें जिले से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय। आयुक्त ने तहसील की संबंधित पत्रावली अपने कब्जे में कर ली है और वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं। लेखपाल को जिसने १६ जनवरी, १९७० को दो तरह की रिपोर्ट दी, परगनाधिकारी ने निलम्बित कर दिया है।

(इस समय ४ बज कर ४० मिनट पर, श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एक मुकदमें में दो फैसले तहसीलदार ने किये और निलम्बित लेखपाल को किया गया है, तो तहसीलदार के खिलाफ क्या किया है, यह मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राम किंकर—

इस मुकदमे से सम्बन्धित कागजात कमिश्नर के पास हैं और वह विचाराधीन हैं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जब तहसीलदर ने एक ही मुकदमे में दो फैसले किये, तो तहसीलदार को मुअत्तल क्यों नहीं किया गया?

श्री राम किंकर—

मैंने बताया कि सारे कागजात कमिश्नर के पास हैं। वह विचाराधीन हैं कि क्या कार्यवाही की जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

एक बहुत बड़ी बात अपने प्रदेश में पकड़ी गयी तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी शुद्ध प्रशासन की बात को देखते हुए अविलम्ब तहसीलदार को निलम्बित करेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरी नोटिस में अब तक आया नहीं था। लेकिन जो उस पर आप की प्रतिक्रिया है वह बिलकुल सही है, मैं उसको देखूंगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

जो लेखपाल ने पहले रिपोर्ट दी थी कि रामगुलाम के कब्जे में है, और फिर बयान हुआ कि उसके कब्जे में नहीं है, क्या उसके खिलाफ गलतबयानी का मुकदमा नहीं चलायेंगे ?

श्री रामकिंकर--

यह तो जिस आदमी ने गलतबयानी की है, कानून के अन्तर्गत उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि ३ फरवरी, १९७० को परगनाधीश, मिश्रिख ने तहसीलदार के न्यायालय का मुआयना किया और लेखपाल का बयान और तहसीलदार का आदेश बरामद किया। क्या उन कागजात का मुआयना रजिस्टर में इंदराज किया है या नहीं ? क्या इसकी माननीय मन्त्री जी को जानकारी है ?

श्री रामकिंकर--

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि परगना अधिकारी मिश्रिख ने जो तहसीलदार की पत्रावली अलमारी से प्राप्त की, अलमारी एक ही रहती है या दो रहती हैं ?

श्री रामकिंकर--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री अवधेश कुमार--

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि अगर लेखपाल ने दो बयान दिये हैं तो क्या तहसीलदार की मर्जी से या उनकी जानकारी के अन्दर उसने दो बयान दिये ?

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि लेखपाल को तो आपने निलम्बित कर दिया और तहसीलदार के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है तो मैं मुख्य मंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि वह तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री रामकिंकर--

यह सारा प्रश्न विचाराधीन है । उसके बाद कार्यवाही की जायगी ।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)--

इस तरह के जो उत्तर मिलते हैं यह सब को मालूम है कि तहसीलदार और लेखपाल इस तरह की बहुत हरकतें करते हैं । मैं मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि अगर फाइल देखने के बाद वह यह समझें कि इनकी गलती है तो इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाय ।

श्री चरण सिंह---

मैं अर्ज कर चुका हूं कि इस सम्बन्ध में मैंने फाइल देखी नहीं है। अवधेश जी ने भी इस सम्बध में कहा लेकिन मेरे नोटिस में यह मामला अभी आया है। इस बात को कहने की जरूरत नहीं है कि अगर इनकी गलती होगी तो कठोर से कठोर इनको सजा दी जायगी।

जिला मिर्जापुर में वर्ग–४ में दर्ज अनधिकृत काबिज व्यक्तियों की समस्या के विषय में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य तथा रसद उप मंत्री (श्री राम किंकर)---

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जिला मिर्जापुर की सभी तहसीलों में वर्ग–४ में दर्ज अनधिकृत काबिजों की समस्या विद्यमान है, किन्तु दो तहसीलों (राबर्ट्सगंज एवं दुद्धी) में यह समस्या अति ही अधिक है और शेष दो तहसीलों (सदर एवं चुनार) में कम है। इस व्यापक समस्या पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने के उपरान्त शासन ने निर्णय लिया है कि जहांतक वन विभाग एवं भूमि संरक्षण विभाग की भूमि का प्रश्न है, ऐसी भूमि पर अनधिकृत तौर पर काबिज व्यक्तियों को तो भूमि से बेदखल कर दिया जाय, किन्तु जहां तक गांव सभाओं में निहित भूमि का सम्बन्ध है, उसके उन अनधिकृत काबिजों को तो, जो १ जुलाई, १९६७ के बाद से काबिज हैं, बेदखल कर दिया जाय, किन्तु जो लोग ऐसी भूमि पर १ जुलाई, १९६७ के पूर्व से काबिज हैं, उनके कब्जे एक निश्चित क्षेत्र–सीमा तक नियमित कर दिये जांय और उस निश्चित क्षेत्र–सीमा से अधिक भूमि उनके अनधिकृत कब्जे में होने की दशा में उस निश्चित क्षेत्र–सीमा के अतिरिक्त जो भी भूमि उनके अनधिकृत कब्जे में हो उससे उन्हें बेदखल कर दिया जाय। कब्जा नियमित किये जाने के लिये यह क्षेत्र–सीमा ६ १/४ एकड़ निश्चित की गई है, जो जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा ३३७ में उल्लिखित क्षेत्रों के लिये इसके ड्योढ़े के बरबार अर्थात् ९.३८ एकड़ होगी। यदि किसी अनधिकृत काबिज के पास अनधिकृत कब्जे की भूमि के अतिरिक्त कोई अन्य जोत भी हो तो ऐसी अन्य जोत के क्षेत्रफल एवं निर्धारित क्षेत्र–सीमा के अन्तर के बराबर भू–क्षेत्र तक का ही उसका अनधिकृत कब्जा नियमित किया जावेगा। अनधिकृत कब्जे की जिस भूमि के सम्बन्ध में इस प्रकार कब्जा नियमित किया जावेगा उसके सम्बन्ध में काबिज व्यक्ति को सीरदारी का अधिकार दिया जावेगा और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय मालगुजारी लगान के मौरूसी दर के दुगने के बराबर होगी।

शासन ने निर्णय लिया है कि कब्जों का नियमन एवं बेदखली इस प्रकार की जाने की कार्यवाही जिले की तमाम तहसीलों में एक साथ की जाने के बजाय फिलहाल यह कार्य केवल राबर्ट्सगंज एवं दुद्धी तहसीलों में ही, जहां लोग अत्यधिक संख्या में एवं अत्यधिक भू–क्षेत्र पर अनधिकृत तौर पर काबिज हैं, प्रारम्भ किया जाय और इन दो तहसीलों में यह कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् ही शेष दो तहसीलों (सदर एवं चुनार) में यह कार्य आरम्भ किया जाय। इन प्रथम दो तहसीलों में यह कार्य सम्पन्न करने के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है, जिसे आवश्यक स्टाफ भी दिया जा रहा है। स्थानीय गांव सभाओं को भूमि प्रबन्ध के जो अधिकार इस समय प्राप्त हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जायगा और ये सभी अधिकार इस कार्य के लिये नियुक्त किये जाने वाले विशेष अधिकारी को दे दिये जावेंगे। इस विशेष अधिकारी एवं उसके स्टाफ के पदों के सृजन के आदेश जारी किये जा रहे हैं और विशेष अधिकारी के इस पद पर किसी की तैनाती की जाने एवं उसे गांव सभा के समस्त अधिकार दिये जाने के शासनादेश भी शीघ्र ही प्रसारित हो जावेंगे। इस बात का भरसक प्रयास रहेगा कि यह कार्य अब शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ हो कर ३० जून, १९७० तक समाप्त कर दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे क्षेत्र में १० की शाम को ओला पड़ा। नियम ५१ के जरिये मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता था। सैकड़ों पशु मर गये, हजारों लोग बे घरबार हो गये। त्राहि-त्राहि वहां मची हुई है....

श्री उपाध्यक्ष---

लेकिन इस समय वह विषय नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अध्यक्ष जी कह कर गये थे सचिव महोदय से ।

श्री उपाध्यक्ष---

वही उस पर निर्णय कर सकते हैं ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि राबर्ट्सगंज और दुद्धी क्षेत्र में सेटिलमेंट आपरेशन किया गया या नहीं ?

श्री रामकिंकर---

माननीय सदस्य का प्रश्न समझ म नहीं आया ।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अगोरी में सर्वे हुआ था या नहीं अथवा नया सर्वे हो रहा है ?

श्री रामकिंकर---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन राबर्ट्सगंज और दुद्धी में कई गड़बड़ियां हुई हैं जिन्हें सरकार पहले ले रही है ।

श्री विजय बहादुर सिंह---

दुद्धी परगना, अगोरी तहसील में है । वहां कोई सर्वे नहीं हुआ तो क्या वहां सब किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

उसका उत्तर उन्होंने दे दिया ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)---

कई प्रश्न अभी शेष हैं । अतः सदन का समय आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जिस तहसील के बारे में जिक्र किया जा रहा है उसकी स्थिति यह है कि पिछले ५० वर्ष से लोगों ने वहां घर बना लिये, कुयें बना लिये और खेती करने लगे लेकिन अब वन विभाग वहां अपना हक कायम करने के लिये पत्थर गाड़ रहा है । वहां न सर्वे हुआ और न सेटिलमेंट ही हुआ तो क्या सरकार रिकार्ड आपरेशन के लिये आज्ञा देगी ताकि उनका राइट इस्टेब्लिश हो सके अथवा नया उपाय सरकार करेगी जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके ?

श्री रामकिंकर---

ग्राम समाज की जो जमीन होगी, जिस पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । इसके अतिरिक्त गांव सभा की जो सवा ६ एकड़ है या जमींदारी

[श्री रामकिंकर]--

उन्मूलन की धारा ३३७ के अन्तर्गत जहां सवा छै एकड़ १९.३८ एकड़ है उन लोगों को जमीन मिलेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति है कि किस जमीन पर किस का कब्जा है, यह अस्पष्ट है तो क्या सरकार वहां पर रिकार्ड आपरेशन करायेगी, कब्जा के आधार पर या वस्तुस्थिति के आधार पर ?

श्री रामकिंकर---

मान्यवर, यह जो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, य सारी चीजें देखेंगे।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में एक प्रश्न करना है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठिये। अब २४ नवम्बर का आइटम लिया जायेगा।

जिला प्रतापगढ़, थाना कन्धई की हवालात में एक अबला, श्रीमती प्रमिला के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)---

जिला प्रतापगढ़, थाना कन्धई में दिनांक २२-२-७० को चार बजे शाम ग्राम चौकीदार महावीर, ग्राम चन्दवा पटटी ने भा० द० वि० की धारा ३६३/३६६ के अन्तर्गत यह सूचना दर्ज कराई कि श्रीमती प्रमिला को छोटे लाल अभियुक्त पश्चिमी बंगाल से भगा कर चन्दवा पट्टी में लाया है। उक्त चौकीदार अपने साथ श्रीमती प्रमिला तथा छोटेलाल को भी थाने ले आया था। चौकीदार ने यह भी बताया कि जब लड़की को छोटे लाल के घर के दरवाजे पर गांव वालों के सम्मुख लाया गया तो वह रोने लगी और यह कहा कि छोटे लाल उर्फ रमाकान्त और उसकी मां उसे बहका कर लाये हैं तथा वापस घर भेजे जाने की प्रार्थना की।

हेड कान्सटेबुल ने जो उस समय थाने का इन्चार्ज था छोटे लाल और श्रीमती प्रमिला को अलग-अलग हवालातों में बन्द किया। श्रीमती प्रमिला का डाक्टरी निरीक्षण किया गया तथा उनका एक्सरे भी हुआ। श्रीमती प्रमिला का बयान धारा १६४ जा० फौ० के अधीन एस० डी० एम० सदर के न्यायालय में अंकित किया गया। उसने अपने बयान में कहा कि थाने के हेड कांन्सटेबुल ने हवालात में रात में उसका शील भंग किया। उसने यह भी बयान दिया कि उसकी उम्र २० साल है तथा वह छोटे लाल की शादीसुदा स्त्री है। उक्त बयान के आधार पर हेड कान्सटेबुल के विरुद्ध धारा ३७६ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और उसको निलम्बित करके व्यक्तिगत मुचलका लेने के पश्चात् लाइन हाजिर किया गया। थानाध्यक्ष, कन्धई को पदावनति करके तथा सब इन्सपेक्टर, दोयम को भी स्थानान्तरित किया गया क्योंकि उन्होंने घटना की सूचना समय से उच्च अधिकारियों को नहीं दी। छोटेलाल व हेड कान्सटेबुल के विरुद्ध दर्ज अभियोगों की विवेचना की जा रही है।

घटनास्थल का निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक ने स्वयं किया। वहां जनता में किसी प्रकार का कोई आतंक या असंतोष नहीं पाया गया। पुलिस द्वारा साक्षियों एवं श्रीमती प्रमिला पर कोई दबाव डालना भी नहीं पाया गया।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

हमें एक प्रश्न करना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप चिट्ठी लिखकर पूछ लीजिये ।

श्री रामप्यारे—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका नहीं दिया इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रामप्यारे सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पश्चिमी बंगाल की श्रीमती प्रमिला जो छोटेलाल द्वारा लाई गई थी उसको चौकीदार ने थाने में ले जाकर पेश किया था या उस क्षेत्र के कांस्टेबिल ने पेश किया था ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उसे चौकीदार थाने ले गया था ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, २२ फरवरी को थानाध्यक्ष और सब इन्सपेक्टर थाने पर मौजूद नहीं थे तो थाने से उनकी रवानगी कब हुई है घटना के पहले और थाने में कब वापस आये ? २२ फरवरी को घटना के वक्त क्या थानाध्यक्ष मौजूद थे ? यदि नहीं, तो कब थाने पर वापस आये ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ऐसा कोई प्रश्न नहीं है । वह तो बाद में वापस आये ।

श्री रामदेव—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वास्तविक रूप से थाना इन्चार्ज, श्री सक्सेना जो उस समय वहां पर मौजूद थे, लेकिन फर्जी रवानगी दिखा दी गयी ? यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति प्रमिला नाम की लड़की को लाया था उसने ६०० रुपया रिश्वत भी दी थी और सक्सेना जी ने हड कानेस्टेबुल से कहा था कि इसको छोड़ दो । उसने कहा था कि आप अपनी रवानगी हटा लीजिये और स्वयं उसको छोड़ दो । क्या यह बात सही है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य की सूचना को आधार बना कर इस दृष्टि से भी जांच करायेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह सारा मामला विचाराधीन है, जांच तो इसमें हो ही रही है ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वहां के थानाध्यक्ष को घटना के कितने दिन बाद हटाया गया ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

घटना के बाद जांच हुई और जांच के बाद उनको हटाया गया।

श्री रामदेव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एस० डी० ओ० सदर के यहां उसका क्या बयान हुआ और ए० डी० एम० जे० की अदालत में क्या बयान हुआ ? क्या इस बयान को बदलवाने की पुलिस ने कोशिश की थी और शायद यह बयान बदल भी दिया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना शासन के पास नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री जी को यह पता है कि एस० डी० एम० के यहां जो बयान मुसम्मात ने दिया है उसमें उसने स्वयं कहा है कि वह छोटे लाल की शादीशुदा बीबी है और थाने में रिपोर्ट उसने नहीं बल्कि चौकीदार की और छोटे लाल की की । फिर यह छोटे लाल को मुल्जिम किस आधार पर माना जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

पहले लड़की ने यह बयान दिया कि वह विवाहिता नहीं है, छोटेलाल उसको बहका कर कलकत्ते से लाया है । गांव में तो उसने यह कहा लेकिन एस० डी० एम० के सामने उसने दूसरा बयान दे दिया । पुलिस अब कलकत्ते से मालूम कर रही है कि वाकई उसकी शादी हुई थी या नहीं, अथवा वह उसको भगा कर लाया था ।

श्री रियासत हुसैन—

गांव में उसने क्या कहा, इसके ऊपर तो एफ० आई० आर० बनती नहीं है । एफ० आई० आर० तो बनती है उसके ऊपर जो वह थानेदार के सामने कहती । थानेदार के सामने उसने कहा नहीं । एस० डी० एम० के सामने उसने कहा कि वह छोटे लाल की शादीशुदा औरत है । फिर छोटे लाल मुल्जिम किस आधार पर हो गया ?

श्री चरण सिंह—

उसने एक बयान दे दिया । क्या आपका कहना यह है कि उसके बयान को फाइनल मान लिया जाय ? यह भी हो सकता है कि उसको कलकत्ता से भगा कर लाया गया हो । तो क्या उसके बयान से पुलिस का यह हक खत्म हो जाता है कि वह तहकीकात ही न करे ?

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

मेरा प्रश्न था लेकिन मुझे इसके उत्तर की प्रति नहीं मिली है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मैंने आपको नहीं देखा इसलिये आगे चला गया । कुछ लोगों को समय दिया तो आपको क्यों नहीं देता । अब आगे चलते हैं ।

लखनऊ मेडिकल कालेज में डाक्टरों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

लखनऊ मेडिकल कालेज में रेजीडेन्सी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रेनीज तथा इन्टर्नशिप करने वाले इन्टर्नस ने ५ मार्च से हड़ताल कर रखी है । यह रेजीडेन्सी प्रोग्राम ४ वर्ष का होता है और

इसे आरम्भ करने की शासकीय अनुमति १९५७ में दी गयी थी। उस समय इसका खर्चा राकफैलर फाउन्डेशन से मिले अनुदान से हो रहा था। इसमें ट्रेनीज को नीचे लिखी दरों पर पाकेट मनी दिया जाता था :

प्रथम वर्ष में हाउस आफीसर	५० + १०० रु० भोजनादि का व्यय।
द्वितीय वर्ष में जूनियर रेजीडेन्ट्स	५० + १०० रुपये भोजनादि का व्यय।
तृतीय वर्ष में सीनियर रेजीडेन्ट्स	१०० + १०० रु० भोजनादि का व्यय।
चतुर्थ वर्ष में चीफ रेजीडेन्टस	१०० + १०० रुपये भोजनादि का व्यय।

उनके रहने के लिये अलग होस्टल बनवाया गया था। राकफैलर फाउन्डेशन से मिल अनुदान के समाप्त हो जाने के बाद सारा खर्चा शासन को बहन करना था और किया जाने लगा। परन्तु १ अप्रैल, १९६६ से लखनऊ विश्वविद्यालय ने उक्त दरों के बजाय निम्नांकित दरों पर इन ट्रेनीज को भुगतान करना आरम्भ कर दिया :

	रु०
प्रथम वर्ष	२२५
द्वितीय वर्ष	२२५
तृतीय वर्ष	२७५
चतुर्थ वर्ष	३३५

इन में भोजनादि का व्यय भी सम्मिलित था। शासन की अनुमति इस बारे में विश्वविद्यालय ने नहीं ली थी। शासन की जानकारी में जब यह बात आई तो विश्वविद्यालय अधिकारियों को ६ जनवरी, १९७० को लिखा गया कि अनियमित भुगतान बन्द कर दिया जाय। इसके फलस्वरूप इन प्रशिक्षार्थियों को जनवरी, १९७० से भुगतान नहीं हुआ। यद्यपि विश्वविद्यालय अधिकारियों ने उस दर पर भुगतान करना चाहा जो शासन से अनुमोदित थी, तथापि प्रशिक्षार्थियों ने उसे स्वीकार नहीं किया और ५ मार्च, १९७० से वे हड़ताल पर चले गये हैं। उनकी सहानुभूति में अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप करने वाले इन्टर्नस भी हड़ताल पर चले गये हैं।

इन हड़तालियों की संख्या, जैसा कि वहां के अधिकारियों से ज्ञात हुआ है, ३०० है। इन लोगों के हड़ताल पर चले जाने के कारण रोगियों को किसी प्रकार की कठिनाई या असुविधा न हो, इसका प्रबन्ध विश्वविद्यालय अधिकारियों ने कर लिया है। वहां भर्ती रोगियों को कालेज से संलग्न चिकित्सालय के विजिटिंग फिजिशियन्स और सर्जन्स देखते हैं, तथा जो इमरजेन्सी के मामले आते हैं उनमें से जिनकी देखभाल वहां सम्भव नहीं होती है उन्हें वहां की एम्बुलेन्स द्वारा बलरामपुर अस्पताल या सिविल अस्पताल भेज दिया जाता है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों से हड़तालियों की मांगों के सम्बन्ध में आई सिफारिशों पर शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि रेजीडेन्सी प्रोग्राम के ट्रेनीज को जनवरी, १९७० से उन्हीं दरों पर भुगतान किया जाय जिन पर उन्हें दिसम्बर, १९६९ तक यह भुगतान हुआ है। इन्टर्न्स के सम्बन्ध में, जिन्हें अभी तक १५० रु० प्रतिमास छात्रवृत्ति और किराया मुक्त आवास या उसके उपलब्ध न होने पर छात्रवृत्ति के १० प्रतिशत के बराबर मकान किराया भत्ता दिया जाता था, यह निर्णय लिया गया है कि इन्हें अब १८० रु० प्रतिमास की छात्रवृत्ति और किराया मुक्त आवास, या उसके न उपलब्ध होने पर २० रु० प्रतिमास का मकान किराया भत्ता दिया जायगा। सरकार को आशा है कि लखनऊ मेडिकल कालेज में हो रही हड़ताल अब समाप्त हो जायगी।

जहां तक अध्यापक पर किये गये दुर्व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन और हड़ताल का सम्बन्ध है, २ मार्च को एक अध्यापक जिस कमरे में अपना क्लास लेने वाले थे, कुछ गलतफहमी

[श्री अनवार अहमद]

में स्टूडेन्ट नर्सेज भी उसी कमरे में जाकर अपने क्लास के लिये बैठ गईं । उन अध्यापक महोदय ने उनसे कमरे से चले जाने के लिये कहा। वे चली तो गईं परन्तु उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और प्रदर्शन तथा एक दिन की हड़ताल भी की। दूसरे दिन ३ मार्च को आपसी बातचीत के बाद उनकी गलतफहमी दूर हो गई और मामला समाप्त हो गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो हड़तालियों को दिया गया है और जो उनकी मांगे हैं इनमें कितना अन्तर है ?

श्री अनवार अहमद--

इनके आंकड़े नहीं निकाले गये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (डिला बाराबंकी)--

मान्यवर, इस वक्तव्य के लिये आपके नोटिस में लाया गया कि इसकी प्रति पहले से नहीं मिली है । इसके आंकड़े एक साथ याद करना संभव नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि पूरी जानकारी नहीं है । तो क्या इसको कल के लिये स्थगित कर देंगे ?

श्रीमन्, जब माननीय मंत्री जी को इतना तक नहीं मालूम है कि मेडिकल कालेज के इंटरनीज को पहले कितना मिलता था और अब क्या दे रहे हैं तब फिर आगे क्या सवाल किया जाय ? मैं जानना चाहता हूं कि उनकी मांग क्या थी ?

श्री अनवार अहमद--

उनकी मांग थी कि पहले वर्ष में २७५ रु०, दूसरे वर्ष में ३२५ रु० तीसरे वर्ष में ३७५ रु० और चौथे वर्ष में ४३५ रु० दिये जायं।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी जि हिसाब से इस वक्त महंगाई बढ़ी हुई है उसी हिसाब से उनकी मांगों को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अनवार अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ विस्तार से बतलाने की आवश्यकता है। दो चीजें अलग-अलग हुआ करती हैं । एक तो यह कि अगर कोई आदमी किसी के यहां नौकर है तो वह उससे अपनी तनख्वाह लेने का अधिकारी है। लेकिन इसमें यह है कि जो ट्रेनिंग करने वाले हैं वे इस तरह से वहां रहते हुए एम० एस० और एम० डी० की डिग्री प्राप्त करने की तैयारी करते हैं और इसके लिये उनको ४ साल तक वहां रहना होता है जिसके लिये यह रकम उनको दी जाती है । इस तरह से वे इसको पाने के अधिकारी नहीं हैं, यह अलग चीज है कि उनको दिया जाता है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

लखनऊ विश्वविद्यालय जो ग्रेड उनको अब तक दे रहा था जिसे बीच में बन्द कर दिया गया था, उसी ग्रेड को वे फिर से दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो दे दिया गया है, उन्होंने बतला दिया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसके तीसरे पैराग्राफ में है कि सरकार को आशा है कि लखनऊ मेडिकल कालेज में हो रही हड़ताल अब समाप्त हो जायेगी, तो यह किस आधार पर उन्होंने कहा है ?

श्री अनवार अहमद—

सरकार इस आधार पर यह कह रही है कि उनकी जो उचित मांगें थीं उनको स्वीकार कर लिया गया है और सरकार इस चीज को मानती है उनमें एक बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और इस तरह से हड़ताल समाप्त हो जायेगी ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज के हाउस आफिसर्स, जूनियर रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स और चीफ रेजिडेंट्स के वेतन-क्रम में और दूसरे मेडिकल कालेजों के वेतन-क्रम में क्या अन्तर है ? और जब अन्तर को समाप्त करने में क्या कठिनाई सरकार के सामने है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, लखनऊ मेडिकल कालेज में एक अलग स्कीम चल रही है जो दूसरे मेडिकल कालेजों में नहीं है । यह रेजिडेंसी स्कीम कहलाती है, यूनिवर्सिटी के मातहत । सन् ६६ से यह स्कीम यूनिवर्सिटी में चली है लेकिन अब तक यही समझा जाता रहा है कि गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी है । यूनीवर्सिटी सन् ६६ में जो तनख्वाह इनको दे रही थी उसको उसने बाद में बढ़ा दिया अपने आप । गवर्नमेंट का कोई आर्डर नहीं था । इसके लिये गवर्नमेंट से कोई स्वीकृति नहीं ली गयी । गवर्नमेंट से उन्होंने कोई स्वीकृति नहीं ली । हमारे यहां डिपार्टमेंट का यह कहना है कि उन्होंने गवर्नमेंट से कोई इजाजत नहीं ली । उन्होंने कहा कि पत्र लिख दिया है । दिसम्बर, १९६९ में फाइनेंस डिपार्टमेंट में यह बात आई कि उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी । उन्होंने उसको रोक दिया और इस पर उन्होंने हड़ताल की । उनकी शुरू में यह डिमांड थी कि सन् ६६ से जो हमको मिल रहा है उससे भी ज्यादा मिले । पहले साल उनको २०० रु०, तीसरे वर्ष उनको २७५ रु० और चौथे वर्ष उनको ३३५ रु० मिल रहा है । ये ट्रेनीज हैं और गवर्नमेंट सर्वेन्टस नहीं हैं । एम० एस० और एम० डी० करके वे हायर एजूकेशन पा रहे हैं और उसको करने के बाद वे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं । यह हमारी स्थिति है । हर एक को अपनी पे कम ही मालूम होती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम कल सबेरे ११ बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
१२ मार्च, १९७०

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५९ पर)

विभाग	कुल संख्या	अनुसूचित संख्या
(१) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य—		
पी० एच० एस०	२२०	..
पी० एम० एस० (पुरुष)	१,५६५	२
पी० एम० एस० (महिला)	२७७	..
अन्य अधिकारी	६९	..
इन्टीग्रेटेड मेडिकल अफसर	१३९	उपलब्ध नहीं
मेडिकल कालेज (अधिकारी)	२०४	१
पी० एम० एस०	७१	उपलब्ध नहीं
(२) हरिजन सहायक	७०	१५
(३) भूगर्भ तथा खनिज	३५	..
(४) विलेज एण्ड टाउन प्लानिंग—		
श्रेणी १	१३	..
श्रेणी २	१९	..
(५) अर्थ एवं संख्या	६९	..
(६) सूचना विभाग ..		
सहायक निदेशक	४	..
जिला सूचना अधिकारी	३	..
अन्य अधिकारी	३४	..
(७) विकास अन्वेषणालय ..		
श्रेणी १	१०	..
श्रेणी २	२३	..
(८) श्रम विभाग—		
श्रेणी १	१८	..
श्रेणी २	९३	१
कनिष्ठ राजपत्रित	१५	..
(९) पब्लिक हैल्थ इंजीनियर	२७६	२
(१०) कृषि अभियंत्रण—		
श्रेणी १	१०५	..
श्रेणी २	५१४	११
(११) उच्च न्यायालय	६९	..
(१२) गन्ना सेवा—		
श्रेणी १	८	..
श्रेणी २	३४	१
गन्ना निरीक्षक (श्रेणी–२)	९	..

विभाग	कुल संख्या	अनुसूचित संख्या
(१३) सहकारिता सेवा—		
श्रेणी १	१७	२
श्रेणी २	११२	७
(१४) कृषि महाविद्यालय, कानपुर—		
सीनियर स्पेशल स्केल	१	..
सीनियर स्केल	२२	..
जूनियर स्केल	७१	..
अन्य	२	..
(१५) फल उद्योग निदेशालय—		
श्रेणी १	६	..
श्रेणी २	२०	..
(१६) प्रशिक्षण एवं सेवायोजन—		
सेवायोजन	१५	१
कनिष्ठ राजपत्रित	१३०	७
प्रशिक्षण ..		
सीनियर स्केल	८	..
जूनियर स्केल	५६	..
(१७) कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई	१४	..
(१८) सिंचाई अभियंत्रण—		
सहायक अभियन्ता	१,४३१	६
उप राजस्व अधिकारी	६८	५
(१९) अल्प सिंचाई–अभियन्ता	६३	..
श्रेणी १	१०	..
श्रेणी २	७५	..
कनिष्ठ राजपत्रित	११७	१
क्षेत्र विकास अधिकारी	६६७	७१
(२०) उद्योग विभाग	२०६	२
(२१) जेल सेवा—		
श्रेणी १	१२	..
श्रेणी २	१०४	२
(२२) प्राविधिक शिक्षा	२७४	२६
(२३) उप निदेशक, पंचायत	१	..
पंचायत राज अधिकारी	५४	..
(२४) जिला पूर्ति अधिकारी	२५	..
राशनिंग	५१	..
मार्केटिंग	४७	..
माप तथा बांट	८	..

विभाग				कुल संख्या	अनुसूचित संख्या
(२५)	आबकारी—				
	श्रेणी १	..	..	१	..
	श्रेणी २	..	..	१७	..
	कनिष्ठ राजपत्रित	..	..	२९	..
	मद्य निदेश अधिकारी	..	..	१	..
	मद्य निदेश तथा समाजोत्थान	..	..	६	१
(२६)	प्रादेशिक शिक्षा दल	..			
	सीनियर स्केल	..	..	१	..
	जूनियर स्केल	..	..	१९	..
	स्पेशल सबार्डिनेट	..	..	३७	२
(२७)	राज्यपाल, सचिवालय	..	..	९	..
(२८)	सचिवालय सेवा—				
	उ० प्र० सचिवालय सेवा	..	..	४३	..
	अधीक्षक सेवा	..	..	१४०	१
	सहायक अधीक्षक सेवा	..	..	११६	४
	निजी सचिव सेवा	..	..	२५	..
(२९)	पी० डब्लू० डी०—				
	कुल अभियन्ता (सिविल)	..	..	५२७	४
	प्रतिनियुक्ति पर	..	..	७१	१
	कुल अभियन्ता (ई० तथा एम०)		..	३६	..
	प्रतिनियुक्ति पर	..	..	१	..
	अन्य	..	..	१७	..
(३०	परिवहन एवं पर्यटन				
	उप परिवहन आयुक्त	..	..	४	..
	पर्यटन अधिकारी	..	..	६	..
	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	..	..	१४	..
	सहायक परिवहन आयुक्त ।				
	ए० आर० टी० ओ०	..	..	२८	३
(३१)	विद्युत्त निरीक्षक	..	..	१	..
	उप विद्युत्त निरीक्षक	..	..	३	..
	सहायक विद्युत्त निरीक्षक	..	..	१९	..

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७५ पर)

(१५ फरवरी, १९७० की स्थिति)

क्रम-संख्या	पदनाम	वेतन-क्रम रु०	विशेष वेतन रु०	अन्य भत्ते	पदों की संख्या	अधिकारियों की संख्या जो कार्य कर रहे हैं	अभ्युक्ति
१	२	३	४	५	६	७	८
१—राज्य शासन के अधीन सीनियर ड्यूटी पद—१६६ ब्योरा निम्नवत है:							
	अध्यक्ष, राजस्व परिषद् ..	३,५००*	..	..	१	१	*इन पदों पर आई० सी०
	सदस्य, राजस्व परिषद् ..	३,५००*	..	..	२	२	एस० अधिकारी नियुक्त हैं।
	मुख्य सचिव ..	३,५००*	..	..	१	१	बाकी पदों पर आई० ए०
	न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद् ..	२५००—२७५०	..	..	४	४	एस० अधिकारी या प्रवरण
	मण्डलों के आयुक्त ..	२५००—२७५०	..	..	१०	१०	सूची के राज्य सेवा अधि-
	चकबन्दी आयुक्त ..	२५००—२७५०	..	..	१	१	कारी नियुक्त हैं।
	आयुक्त एवं सचिव ..	२५००—२७५०	..	..	६	६	
	निदेशक, राजकीय सीमेंट फैक्ट्री ..	२५००—२७५०	..	..	१	१	
	परिवहन आयुक्त ..	२५००—२७५०	..	..	१	१	
	पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण	२५००—२७५०	..	..	१	१	
	सचिव, विशेष सचिव (क) ..	१८००—२०००	३००	..	४	४	
	(ख)	६००—१८००	३००	..	७	५	
	राज्यपाल के सचिव ..	१८००—२०००	३००	..	१	१	
	मुख्य मंत्री के सचिव ..	६००—१८००	३००	..	१	१	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८
सचिव, राजस्व परिषद्	..	६००–१,८००	३००	..	१	१	
संयुक्त सचिव	..	६००–१,८००	२५०	..	१०	८	
उद्योग निदेशक	..	६००–१,८००	२५०	..	१	१	
सचिव, लोक सेवा आयोग	..	६००–१,८००	२५०	..	१	१	
निदेशक, नियोजन अन्वेषणालय तथा संयुक्त सचिव।		६००–१,८००	२५०	..	१	१	
बांट एवं माप नियंत्रक तथा अतिरिक्त आयुक्त खाद्य एवं रसद तथा संयुक्त सचिव।		६००–१,८००	२५०	..	१	१	
बिक्री कर आयुक्त	..	६००–१,८००	२५०	..	१	..	
उप सचिव	..	६००–१,८००	२००	..	१५	११	
राज्य सम्पादक जिला गजेटियर्स	..	६००–१,८००	२००	..	१	१	
आबकारी आयुक्त एवं मद्यनिषेध आयुक्त		६००–१,८००	२००	..	१	१	
श्रमायुक्त	.. ..	६००–१,८००	२००	..	१	१	
निबन्धक सहकारी समितियां	..	६००–१,८००	२००	..	१	१	
गन्ना आयुक्त	..	६००–१,८००	२००	..	१	१	
निदेशक, पंचायत	..	६००–१,८००	२००	..	१	१	
सूचना निदेशक	.. ..	६००–१,८००	२००	..	१	१	
निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	..	६००–१,८००	२००	..	१	१	
निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण		६००–१,८००	२००	..	१	१	
उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत एवं उप सचिव		६००–१,८००	२००	..	१	१	
अतिरिक्त आयुक्त उत्तराखंड तथा उप सचिव।		६००–१,८००	२००	..	१	१	
उप आयुक्त खाद्य, एवं रसद तथा उप सचिव		६००–१,८००	२००	..	२	१	
उप निदेशक राजकीय सीमेंट फैक्टरी		६००–१,८००	२००	वेतन तथा विशेष वेतन का १० %	२	२	

जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर	..	१,८००–२,०००	२००	७५	१	१
जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी	..	१,८००–२,०००	२००	५०	१	१
जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ	..	९००–१,८००	२००	७५	१	१
जिला मजिस्ट्रेट, आगरा, इलाहाबाद बरेली मेरठ।		९००–१,८००	२००	५०	४	४
जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़	..	९००–१,८००	२००	..	१	१
अतिरिक्त उद्योग निदेशक	..	९००–१,८००	१५०	..	३	३
अतिरिक्त श्रमायुक्त	..	९००–१,८००	१५०	..	१	१
अतिरिक्त निबन्धक सहकारी समितियां		९००–१,८००	१५०	..	२	२
अतिरिक्त बिक्री कर आयुक्त	..	९००–१,८००	१५०	..	१	१
उप/संयुक्त विकास आयुक्त	..	९००–१,८००	१५०	..	१०	९
निबन्धक महानिरीक्षक तथा मुख्य निरीक्षक स्टाम्प्स।		९००–१,८००	१५०	..	१	१
प्रोजेक्ट आफिसर फूलपुर	..	९००–१,८००	१५०	..	१	..
उप भूमि सुधार आयुक्त	..	९००–१,८००	१५०	..	२	२
संयुक्त निदेशक चकबन्दी	..	९००–१,८००	१५०	..	१	१
उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन)	..	९००–१,८००	१५०	..	१	१
जिला मजिस्ट्रेट देहरादून	..	९००–१,८००	..	५०	१	१
जिला मजिस्ट्रेट (शेष जिलों के)	..	९००–१,८००	..	..	४५	४५
अतिरिक्मे आयुक्त	..	९००–१,८००	..	..	२	१
२––केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षण	..	..	..	..	६६	९२

यह पद भारत सरकार के अधीन है और इन पदों पर इस प्रदेश के अधिकारी भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६	७	८
		रु०	रु०				
३—प्रतिनियुक्ति आरक्षण इन पदों का ब्योरा निम्नवत है :		..	..	..	३५	३९	
आयुक्त गढ़वाल मंडल (१)	..	२,५००–,२,७५०	..	..	..	..	
अध्यक्ष तथा सदस्य प्रशासनाधिकरण तथा समर्पित, सतर्कता आयोग (१)	..	२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
आयुक्त एवं सचिव (४)	..	२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
सदस्य अल्प संख्यक आयोग (१)	..	२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
न्यायिक सदस्य राजस्व परिषद् (१)		२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
बिक्री कर आयुक्त (१)	..	२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
विशेष सचिव (३)	..	९००–१,८००	३००	..	..	..	
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (१)	..	९००–१,८००	२००	..	..	..	
अध्यक्ष तथा सदस्य प्रशासनाधिकरण नं० २ (१) ।		९००–१,८००	२००	..	..	..	
प्रशासक, नगरपालिका तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गाजियाबाद (१) ।		९००–१,८००	२००				
संयुक्त सचिव (२)	..	९००–१,८००	२५०	..	..	..	
विशेष कार्याधिकारी (१)	..	९००–१,८००	..	..	..	..	
मुख्य सम्पर्क अधिकारी (१)	..	९००–१,८००	२००	७५		..	
क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (४)	..	९००–१,८००	..	..	..	..	
संयुक्त उद्योग निदेशक (३)	..	९००–१,८००	..	..	..	..	
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (१)	..	९००–१,८००	..	..	..	..	
वाह्य सेवा के पद							
अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् (१)		२,५००–२,७५०	..	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उप कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय (१)	२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
आवास आयुक्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् (१)	२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
मुख्य नगर अधिकारी, नगरमहापालिका (२)	२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
प्रशासक, नगर महापालिका (१) ..	२,५००–२,७५०	..	..	..	..	
मैनेजिंग डाइरेक्टर, टेक्स्टाईल कारपोरेशन (१)।	६००–१,८००	(विचाराधीन है)				
सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद् (१)	६००–१,८००	३००	..	..	..	
मैनेजिंग डाइरेक्टर कानपुर मिल्क बोर्ड (१)	६००–१,८००	३००			..	
मैनेजिंग डाइरेक्टर फाइनेंशियल कारपोरेशन (१)।	६००–१,८००	२००		..	..	
मुख्य नगर अधिकारी, नगरमहापालिका (२)	६००–१,८००	वेतन का २५ प्रतिशत			..	
४—अवकाश आरक्षण	.. ..	..	..	१६	६	
५—कनिष्ठ पद	.. ४००–१,०००	*	..	३६	३४	*इनमें से कुछ अधिकारियों को विशिष्ट पदों (जैसे अनुसचिव, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला नियोजन अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या एस०डी०ओ/ एस० डी० एम०) पर नियुक्त होने पर ५० रु० से १५० रु० तक विशेष वेतन तथा/या ५० रु० से ७५ रु० तक प्रतिकर भत्ता भी दिया जाता है।
६—प्रशिक्षण आरक्षण	.. ६००–१,८०० ४००–१,०००	..	..	१८	१५	
जोड़	..			३४०	३३६	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ७९ का उत्तर पीछे ११७६पृष्ठ)

क्रम-सं०	नाम थाना	अपराध	वर्ष १९६७	वर्ष १९६८	वर्ष १९६९	विवरण
१	अचलगंज ..	हत्या ..	९	१०	३	
		डकैती ..	१	५	५	
		बलवा ..	११	७	१४	
२	वारासगवर	हत्या ..	४	१	२	
		डकैती ..	२	१	३	
		बलवा ..	११	७	९	
३	गंगाघाट ..	हत्या ..	६	१	५	
		डकैती ..	५	३	२	
		बलवा ..	५	९	१	
४	कोतवाली	हत्या ..	११	७	८	
		डकैती ..	५	६	१०	
		बलवा ..	७	७	१९	

अमर उजाला

नत्थी "घ"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७७ पर)

जिला कानपुर के थाना डेरापुर क्षेत्र में १५-१२-६८ से १५-१२-६९ तक की अवधि में हुई हत्या, आत्महत्या और डकैती के संबंध में सूचना

हत्या—

व्यक्ति का नाम जिसकी हत्या हुई		ग्राम
१—श्री जगदीश नारायण	..	इंजुवा रामपुर, थाना डेरापुर
२—श्री मोतीलाल	..	उमरी बुजुर्ग, थाना डेरापुर
३—श्रीमती रसूलन	..	कमालपुर, थाना डेरापुर
४—श्रीमती पूर्णा देवी	..	निमदापुर, थाना डेरापुर
५—श्री छानी लाल	..	सुजनीपुर, थाना डेरापुर
६—श्री राम गोपाल	..	तदेव
७—श्री भगौती प्रसाद	..	तदेव
८—श्री राम लाल	..	तदेव
९—श्री मातादीन	..	बिसोहा, थाना डेरापुर ।

आत्म हत्या—

व्यक्ति का नाम जिसने आत्म हत्या की		ग्राम
१—श्रीमती शिवकली	..	बिसोहा, थाना डेरापुर
२—श्रीमती राजानकी	..	बिसोहा, थाना डेरापुर
३—श्रीमती मुल्लन देवी	..	इन्दरुख, थाना डेरापुर
४—श्रीमती चुन्नी देवी	..	डुडौली, थाना डेरापुर

डकैती—

उक्त अवधि में डकैती की केवल १ घटना ग्राम रजनापुर, थाना डेरापुर में हुई ।

नत्थी 'ङ'

सूची

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८४ पर)

क्रम-संख्या	नाम	पता	अधिभार
			एच०पी०
१	श्री भगवान दीन मिश्रा ..	ग्राम दागरा, पो० बानीपारा	५
२	श्री कन्हैया लाल ..	तदेव ..	७–५
३	श्री हुकम सिंह ..	ग्राम बचितजसू, पो० गजन	१०
४	श्री अमन सिंह ..	तदेव	१०
५	श्री बसुदेव ..	ग्राम अजयपुर, पो० बानीपारा	७–५
६	श्री अयोध्या प्रसाद ..	ग्राम देवकी का पुरवा, पो० बानीपारा	१०
७	श्री राम एन्ड कम्पनी ..	ग्राम व पो० झींझक ..	२०
८	श्री देबीगुलाम लालाराम ..	तदेव ..	३०
९	श्री रामनरायन ..	ग्राम जिनहो, पो० बानीपारा ..	१५
१०	श्री प्रयाग नरायन ..	तदेव ..	३०
११	श्री भूप नरायन ..	तदेव ..	३०
१२	श्री राजा राम ..	ग्राम बचितजसू, पो० गाजन ..	३०
१३	श्री ईश्वरी दयाल ..	तदेव ..	३०
१४	श्री राम प्रसाद ..	तदेव ..	३०
१५	श्री धर्मपाल सिंह ..	तदेव ..	३०
१६	श्री राम किशन ..	तदेव ..	२०
१७	श्री रामेश्वर दयाल ..	ग्राम एवं पो० बानीपारा ..	२५
१८	श्री गुलाब सिंह ..	तदेव ..	२५
१९	श्री रामबली ..	तदेव ..	२५
२०	श्री धनीराम ..	तदेव ..	३०
२१	श्री मूल चन्द्र ..	तदेव ..	२५
२२	श्री ब्रजलाल शर्मा ..	तदेव ..	३०
२३	श्री रंजीत सिंह ..	तदेव ..	३०
२४	श्री छोटेलाल ..	ग्राम मकनिया पुरवा ..	१०
२५	श्री सेठ पूरनमल सिंह ..	ग्राम झींझक ..	२०
२६	श्री पूरनमल सिंह ..	तदेव ..	१०
२७	श्री चुन्नीलाल ..	ग्राम महाराजपुर, पो० बानीपारा	१०
२८	श्री राजाराम यादव ..	ग्राम अद्रपुर व पो० बानीपारा ..	५
२९	श्री श्रीराम सिंह ..	तदेव ..	५
३०	श्री सूबेदार सिंह ऐन्ड रघुबीर सिंह	तदेव ..	५
३१	श्री मनियां ..	तदेव ..	१०
३२	श्री परशराम ..	पो० बानीपारा ..	५
३३	श्री रंजीत सिंह नवाब सिंह ..	तदेव ..	१०
३४	श्री लालू सिंह ..	तदेव ..	१५

क्रम संख्या	नाम	पता	अधिभार
३५	श्री मोती लाल मिजाजीलाल ..	पो० बानीपारा ..	५
३६	श्री मंगली प्रसाद पांडेय ..	ग्राम सियारमन, पो० बानीपार..	—
३७	श्री लल्लू प्रसाद ..	ग्राम किशोर, पो० बानीपारा ..	—
३८	श्री होरीलाल दोहरे ..	ग्राम किशोरा ..	७–५
३९	श्री सुरेन्द्र नाथ सुभाष चन्द्र	ग्राम बड़ागांव, पो० झींझक ..	७–५
४०	श्री राम स्वरूप गुप्ता	ग्राम किशोरा, पो० झींझक ..	७–५
४१	श्री मोतीलाल ..	ग्राम किशोरा, पो० झींझक ..	१०
४२	श्री दुलारे लाल मिश्रा	तदेव ..	७–५
४३	श्री कृष्ण कान्त ..	ग्राम झींझक	५
४४	श्री भगवत दयाल ..	ग्राम तदेव	७–५
४५	श्री मूलचन्द्र मुन्नी लाल	ग्राम दागरा, पो० बानीपारा	५
४६	श्री रामस्वसा दुबे	तदेव ..	१५
४७	श्री शिव सिंह गौड़	ग्राम अंगदपुर, पो० बानीपारा	५
४८	श्रीमती मोहनी देवी ..	ग्राम अजयपुर, पो० बानीपारा	१०
४९	श्री राम सिंह गौड़ ..	ग्राम बचितर्जस, पो० भाजन	१०
५०	श्री राम प्रसाद ..	तदेव	१०
५१	श्री सुखलाल ..	ग्राम जोहन, पो० बानीपारा	१०
५२	श्री भगवान दीन ..	तदेव ..	१०
५३	श्री सुक्खा ..	तदेव ..	१०
५४	श्री देवीदयाल ..	ग्राम अजयपुर, पो० बानीपारा	१०
५५	श्री कन्हैयालाल दुबे	तदेव	५
५६	श्री लाल सिंह ..	ग्राम एवं पो० बानीपारा	१०

सूची

क्रम सं०	नाम	पता	अधिभार
			बी० एच० पी०
१	श्री सोवरन सिंह	.. ग्राम रामपुर, पो० बानीपारा	७–५
२	श्री मिश्रीलाल यादव	ग्राम डागरा, पो० बानीपारा	१०
३	श्री राम सिंह	.. ग्राम किशोरा, पो० झींझक	७–५
४	श्री लक्ष्मी नारायण	.. ग्राम वचितजवंस, पो० सुन्दरपुर	१०
५	श्री रामेश्वर चरन दास	ग्राम रामपुर, पो० बानीपारा	१०
६	श्री राम नारायण सिंह	ग्राम देवकीपुरवा, पो० बानीपारा	१०
७	श्री बनेश्वर दयाल	ग्राम पो० झींझक ..	२०
८	श्री प्रयाग नारायण त्रिपाठी	ग्राम जिनही, पो० बानीपारा	१०
९	श्री प्रयाग नारायण त्रिपाठी	तदेव ..	१०
१०	श्री प्रकाश नारायण शुक्ला	तदेव ..	५
११	श्रीमती शारदा देवी त्रिपाठी	तदेव ..	१०
१२	श्री दुलारे लाल	.. ग्राम किशोरा, पो० झींझक	५
१३	श्री साहबलाल गुप्ता	तदेव ..	७–५
१४	श्री रामसागर शुक्ला	तदेव	७–५
१५	श्री शिवकुमार तिवारी	ग्राम जिनही, पो० बानीपारा	१०
१६	श्री अर्जुन सिंह	.. तदेव ..	५
१७	श्रीमती नाराधण त्रिपाठी	तदेव ..	२०
१८	श्री कंचन सिंह	.. ग्राम अंगदपुर, पो० बानीपारा	७–५
१९	श्री सुदरसन सिंह	.. तदेव ..	७–५
२०	श्री बीरेन्द्र सिंह गौड़	तदेव ..	१०
२१	श्री रणजीत सिंह	.. ग्राम अदरेपुरवा, पो० बानीपारा	१०
२२	श्री धर्म पाल सिंह	.. ग्राम वचित जस, पो० सुन्दरपुर	१०
२३	श्री राजाराम अवस्थी	.. तदेव	१०
२४	श्री भूप नारायण त्रिपाठी	ग्राम जिनहो, पो० बानीपारा	१०
२५	श्री प्रेम नारायण त्रिपाठी	तदेव ..	१०
२६	श्री रामकेशन अवस्थी	ग्राम बचित जस, पो० सुन्दरपुर	१०
२७	श्री प्रयाग नारायण त्रिपाठी	ग्राम जिनहो, पो० बानीपारा	१०
२८	श्री ईश दयाल	.. ग्राम बचित, पो० राजन	१०

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८६ पर)

अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचनार्थ अभिसूचित किया जाता है कि ऐसे विद्युत् उपभोक्ता, जिनको ३० नवम्बर, १९६६ या उससे पूर्व नलकूप अथवा पंपिंग सेट के लिये पावर लोड की स्वीकृति हो चुकी है परन्तु अभी तक कनेक्शन लेने में असमर्थ रहे हैं, वे यदि अब भी अपने नलकूप/पंपिंग सेट के लिये कनेक्शन लेने के इच्छुक हैं तो वह इस अधिसूचना जारी होने की तिथि से २ महीने के अन्दर अधिशासी अभियन्ता, जल-विद्युत् विभाग, मुरादाबाद अथवा अतिरिक्त जिलाधीश-नियोजन मुरादाबाद से व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा संपर्क स्थापित करें तथा उनके समक्ष अपने स्वीकृति का पूर्ण विवरण (स्वीकृति संख्या, दिनांक आदि) प्रस्तुत करें। यदि उक्त उपभोक्ता ऐसा करने में असफल रहे तो दूसरी सूचना दिए बिना उनकी स्वीकृति रद्द मानी जायेगी।

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १२०५ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० इलाहाबाद, विश्वविद्यालय अधिनियम १९२१, आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६, गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, और कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ को और संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम, बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

१९२० के यू० पी० अधिनियम सं० ५ की धारा १३ का संशोधन ।

२—लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० की धारा १३ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(१) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद्, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाले चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायगा, अर्थात्—

(i) उप कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाय ; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति" ।

१९२१ के यू० पी० अधिनियम सं० ३ की धारा १४ का संशोधन ।

३—इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१ की धारा १४ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, निम्नलिखित से मिल कर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायगा, अर्थात्—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाय ; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति" ।

१९२६ के यू० पी० अधिनियम सं० ८ की धारा ११ का संशोधन ।

४—आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ११ में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएं, अर्थात्—

"(२) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिल कर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायगा अर्थात्—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(i) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाय; और

() कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति।

(२क) रजिस्ट्रार की उपलब्धियां अध्यादेशों द्वारा नियत की जायेंगी।

१९५६ के उ० प्र०अधिनियम सं० २० की धारा ५ का संशोधन।

५—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ (जिसे आगे गोरखपुर अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ में से उपधारा (२) का प्रतिबन्धात्मक खण्ड और उपधारा (३) निकाल दी जाएं।

धारा ८ का संशोधन

६—गोरखपुर अधिनियम की धारा ८ के खंड (२) में, शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (२) और (३)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "उपधारा (२)" रख दिए जाएं।

धारा १६ का संशोधन।

७—गोरखपुर अधिनियम की धारा १६ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाए, अर्थात्—

"(१) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर, नियुक्त किया जायगा, अर्थात्—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाय ; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति"।

१९५६ के उ० प्र० अधिनियम सं०२८ की धारा १५ का संशोधन

८—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १५ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(१) प्रस्तोत", विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिलाकर बनने वाली निर्धारण समिति की संस्तुति पर, नियुक्त किया जायगा, अर्थात्—

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ii) किसो अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाय ; और

(iii) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित एक अन्य व्यक्ति"।

१९६५ के उ० प्र० अधिनियम सं० १३ की धारा ४ और धारा १२ का संशोधन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९२६

९—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ में—

(१) धारा ४ में, उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएं, अर्थात्—

"(६) उपधाराओं (१) से लेकर (३) तक या उपधारा (३) के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में, या आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में किसी बात के होते हुए भी, सीतापुर स्थित नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ ओफ्थालमालोजी एन्ड रिसर्च, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन, आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध और सदैव से ही संबद्ध बना रहा समझा जायगा, और तदनुसार कानपुर

तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६८ के प्रारम्भ से पूर्व उक्त इन्स्टीट्यूट के संबंध में या उक्त इन्स्टीट्यूट में तालिकांकित व्यक्तियों के संबंध में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत संचालित की गई कोई परीक्षा, लिया गया कोई शुल्क, या प्रदत्त किया गया कोई डिप्लोमा आते हैं, इस प्रकार विधिमान्य रूप से किया गया, की गई, दिया गया, संचालित की गई, लिया गया या प्रदत्त किया गया समझे जायेंगे, मानो इस उपधारा के उपबन्ध सभी तात्विक समयों पर प्रचलित रहे हों ।

(७) उक्त इन्स्टीट्यूट, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करें, आगरा विश्वविद्यालय से उपधारा (६) के अधीन सम्बद्ध नहीं रहेगा, और वह इस अधिनियम के अधीन कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जायगा ।" और

(२) धारा १२ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(१) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायगा, अर्थात्—

(क) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उपकुलपति जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाय ; और

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अन्य व्यक्ति ।"

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २, १९६८ और संख्या १, १९६९ का निरसन

१०—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६८ और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं ।

उद्देश्य और कारण

विश्वविद्यालयों से संबंधित अधिनियमों में वर्तमान उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिये चयन समिति में उपकुलपति, कुलपति का एक नामनिर्देशिती और या तो राज्य लोक-सेवा आयोग का अध्यक्ष द्वारा उस आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य है। राज्य लोक-सेवा-आयोग के अध्यक्ष का यह विचार था कि आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का किस चयन समिति में होना सांविधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। तदनुसार उन्होंने समिति में स्वयं बैठने अथवा आयोग के किसी सदस्य को उसके नामनिदिष्ट करने से इंकार क दिया था। तो विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करनी थी, किन्तु यह नियुक्तियां उपर्युक्त रीति से उत्पन्न गतिरोध के कारण नहीं की जा सकती थीं। यह विश्वविद्यालयों के उचित प्रशासन के हित में नहीं था कि रजिस्ट्रार के महत्वपूर्ण पद को अधिक समय तक रिक्त रखा जाए। तदनुसार राष्ट्रपति शासन के दौरान यह निश्चय किया गया कि चयन समिति के संघटन में संशोधन किया जाय।

२—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा ५ गोरखपुर विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन हाल से दो मील के अर्द्धव्यास के भीतर प्रौद्यौगिकी या अभियांत्रिकी के कालेज से भिन्न कालेज की स्थापना अर्जित करती है। वह स्तानकोत्तर उपाधि के लिये अध्यापन के लिये किसी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करने से भी विश्वविद्यालय को बर्जित करती है। यह उपबन्ध उत्तर प्रदेश के १४ पूर्वी जिलों में उच्च शिक्षा के प्रसार के बाधक सिद्ध हुआ। अतः इसे उत्तर प्रदेश विश्वविद्या लय (संशोधन) अधियिम, १९६९ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १, १९६९) द्वारा निकाल दिया गया।

३—नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आपथलमालोजी एन्ड रिसर्च, सीतापुर प्रारंभ में आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध था। कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर उक्त इन्स्टीट्यूट को अन्य संस्थाओं के सेवा कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया क्योंकि सीतापुर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता था। परन्तु, उस समय कानपुर दिश्वविद्यालय में कोई मेडिकल फैकल्टी नहीं थीं, क्योंकि उसकी प्रथम परिनियमावली नहीं बनी थो, अतः उक्त इन्स्टीट्यूट को कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम १९६८ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २१, १९६८) द्वारा पुनः आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। कानपुर विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली अब बन चुकी है और कानपुर विश्वविद्यालय में मेडिकल फैकल्टी की स्थापना हो गई है। जी० एस० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर जो लखनऊ विश्वविद्यालय का संघटक कालेज का अब कानपुर विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित कर दिया गया। अतः नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आपथालमालोजी एन्ड रिसर्च सीतापुर को कानपुर विश्वविद्यालय के, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, संबद्ध करने के लिये कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ में संशोधन करके प्राविधान करने का प्रस्ताव है। सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, पुरः संबद्ध करने के लिये कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ में संशोधन करके प्राविधान करने का प्रस्ताव है।

४—यह विधेयक तद्नुसार दोनों राष्ट्रपति अधिनियमों के उपबन्धों को आवश्यक आशोधनों के साथ पुनः अधिनियमित करने के उद्देश्य से पुरःस्थापित किया जाता है।

रामजी लाल सहायक,
शिक्षा मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ. १२४९ पर)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९७०

जिला परिषदों के संघटन और कृत्यों के संबंध में पुनर्विचार होने तक उनके प्रशासन के लिये कतिपय अल्पकालिक व्यवस्था तथा तत्सम्बन्धी विषयों के संबंध में प्राविधान करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

जिला परिषदों के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबंध

२—इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधियिम, १९६१ (जिसे आगे बढ़कर उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध, दो वर्ष की अवधि के लिये अथवा जब तक उक्त अधिनियम की धारा २२ के अधीन उक्त जिला परिषदों का पुनःसंघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक जिला परिषद् के संबंध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे ।

(ख) जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उसकी समितियों के सभी अधिकार, कृत्य तथा कर्त्तव्य, जिला मैजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और जिला मैजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में जिला परिषद्, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा समिति समझा जायगा,

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, जिला मैजिस्ट्रेट पिछले अंतिम खन्ड द्वारा उनसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों के संबंध में—

(१) इस प्रकार प्रदत्त अधिकारों की, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या अधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकता , या

(२) ऐसे निकाय या समिति से परामर्श कर सकता है जो उसके द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट रीति से संघटित की जाय,

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे पारिणामिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत किसी उपबन्ध का अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलम्बित करने का उपबन्ध भी है, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती तथा संबद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो ।

उद्देश्य और कारण-

वर्तमान जिला परिषदों को, जिन्हें जून, १९६३ में पांच साल की अवधि के लिये स्थापित किया गया था, उनके सामान्य कार्यकाल से लगभग दो वर्ष से अधिक के लिये कार्य करने दिया गया है। उनके कार्य के बारे में राज्य सरकार के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, यह समझा गया है कि उनके सदस्यों या पदाधिकारियों को अपने-अपने पदों पर फिर से चुनाव हुए बिना बने रहने देना जनहित में नहीं है। यह भी प्रस्ताव है कि इन निकायों के संघटन और कृत्यों पर पुनः विचार किया जाय। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, में आवश्यक संशोधन करने के बाद ही नये चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसमें कुछ समय लगेगा, इसलिये यह प्रस्ताव है कि जिला परिषदों का प्रशासन, दो साल की अवधि के लिये, या जब तक कि जिला परिषदों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, जिला मैजिस्ट्रेटों को सौंप दिया जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

शिव राज सिंह,
सामुदायिक विकास मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २१ एल० ए०—१९७०—८४५।